Friday, 18th August, 1989

अष्टम माला, खंड 52, अंक 11

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौदहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 52 में अंक 11 से 22 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

[मूल्य : चार रुपये]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 18 अगस्त, 1939/27 श्रावण, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
10	नीचे से 1	एल.टी. संख्या "8239" के स्थान पर "8282" पढ़िये ।

विषय सूची

अष्टम माला, खंड 52, चौदहवां सत्र, 1989/1911 (शक)

अंक 22, शुक्रवार, 18 अगस्त, 1989/27 श्रावण 1911 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख	1
सभा पटल पर रखे गए पत्र	9-17
राज्य सभा से सन्देश	17-18
रेल अभिसमय समिति 14वां प्रतिवेदन	18
याचिका समिति कार्यवाही सारांश	18
मध्य प्रदेश में प्रत्येक पंचायत को टेलीफोन उपलब्ध कराए जाने के बारे में दिनांक 31.7.1989 के तारांकित प्रश्न संख्या 184 के सम्बन्ध में पूछे गए अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य श्री गिरिधर गोमांगो	19
प्रत्यक्ष कर विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित	19
पोत परिवहन अभिकर्ता (अनुज्ञापन) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति समिति में लोक सभा के आठ सदस्य नियुक्त किए जाने की राज्य सभा की सिफारिश से सहमित का प्रस्ताव	21-22
नियम 377 के अधीन मामले	22-30
(एक) आगरा से आने और आगरा जाने के लिए और अधिक रेल-गाड़ियां उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता श्री निहाल सिंह जैन	22
(दो) हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना, पश्चिम बंगाल को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता कुमारी ममता बनर्जी	22-23

पृष्ठ

(तीन) मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जाने की आवश्यकता

श्री कम्मोदी लाल जाटव 23

(चार) राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राजस्थान सरकार को आवश्यक सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री शंकर लाल 23

(पांच) बम्बई में साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों को निगम के स्वामित्व वाले फ्लैटों को किराए या स्वामित्व के आधार पर अपने पास रखे जाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री अनूपचंद शाह 23-24

(छः) दस्यु प्रभावित क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत आगरा जिले की बाह तहसील में सड़कों का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री गंगा राम 24

(सात) प्रस्तावित वक्फ (संशोधन) विधेयक, जिस पर मुस्लिम संगठनों के साथ विचार-विमर्श हो चुका है, पुरःस्थापित किए जाने तथा वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 के गैर-विवादास्पद उपबंधों को तुरन्त लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री सैयद शाहबुद्दीन 24-25

(आठ) मैथिली को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

डा० गौरी शंकर राजहंस 25

(नौ) "पावर आफ अटार्नी" के माध्यम से बिक्री और लीज प्रणाली को समाप्त करके दिल्ली में प्लाटों और फ्लैटों की सीधी बिक्री की अनुमति दिये जाने की आवश्यकता

श्री जय प्रकाश अग्रवाल 25

(दस) उड़ीसा सरकार को राज्य में भूमि कटाव को रोके जाने के लिए नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वनरोपण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जेना 26

पृष्ठ

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के ग्रामवासियों को राशन में शहरी निवासियों के बराबर चीनी की सप्लाई सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री अक्तर हसन 26

(बारह) कटक दूरदर्शन केन्द्र को अपने कार्यक्रमों में सुधार किये जाने हेतु आधुनिक उपकरण प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक . . . 26-27

(तेरह) लोक सभा तथा महाराष्ट्र और गुजरात विधान मण्डलों में पारसी समुदाय को प्रतिनिधित्व दिये जाने के लिए संविधान में संशोधन किये जाने की आवश्यकता

श्री अजीज कुरेशी 27

(चौदह) देश में श्रमिक शक्ति का शोषण रोके जाने के लिए जन-शक्ति निगम स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ रथ 28

(पन्द्रह) पारादीप पत्तन पर कोयला गोदी का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण मलिक 28

(सोलह) सोनीपत (हरियाणा) में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री धर्मपाल सिंह मलिक 28-29

(सत्रह) सागर (मध्य प्रदेश) में एक नोदक कारखाना (प्रोपेलर फैक्टरी) और भारत अर्थ मूवर्स का एक इंजन कारखाना स्थापित किए जाने के बारे में शीघ्र निर्णय लिए जाने की आवश्यकता

श्री नन्दलाल चौधरी 29

(अठारह) उड़ीसा के कालाहान्डी जैसे पिछड़े क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता के साथ एक बृहत योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री जगन्नाथ पटनायक 29-30

(उन्नीस) हाल की वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों/पुलों का फिर से निर्माण किए जाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री के० डी० सुल्तानपुरी . . . 30

(बीस) भूमिगत जल के खारेपन को दूर किए जाने के लिए उपाय सुझाने हेतु तमिलनाडु के तिरुनेलवली जिले में एक केन्द्रीय दल

	पृष्ठ
भेजे जाने की आवश्यकता	
श्री आर० धनुषकोडी अतीतन	30
नियम 193 के अधीन चर्चा	31-54, 56-87
गांधी शान्ति प्रतिष्ठान तथा सम्बद्ध संगठनों के कार्यकलापों की जांच करने के लिए गठित कुदाल जांच आयोग का चौथा, पांचवा तथा छठा अन्तरिम प्रतिवेदन और अंतिम प्रतिवेदन	
श्री अजीज कुरेशी	31-38
श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन	38-41
श्री सोमनाथ रथ	41-45
श्री मनोज पांडे	45-49
श्री हरूभाई मेहता	49-54
श्री एन० टोम्बी सिंह	56-58
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	58-60
श्री गिरधारी लाल व्यास	60-62
प्रो० सैफुद्दीन सोज	62-64
डा० गौरी शंकर राजहंस	64-65
श्री राम स्वरूप राम	65-66
श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर)	66-67
श्री पी० एम० सईद	68-69
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	69
श्री जगन्नाथ पटनायक	70
श्री केयूर भूषण	70-71
श्री के० डी० सुलतानपुरी	71-72
श्री राम प्यारे पनिका	72
श्री पी० चिदम्बरम	73-87
असम के गोहपुर क्षेत्र में हिंसक घटनाओं के बारे में वक्तव्य	
श्री सन्तोष मोहन देव	54-56
भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक	87-96
(राज्य सभा द्वारा यथा पारित)	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सुख राम	87-88, 93-94

	पृष्ठ
श्री हरीश रावत	88-89
श्री चिन्तामणि जेना	89-90
प्रो० एन० जी० रंगा	90
श्री मोहम्मद अयूब खां (झुंझुनू)	90-91
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश	91
श्री भानु प्रताप सिंह	91-92
कुमारी ममता बनर्जी	92
श्री उमा कांत मिश्र	92
श्री राम प्यारे सुमन	93
खंडवार विचार	95
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सुखराम	96
श्री एन० टोम्बी सिंह	96
नियम 193 के अधीन चर्चा	97-101
महिलाओं पर अत्याचार	
श्रीमती प्रभावती गुप्त	97-99
श्री केयूर भूषण	99-101
दर्शक दीर्घा से कुछ व्यक्तियों द्वारा तथा सभा के अवसान के बारे में प्रस्ताव	101-102

लोक सभा

शुक्रवार, 18 अगस्त, 1989/27 श्रावण, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को श्री धर्म सिंह भाई पटेल, जो 1977-79 में छठी लोक सभा के सदस्य थे और गुजरात के पोरबंदर निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आये थे, के निधन की दुखद सूचना देनी है। इससे पहले वह 1967-71 और 1975-77 के दौरान गुजरात विधान सभा के सदस्य थे।

श्री पटेल का व्यवसाय कृषि था और वह एक जाने-माने राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह अनेक कृषि संगठनों में विभिन्न पदों पर रहे। उन्होंने हरिजन कल्याण, पंचायती राज तथा सहकारी आन्दोलन में गहरी रुचि ली। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण और खादी ग्रामोद्योग के प्रचार के लिए अनथक कार्य किया। वह 1977-78 और 1978-79 के दौरान सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य रहे।

श्री पटेल का 22 जुलाई, 1989 को राजकोट (गेजरात) में 70 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

हम अपने इस साथी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार को संवेदना प्रकट करने में यह सभा मेरे साथ है।

अब यह सभा अपना दुख प्रकट करने के लिए कुछ देर मौन खड़ी होगी।

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके

[हिन्दी]

चौधरी राम प्रकाश (अम्बाला) : स्पीकर सर, आज के "वीर अर्जुन" अखबार में आया है कि "देवीलाल का आतंकवादियों से गुप्त समझौता" जब भजनलाल मुख्यमंत्री हरियाणा के थे तो इन उग्रवादियों की कभी हरियाणा के अन्दर आने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। इससे पहले भी मैंने अर्ज किया था कि वे हरियाणा को पंजाब की तरह बनाना चाहते हैं। ऐसे * * आदमी को सजा देनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं।

[अनुवाद]

मैं ऐसे शब्दों की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

चौधरी राम प्रकाश : हरियाणा को पंजाब बनाने की कोशिश हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री भाटिया को अनुमति दी है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : खालिस्तान कमांडो फोर्स के स्वयंभू कमान्डर जनरल गुरदेव सिंह ने पंजाब के "अजित डेली" में कहा है कि हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री देवीलाल और खालिस्तान कमान्डो फोर्स के बीच एक समझौता हुआ है कि हरियाणा में शान्ति रहेगी और मुख्य मंत्री द्वारा उनके आंतकवादियों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब स्वयंभू कमान्डर ने उन्हें चेतावनी दी है कि कुछ मुठभेड़ें हुई हैं और कुछ सिख आंतकवादियों को गोली मारी गई है और उन्हें परेशान किया जा रहा है और इसलिए मुख्यमंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि यदि हिंसा जारी रही तो हरियाणा में और अधिक वारदातें होंगी। गृह मंत्री इस बारे में वक्तव्य दें कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कमान्डो फोर्स और मुख्य मंत्री के बीच कोई समझौता हुआ था। **(व्यवधान)**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : कमान्डो फोर्स के चीफ का नाम गुरसेवक सिंह है न कि गुरदेव सिंह। उन्होंने 17 अगस्त के अजित अखबार में एक लिखित वक्तव्य दिया है और उसके बाद वही बात आज वीर अर्जुन में दोहराई गई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि समझौता हुआ था।

[हिन्दी]

दो बार वहां आतंकवादियों की घटनायें हुई—एक पानीपत में और एक हिसार में। उन्होंने कहा कि इन दो घटनाओं के बाद चौधरी देवीलाल की सरकार ने यह वायदा कर लिया है कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, तुम्हें हथियार देंगे, तुम्हें जगह देंगे और तुम्हें पैसा देंगे। उन्होंने कहा कि

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

हरियाणा में आतंकवादियों की घटनायें न घटें, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि एनकाउन्टर में हमारे आदमी मरे हैं इसलिए देवीलाल को वह वार्निंग देते हैं। होम मिनिस्टर साहब इस बारे में स्टेटमेंट दें।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दें।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : वहां प्रेज़ीडेंट रूल होगा तो काम चलेगा, वरना वह आतंकवादियों से हरियाणा के दूसरे आदमियों को मरवायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह काम मैं नहीं कर सकता, यह स्टेट का काम है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हरुभाई मेहता (अहमदाबाद) : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अमरीकी दूतावास में एक अधिकारी को एक गुप्त पत्र लिखा जिसमें यह कहा गया है "मैं उसी दिशा में कार्य कर रहा हूं और स्थिति जून-जुलाई, 1989 तक स्पष्ट होगी"। इस पत्र से किसी षडयंत्र की बू आती है। यह पत्र आज "नेशनल हेरल्ड" में प्रकाशित हुआ है। गृह मंत्री को तुरन्त वक्तव्य देना चाहिए **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समझते हैं कि अध्यक्ष के इतने कान हैं कि वह आप सब की बात एक साथ सुन सकता है।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, यह वह पत्र है जो श्री वी०पी० सिंह ने अमरीकी दूतावास में किसी रहस्यमय अधिकारी को लिखा है। हम इसके तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं। कृपया आप सरकार को इसकी जांच करने का आदेश दें। यह अत्यंत गम्भीर मामला है। वह देश को अस्थिर बनाने जा रहे हैं··· **(व्यवधान)** आज इस सत्र का अन्तिम दिन है। कृपया आप अपने पद का इस्तेमाल करते हुए मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिए कहें। **(व्यवधान)**

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : महोदय, यह देश को अस्थिर बनाने की प्रक्रिया का अंग है। यह अत्यंत गम्भीर मामला है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिए, समस्या यह है कि आप यह नहीं समझते कि मेरे केवल दो कान हैं और मैं केवल एक ही आवाज सुन सकता हूं। 20 लोग एक साथ बोलने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक एक करके बोलिए ताकि मैं आपकी बात सुन सकूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया है। सीधी सी बात यह है कि इस मामले पर नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाए।

श्री हरुभाई मेहता : मैंने एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी छानबीन करूंगा। आप जो चाहें लिख कर दे सकते हैं। यदि आप इस संबंध में इतने उत्तेजित हैं, तो सरकार को इस मामले की छानबीन के लिए कह सकते हैं। सरकार ही इसकी जांच कर सकती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चान्दनी चौक) : हमारी बात तो सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : सुन लिया मैंने आपको।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : आप सब को बोलने का टाइम दें।

अध्यक्ष महोदय : आप सुन रहे थे, जब कुछ कहा जा रहा था।

(व्यवधान)

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : वह आदमी विश्वासघाती है, इसलिए क्या पता उसने पहले क्या किया। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया, आप सारे कह रहे थे। आप दोनों लम्बतार कह रहे थे।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : कोई बात कहना चाहते हैं, आप सब को मौका दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सब को मौका दिया है। लेकिन आपने क्या लिया मौका। कसूर किसका है।

सवाल यह पैदा होता है, क्या आप में अपनी बात कहने की शक्ति है।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री गोकुल सैकिया (सलीमपुर) : महोदय, असम में साम्प्रदायिक तनाव चल रहा है। उन्होंने उस जिलाधीश को स्थानान्तरित कर दिया है, जिसने वास्तविक तथ्य दिए हैं। अब यह मंगलदोई तक फैल गया है। कल या परसों यह असम के अन्य भागों में भी फैल सकता है। इसलिए, मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि असम में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अन्यथा वहां काफी साम्प्रदायिक तनाव हो जाएगा।

श्री समर ब्रह्म चौधरी (कोकराझार) : असम में गृह युद्ध की स्थिति है। यह स्थिति गोहपुर से मंगलदोई तक फैल गई है और यह संभावना है कि यह अन्य क्षेत्रों में भी फैलेगी। दारांग के उपायुक्त, जो जनजाति के हैं, को स्थानान्तरित कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने प्रेस को तथ्यों के बारे में सूचित किया है। केवल इतना ही नहीं जबकि असम सरकार ने वार्ता के लिए 28 अगस्त की तारीख निश्चित की है, इस बीच उन्होंने तीन जिले और बना दिए हैं जिनसे जनजातीय क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों को टुकड़ों में बांटना है। इसलिए असम सरकार का आशय बिल्कुल स्पष्ट है। इस सारे साम्प्रदायिक तनाव के पीछे असम सरकार का हाथ है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह संवैधानिक प्रमुख-राज्यपाल का काम है कि वह इस मामले को देखे और गृह मंत्री को उनसे सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।

श्री समर ब्रह्म चौधरी : माननीय गृह मंत्री एक वक्तव्य देना चाहते थे। किन्तु उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया। महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि गृह मंत्री महोदय सदन में एक वक्तव्य दें (व्यवधान)

श्री सी०पी० ठाकुर (पटना) : महोदय, श्री वी०पी० सिंह द्वारा लिखा गया पत्र तथा देवी लाल की घटना एक ही बात की ओर इशारा करती हैं। देश की अखण्डता और एकता खतरे में है। वह विदेशी एजेन्सियों के हाथ में खेल रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए, आप होम मिनिस्टर को लिखिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हरेन भूमिज (डिब्रूगढ़) : महोदय आज शायद आठवीं लोक सभा का आखिरी दिन है। छठी लोक सभा से लेकर आठवीं लोक सभा तक मेरा यह अनुभव रहा है कि समाज कल्याण मंत्रालय ने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के उत्थान की योजनाओं को कार्यान्वित करने में ईमानदारी नहीं बरती है। मैंने इस बारे में कई आपत्ति दिए हैं और सदन में भी इस बारे में कई बार बोल चुका हूं (व्यवधान)

असम में लगभग 45 लाख जनजातीय लोग हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : डिसकस करवा दें।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिए।

[अनुवाद]

मुझे पता नहीं है कि यह ठीक है अथवा गलत है।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो खत आज अखबारों में छपा है, उससे यह लगता है कि इस आदमी ने विश्वासघात किया है और यह किस तरह से यू०एस०ए० के साथ कोओपरेट कर रहा था। क्या पता जब वह मिनिस्टर था, तब भी बिका हुआ हो। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उस के खिलाफ इन्क्वायरी बैठाई जाए और यह मालूम किया जाए कि इस आदमी ने किस हद तक देश के साथ विश्वासघात किया है।...(व्यवधान)...

श्री जनकराज गुप्त (जम्मू) : अध्यक्ष महोदय, आप हाउस के कस्टोडियन हैं। हम जितने मैम्बर साहेबान यहां बैठे हैं, वे हिन्दुस्तान के लोगों को जवाबदेह हैं। यह लैटर वी० पी० सिंह का उनके एडी ने लिखा है...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिए।

श्री जनकराज गुप्त : मैंने लिखकर दिया है। (व्यवधान)

मैं चाहता हूं कि आप आश्वासन दें, क्योंकि यह हमारा राइट है और मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इस पर सरकार इन्क्वायरी करे। वी० पी० सिंह के एडी ने लिखा है, उसका प्रोफार्मा

डी०ओ० लैटर के रूप में अखबारों में आया है, सरकार को चाहिए कि इसकी इन्क्वारी कराए या हाउस में स्टेटमेंट दिया जाए कि असली मसला क्या है। यह बहुत गंभीर मामला है, किस तरह से वी० पी० सिंह देश को बेच रहे हैं, वे इनके हाथों में खेल रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक एक करके बोलिए, आप सब एकसाथ क्यों बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर) : अध्यक्ष महोदय, इनका कहना सही है कि होम मिनिस्टर साहब इसकी इन्क्वारी करें, लेकिन हम आपसे यह यकीनदहानी चाहते हैं, इस बात का एशोरेंस चाहते हैं, आप सरकार को डायरेक्ट करें कि वह इसमें इन्क्वारी करे, इसमें हमारा और होम मिन्सटर का सवाल नहीं है।

[شری محمد ایوب خاں (اودھم پور) : محترم اسپیکر صاحب۔ ان کا کہنا ہے کہ ہوم منسٹر صاحب اسکی انکوائری کریں لیکن ہم آپ سے یہ یقین دہانی چاہتے ہیں اس بات کا ایشورینس چاہتے ہیں آپ سرکار کو ڈائریکٹ کریں کہ وہ اسمیں انکوائری کرے۔ اس میں ہمارا اور ہوم منسٹر کا سوال نہیں ہے]

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे एशोरेंस की बात नहीं है, यह उनका अपना काम है।

श्री मोहम्मद अयूब खां : हम आपसे आश्वासन चाहते है।

[جناب محمد ایوب خاں : ہم آپ سے آشواسن چاہتے ہیں]

अध्यक्ष महोदय : मैंने बोल दिया है, आप लिख कर दे दीजिए।

श्री मोहम्मद अयूब खां : हम आपसे रियायत नहीं चाहते हैं, हम तो इन्क्वारी चाहते हैं।

[شری محمد ایوب خاں : ہم آپ سے رعایت نہیں چاہتے ہیں۔ ہم تو انکوائری چاہتے ہیں]

अध्यक्ष महोदय : मैं रियायत करूंगा भी नहीं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : आज संसद का अंतिम दिन है। हमें सदा आप से सुरक्षा मिलती है। अतः हम आप से इस संबंध में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। यह समाचार मात्र नहीं है। यह एक सच्चाई है। मैं आपको प्रमाण दे रही हूं। श्री वी० पी० सिंह ने नई दिल्ली में संयुक्त अमरीकी दूतावास में एक रहस्यमय अधिकारी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है, "मुझे आपका संदेश मिला है। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि मैं भी इसी दिशा में काम कर रहा हूं।" अतः हम जानना चाहते हैं कि यही दिशा कौन सी है ? यह पूर्ण रूप से हमारे देश के विरुद्ध है। यदि कोई हमारे देश को नष्ट करना चाहता है, हमारे देश को कमजोर बनाना चाहता है, तो सरकार को पूछताछ करनी है.....

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी बात की शुद्धि करनी है कि यह संसद का अंतिम दिन नहीं है।

कुमारी ममता बनर्जी : आज सत्र का अंतिम दिन है।

अध्यक्ष महोदय : आप इतना कह सकते हैं कि जब तक हम इसे नहीं बढ़ाते हैं, तो यह सत्र का अंतिम दिन हो सकता है।

कुमारी ममता बनर्जी : धन्यवाद, महोदय। (व्यवधान) एक मिनट। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। मैं आप से यह जानना चाहती हूं कि इस "XXI" का अर्थ क्या है? यह 1000 करोड़ रुपये अथवा 10,000 करोड़ रुपये का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। महोदया, आप सरकार को लिख सकती हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : क्या आप सरकार से जांच करने के लिए कहेंगे?

अध्यक्ष महोदय : आप सदन की एक माननीय सदस्या हैं। आप इसकी मांग कर सकती हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : किंतु हम आशा करते हैं कि आप कुछ करेंगे। (व्यवधान)

श्री हरभाई मेहता : गृह मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिए। उन्हें सभी पत्र निकलवाने चाहिएं और संसद को भी पता चलना चाहिए कि यह क्या है। बस इतना ही अध्यक्ष महोदय, कृपया गृह मंत्री को आदेश दें कि संसद को बताएं कि क्या बात है। (व्यवधान)

श्री टी० बशीर : आपने कहा कि आप इस संबंध में तथ्य इकट्ठे करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप सरकार को लिख सकते हैं।

श्री टी० बशीर : हाल में हमने एक ऐसे पत्र का उद्धरण दिया था जिसमें श्री वी० पी० सिंह ने उनके इलाहाबाद चुनाव के लिए वित्तीय सहायता के लिए श्री हाजी मस्तान को धन्यवाद दिया था। आप श्री हाजी मस्तान की ख्याति जानते हैं। श्री वी० पी० सिंह सदा मूल्यों पर आधारित राजनीति, ऊंचे-ऊंचे आदर्शों तथा ऊंचे सिद्धांतों की बात करते हैं। आज यह बात प्रकाशित हुई है कि उन्होंने किसी रहस्यमय अमरीकी अधिकारी को कुछ पत्र और कुछ दस्तावेज भेजे हैं। यह एक गम्भीर मामला है। पत्र में लिखा है, "मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूं जिसका उल्लेख आपने किया है।" प्रश्न यह है कि 'दिशा' क्या है? आप जानते हैं कि इस देश में अस्थिरता की प्रक्रिया चल रही है। मैं निश्चयपूर्वक कहता हूं कि यह इस देश में चल रही बहुत बड़ी अस्थिरता की प्रक्रिया का ही एक अंग है। यह इसी का एक अंग है। क्या आप समझते हैं कि यह एक गंभीर मामला नहीं है? आपके माध्यम से हमारा निवेदन यह है कि मंत्री महोदय को एक वक्तव्य देना चाहिए और इन बातों की जांच करनी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि इस देश के अन्दर और बाहर क्या हो रहा है और यह लोग अर्थात तथाकथित नेता विदेशी अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके क्या कर रहे हैं। यही प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री शान्ता राम नायक (पणजी) : मैं केवल अपना सुझाव देना चाहता हूं जो मैं गृह मंत्री को पहुंचाना चाहूंगा। इस मामले में धारा 124 अथवा किसी अन्य धारा के अधीन जिसमें उचित समझा जाए पूछताछ पूरी होने के पश्चात् बोट क्लब पर खुली अदालत में श्री वी० पी० सिंह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए ताकि समस्त जनता जान ले कि उन्होंने कौन सा गम्भीर अपराध किया है। मैं चाहूंगा कि आप यह बात गृह मंत्री तक पहुंचा दें।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, इस पत्र से साफ जाहिर होता है कि यह षड्यंत्र काफी दिनों से चल रहा है और इस्तीफा देना भी इसी से लिंक है। इससे यह पता लग रहा है कि यह कितना बड़ा षड्यंत्र है और कहां से लिंक होकर आ रहा है और देश के अन्दर किस तरह से अस्थिरता फैलाने के लिए यह बड़ी साजिश हो रही है। देश के अंदर यह देशद्रोही का काम हो सकता है, वही यह काम हो रहा है। मैं चाहूंगी कि सरकार इसकी इंक्वायरी करे। मैं इसके लिए लिखकर भेजूंगी। यह बहुत गंभीर मसला है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आपकी तरफ से सरकार के लिए डायरेक्शन होनी चाहिए।...(**व्यवधान**)...

[अनुवाद]

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आप इस बात के महत्व को समझें कि पूरा सदन इस पत्र पर उत्तेजित है। यह जानकारी एक ऐसे व्यक्ति ने उजागर की है जो श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के बहुत करीब था। उन्होंने देश के उच्चतम प्राधिकरण, अर्थात राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा है। हमें श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा लिखा पत्र ध्यान से पढ़ना है। इस पत्र के विषय को देखते हुए, हमारे पास इस पत्र के लिखने वाले अर्थात श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की नेकनीयती पर शंका करने का कारण है। इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि यह पत्र किस के नाम है। यह एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो राष्ट्र को क्षति पहुंचा रहा है और इसे इस प्रकार चलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आप स्वयं समस्त सदन की भावनाओं को समझ सकते हैं। अतः मैं पूरी नम्रता से आप से निवेदन करता हूं कि आप गृह मंत्री और सरकार को निदेश दें कि इस मामले की पूरी जांच करें क्योंकि आज सदन का सत्र समाप्त हो रहा है, गृह मंत्री को सभा का सत्र समाप्त होने से पूर्व एक वक्तव्य देना चाहिए।

श्री विजय एम० पाटिल (इन्दोल) : हम नहीं चाहते हैं कि हमारे लोकतन्त्र पर कोई देश हावी हो। हम जानते हैं कि अमरीका को ऐसा करने की आदत है। हमने फिलिपीन्स में देखा है कि वे चुनावों में अपने पर्यवेक्षक भेजते हैं और चुनाव प्रक्रिया में निदेश देते हैं; हमने चिली में भी यही देखा है। हम भारत में ऐसा होने नहीं देंगे। विशेषकर अग्नि के छोड़े जाने के पश्चात् हमने अमरीकियों की प्रतिक्रिया देखी है। पिछले डेढ़ वर्ष से क्या हो रहा है? पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान नियोजित ढंग से निर्वाचित लोकतन्त्र सरकार को गिराने के प्रयास किए गए हैं। यदि कुछ लोग बाहर की एजन्सियों और अमरीका जैसे देशों से सहायता लेना चाहते हैं तो हमें इस बात को गम्भीरता पूर्वक लेना चाहिए और सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि आप सच्चे देशभक्त हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी ओर से चुनाव वर्ष के दौरान सरकार को यथाशीघ्र जांच करने के आदेश दें और सच्चाई सामने लाएं। हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं।

डा० गौरी शंकर राजहंस (भागलपुर) : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का पत्र एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। मैं आप से केवल यह निवेदन करता हूं कि गृह मंत्री महोदय आज रात को एक वक्तव्य दें कि वह इस मामले की जांच कर रहे हैं।

श्री समर गुहा चौधरी : यह सत्र का अन्तिम दिन है और सम्भवतः अपने विचार मुक्त भाव से व्यक्त करने का अन्तिम अवसर है। जैसा मैंने पहले ही कहा है, असम में एक विशेष स्थिति है...

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह पहले ही सुन लिया है।

श्री समर गुहा चौधरी : वहां गृह-युद्ध की स्थिति है और असम सरकार ही इसका संचालन कर रही है। आपने कहा कि राज्यपाल अभिरक्षक हैं, किंतु मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई अभिरक्षक.....

अध्यक्ष महोदय : वे इस पर निगरानी रख रहे हैं।

11.24 म०पू०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

विश्व-भारती-शान्ति निकेतन का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : मैं, श्री पी० शिव शंकर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) विश्व-भारती, शान्तिनिकेतन के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्व-भारती शान्तिनिकेतन के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8280/89]

[हिन्दी]

श्री श्रीपति मिश्र (मछलीशहर) : मान्यवर, जनता दल एक राजनीतिक दल है और इस हाउस में आपने उसको मान्यता दी है। उस दल के लोग चाहे इस्तीफा दें या न दें, उस दल के लीडर की और दल की मान्यता इस हाउस में आप दे चुके हैं। उस दल के लीडर का एक लैटर है और वह लैटर फारेन एजेंसी को है। उसमें यह कहा गया है कि जो राह आप बता रहे हैं, उसी पर हम चल रहे हैं। यह ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपको इसकी नोटिस लेना चाहिए और हमारे होम मिनिस्टर को यह आदेश देना चाहिए कि निश्चित रूप से इसका पता लगा कर हाउस में आज ही यदि सम्भव हो तो, यदि सम्भव न हो तो किसी और दिन इस पर चर्चा की जाये।

कई माननीय सदस्य : आज ही, आज ही।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रही हूं कि आप तो प्रजातंत्र के रक्षक हैं। ऐसी स्थिति में जो यह वी० पी० सिंह का पत्र प्रकाशित हुआ है यह बहुत ही हृदय को चोट पहुंचाने वाला है। आज के इस प्रजातंत्र के जमाने में जबकि

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

हमारा देश सभी देशों से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध करते हुए विकास की ओर बढ़ रहा है इसके साथ इस प्रकार के ** मिलकर ** करके इस राष्ट्र की छवि को ध्वस्त करना चाहते हैं और इस प्रकार से जो वी० पी० सिंह के माथे पर कलंक का टीका इस पत्र के द्वारा लगा हुआ है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। हमारे गृह मंत्रीजी इस पर बयान दें, क्योंकि देश में अनादिकाल से जयचन्दों की कमी नहीं रही है चाहे वह प्राचीन काल हो, चाहे आज का, हम जो 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं इस प्रकार की विघटनकारी शक्तियां पैरों में बेड़ियां डालने का काम कर रही हैं। महिलाओं के अधिकारों का हनन भी इनके द्वारा किया गया है। इस पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, श्री चिदम्बरम आ गए हैं। उन्हें इस मामले में कुछ कहने का अवसर दें। **(व्यवधान)**

सभा पटल पर रखे गए पत्र—(जारी)

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, विदेश संचार निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की समीक्षा और उनके वार्षिक प्रतिवेदन आदि

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8281/89]

(ख) (एक) विदेश संचार निगम लिमिटेड, बंबई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) विदेश संचार निगम लिमिटेड, बंबई का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8289/89]

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

भारतीय पास्चर संस्थान, कूनूर तथा अखिल भारतीय वाक तथा श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण, केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के बारे 9.8.89 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3270 के उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मन्त्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : मैं श्री रफीक आलम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय पास्चर संस्थान, कूनूर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पास्चर संस्थान, कूनूर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8283/89]

(3) (एक) अखिल भारतीय वाक् तथा श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अखिल भारतीय वाक् तथा श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) अखिल भारतीय वाक् तथा श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 8284/89]

(5) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के बारे में श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3270 के 9 अगस्त, 1989 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8285/89]

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 613 (अ), जो 4 अगस्त, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पौंड स्टरलिंग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को उपर्युक्त मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की पुनरीक्षित दर निर्धारित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० का० नि० 723 (अ), जो 31 जुलाई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 अगस्त, 1987 की अधिसूचना संख्या 287/87-सी० शु० की वैधता 31 जुलाई, 1990 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० का० नि० 727 (अ), जो 1 अगस्त, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 36 माइक्रोन व्यास वाली अथवा उससे अधिक औसत वाली फाइबर कालीन श्रेणी वाली अपरिष्कृत ऊन के स्थान पर, 32 माइक्रोन और इससे अधिक औसत वाली व्यास के फाइबर वाली अपरिष्कृत ऊन पर शुल्क की रियायती दर की व्यवस्था की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० का० नि० 731 (अ), जो 1 अगस्त, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय टैगों, लेबलों, मुद्रित थैलों तथा स्टिकरों को, जब उनका आयात निर्यात माल के किसी विनिर्माता द्वारा किया जाये, कतिपय शर्तों के अध्यधीन सम्पूर्ण मूल सीमा-शुल्क और उपषंगी सीमा शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० का० नि० 732 (अ), जो 1 अगस्त, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा निर्यात माल के विनिर्माताओं को कूरियर सेवा के माध्यम से वाणिज्यिक नमूनों और प्रोटोटाइप माल के निःशुल्क आयात को सुकर बनाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा० का० नि० 735 (अ) तथा सा० का० नि० 736 (अ), जो 1 अगस्त, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिलिखित चुम्बकीय टेपों को मूल, अतिरिक्त और सम्पूर्ण सहायक सीमा शुल्क से पूर्ण छूट देना है यदि इनका आयात विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कम्प्यूटरों में प्रयोग किए जाने हेतु किया जाए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 8286/89]

(2) अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 728 (अ), जो 1 अगस्त, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनका आशय एक्रीलोनाइट्राइल के कोपालाइसर्स को उस स्थिति में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट देना है जब उनका प्रयोग केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली के अधीन अध्याय 10 की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए कारखाने के बाहर एक्रीलिक फाइबर के निर्माण में किया जाए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8287/89]

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचनाएं, बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम 1987 ; वलिय मालाबार ग्रामीण बैंक, मलाप्पुरम, बनासकांठा-मेहसाना ग्रामीण बैंक आदि के प्रतिवेदन तथा लेखे

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्दो फैलीरो) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का० आ० 310 (अ), जो 27 अप्रैल 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन प्रतिभूतियों में संविदाओं के बारे में गौहाटी स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, गौहाटी को 1 मई, 1989 से पांच वर्ष की और अवधि के लिए मान्यता दी गई है।

(दो) का० आ० 338 (अ), जो 8 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन प्रतिभूतियों में संविदाओं के बारे में कोचीन स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कोचीन को 10 मई, 1989 से पांच वर्ष की और अवधि के लिए मान्यता दी गई है।

(तीन) का० आ० 395 (अ), जो 1 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कतिपय शर्तों के अध्यधीन प्रतिभूतियों में संविदाओं के बारे में उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कानपुर को 3 जून, 1989 से पांच वर्ष की और अवधि के लिए मान्यता दी गई है।

(चार) का० आ० 402 (अ), जो 5 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन प्रतिभूतियों में संविदाओं के बारे में भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड, भुवनेश्वर को 5 जून, 1989 से पांच वर्ष की और अवधि के लिए मान्यता दी गई है।

(पांच) का० आ० 403 (अ), जो 5 जून, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 13 का विस्तार उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर नगर के नगरपालिका क्षेत्र पर किया गया है।

(छह) का० आ० 535 (अ), जो 10 जुलाई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन प्रतिभूतियों में संविदाओं के बारे में सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, राजकोट को 10 जुलाई, 1989 से तीन वर्ष की और अवधि के लिए मान्यता दी गई है।

(सात) का० आ० 536 (अ), जो 10 जुलाई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की

धारा 13 का विस्तार गुजरात राज्य में राजकोट नगरपालिका तथा राजकोट शहरी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र पर किया गया है। **[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०** 8288/89 **]**

(2) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ोदा अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1987, जो 25 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० सी० ओ० पी० डी० आई० आर० 27/108/81 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०** 8289/89 **]**

(3) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना, जो 27 मई, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 24 तथा 83 (1) में संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०** 8290/89 **]**

(4) निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक, मलाप्पुरम के वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन **[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०** 8291/89 **]**

(दो) बनासकांठा-मेहसाना ग्रामीण बैंक के वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। **[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०** 8292/89 **]**

(तीन) झबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। **[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०** 8293/89 **]**

(चार) बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०** 8294/89 **]**

(पांच) विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक के वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०** 8295/89 **]**

(छह) हिमाचल ग्रामीण बैंक के वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०** 8296/89 **]**

(सात) सारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०** 8297/89 **]**

(आठ) निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०** 8298/89]

(नौ) भगीरथ ग्रामीण बैंक के वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०** 8299/89]

(दस) राजगढ़-सिहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०** 8300/89]

(ग्यारह) चंबल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०** 8301/89]

(बारह) वल्लल्र ग्राम बैंक के वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०** 8302/89]

(तेरह) मंजिरा ग्रामीण बैंक के वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 8303/89]

(चौदह) औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बैंक के वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 8304/89]

(पंद्रह) रतलाम मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 8305/89]

(सोलह) चैतन्य ग्रामीण बैंक के वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 8306/89]

(सत्रह) सोलापुर ग्रामीण बैंक के वर्ष 1988-89 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 8307/89]

(5) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का वर्ष 1987-88 का प्रतिवेदन—संघ सरकार—रक्षा मंत्रालय—तट रक्षक (1989 का संख्यांक 15)। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 8308/89]

(दो) भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का वर्ष 1987-88 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल)—वाणिज्य मंत्रालय—निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (1989 का संख्यांक 16)। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8309/89]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री .....

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको तो भेज दिया था।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला : वह एक भिन्न मामला है। मैं वह मुद्दा नहीं उठा रहा हूं। मेरा मुद्दा भिन्न है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने विभाग में वेतन के भुगतान में विलम्ब के संबंध में मेरे प्रश्न के उत्तर में शुद्धि की है। यह बहुत अनियमित है। मैंने न केवल विशेषाधिकार का नोटिस दिया था अपितु निर्देश संख्या 115 के तहत भी नोटिस दिया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है कि यूनानी औषधि केन्द्रीय अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में गलत उत्तर दिया गया था। उत्तर 9 अगस्त को दिया गया था। 11 अगस्त को मैंने न केवल विशेषाधिकार-हनन का नोटिस दिया था अपितु निर्देश संख्या 115 के अंतर्गत भी नोटिस दिया था कि उत्तर एकदम गलत है। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में आज शुद्धि की है। यह बहुत अच्छी बात है। हम उनके आभारी हैं। किन्तु जैसी कि प्रक्रिया है पहले मुझे निर्देश संख्या 115 के अन्तर्गत वक्तव्य देने का मौका दिया जाना चाहिए था और फिर उन्हें उत्तर में शुद्धि करने के लिए आना चाहिए था, अन्यथा यह असंगति बताते हुए निर्देश 115 के तहत मेरे नोटिस को नजरअंदाज करना होगा। यह मात्र असंगति ही नहीं है। यह संबंधित अधिकारियों का कठोर रवैया है। वे वेतन का भुगतान करने के मामले में न केवल कठोर और लापरवाह हैं अपितु वे अपने मंत्रियों को भी गलत जवाब देते हैं और वे जवाब संसद में दिए जाते हैं। जब हम लोकहित में यह मामला उठाते हैं तब चुपचाप इस मामले को समाप्त किया जा रहा है। इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। जो भी अधिकारी हो मैं नहीं जानता कि वह अधिकारी कौन है—वेतन के भुगतान में इतनी अनियमितता बरतने के लिए उससे पूछताछ की जानी चाहिए। विभाग में सभी कर्मचारी महिला कर्मचारी थी। इन महिला कर्मचारियों को कई महीनों तक वेतन नहीं दिया गया। मंत्री महोदय को गलत उत्तर भेजा गया था। तब मंत्री महोदय ने बड़ी नम्रता-पूर्वक यहां आकर उत्तर में शुद्धि की। मामले को दबाया नहीं जाना चाहिए। मुझे सभा में विवरण रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। तब मंत्री महोदय को सभा को यह बताते हुए अपने वक्तव्य में शुद्धि करनी चाहिए कि वह ऐसे लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, आप पहले ही इस सम्बन्ध में जोर डालकर कह चुके हैं। इसे रिकार्ड में शामिल किया गया है। यह बहुत अच्छी बात है।

पर्वतीय क्षेत्रों में आकाशवाणी केन्द्रों के बारे में दिनांक 8 अगस्त, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3044 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पैट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नायक्वाल) : महोदय, मैं, प्रो० के०के० तिवारी की ओर से पर्वतीय

क्षेत्रों में आकाशवाणी केन्द्रों के बारे में श्री हरीश रावत द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3044 के 8 अगस्त, 1989 को दिये गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[पंचालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 8310/89]

पारादीप पत्तन के माध्यम से लौह अयस्क के निर्यात के बारे में दिनांक 11 अगस्त, के 1989 अतारांकित प्रश्न संख्या 3567 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : महोदय, मैं, श्री प्रियरंजनदास मुंशी की ओर से "पारादीप पत्तन के माध्यम से लौह अयस्क के निर्यात के बारे में श्री हरिहर सोरन द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3567 के 11 अगस्त, 1989 को दिये गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)" सभा पटल पर रखता हूं।

[पंचालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8311/89]

11.31 म० पू०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है—

(एक) "मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरुवार, 10 अगस्त, 1989 को हुई अपनी बैठक में लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लोक सभा की लोक लेखा समिति में श्री पार्वतनेनि उपेन्द्र, श्री वीरेन्द्र वर्मा, और श्री जसवन्त सिंह के स्थान पर, जिन्होंने समिति की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है, समिति की शेष अवधि के लिए समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से तीन सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए राजी हो और उक्त समिति में काम करने के लिए राज्य सभा के सदस्यों में से तीन सदस्य इस प्रकार निर्वाचित करें, जैसा कि सभापति इस संबंध में निदेश दें।"

मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है :

(1) श्री पवन कुमार बंसल।

(2) श्री गुलाम रसूल मट्टू।

(3) श्री एन० टी० गोपालन।

(दो) मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरुवार, 10 अगस्त 1989 को हुई अपनी बैठक में सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लोक सभा की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति में श्री टी० आर० बालू, श्री दिपेन घोष और श्री कमल मोरारका के स्थान पर, जिन्होंने समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है, समिति की शेष अवधि के लिए समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से तीन सदस्य नाम निर्दिष्ट करने के लिए राजी हो और उक्त समिति में काम करने के लिए राज्य सभा के सदस्यों में से तीन सदस्य इस प्रकार निर्वाचित करें, जैसा कि सभापति इस संबंध में निदेश दें।"

मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है :

(1) श्री भीम राज।

(2) श्री बी० वी० अब्दुल्ला कोया।

(3) प्रो० (श्रीमती) असीमा चटर्जी।

11.32 म०पू०

रेल अभिसमय समिति

14वां प्रतिवेदन

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : मैं चल स्टाक कार्यक्रम के संबंध में रेल अभिसमय समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

11.32½ म०पू०

याचिका समिति

कार्यवाही-सारांश

प्रो० सलाउद्दीन (गोड्डा) : मैं याचिका समिति की 66वीं, 67वीं, 69वीं से 78वीं, 81वीं से 88वीं और 90वीं से 95वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

11.33 म०पू०

मध्य प्रदेश में प्रत्येक पंचायत को टेलीफोन उपलब्ध कराए जाने के बारे में दिनांक 31.7.1989 के तारांकित प्रश्न संख्या 184 के संबंध में पूछे गए अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में सुधि करने वाला वक्तव्य

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : मध्य प्रदेश में प्रत्येक पंचायत को टेलीफोन उपलब्ध कराने के बारे में श्री शांता राम नायक द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 1989 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 184 की अनुपूरक टिप्पणी का जवाब देते हुए मैंने कहा था कि "महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि केवल मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं अपितु पूरे देश के लिए जो कि 1989-90 है।"

जवाब इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :

"महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि केवल मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं अपितु 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरे देश के लिए।"

यह भूल मेरे ध्यान में हाल ही में आई है।

असुविधा के लिए खेद है।

11.33½ म०पू०

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष कर विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक*

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : मैं, श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से, प्रस्ताव करता हूं कि आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957 तथा दान-कर अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957 तथा दान-कर अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ए०के० पांजा : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

(व्यवधान)

---

* दिनांक 18 अगस्त, 1989 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, श्री चिदम्बरम यहां पर उपस्थित हैं। आज इस अधिवेशन का अन्तिम दिन है। उन्हें श्री वी० पी० सिंह के पत्र के बारे में वक्तव्य देना चाहिए। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। **(व्यवधान)** मंत्री को सभा को यह आश्वासन देना चाहिए कि वह इन तथ्यों की जांच करेंगे।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : यह हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है।

(व्यवधान)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, इस समय मैं जो कह सकता हूं वह यह कि सरकार ने यह रिपोर्ट देख ली है। यदि मुझे कोई और सूचना मिलेगी तो मैं उसे निश्चित रूप से सभा के सामने रखूंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस से अधिक और कुछ नहीं।

(व्यवधान)

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : क्या मैं आपका ध्यान जो कुछ हरियाणा में हो रहा है उसकी ओर दिला सकता हूं ? श्री भाटिया ने इस विषय के संबंध में बोला है। मैं यहां पर नहीं था। मैं हरियाणा से हूं। मैं हरियाणा का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुख्य मंत्री, जो कि राज्य के प्रमुख हैं। उनकी सक्रिय मिलीभगत से हरियाणा में क्या हो रहा है·····

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कैसे कहते हैं।

[अनुवाद]

श्री चिरंजी लाल शर्मा : एक पत्र प्रकाशित हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि कमांडो फोर्स के साथ एक समझौता हुआ है·····

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह तो अखबारी खबर है। पता करनी पड़ेगी।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : यह अखबारी खबर का सवाल नहीं है।

[अनुवाद]

गृह मंत्री को वक्तव्य देने दीजिए। यदि कोई बात समाचार पत्र में प्रकाशित होती है, तो उस बात की सरकार द्वारा निश्चित रूप से जांच की जा सकती है। सरकार को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। यदि आतंकवादियों द्वारा हरियाणा के लोगों पर अत्याचार किये जाते हैं और आतंकवादियों और मुख्य मंत्री के बीच में वहां समझौता है—

[हिन्दी]

हमारे यहां देहात में कहते हैं कि जब मेढ़ खेत को खाने लग जाएगी तो क्या होगा।

[अनुवाद]

यदि मुख्य मंत्री कहते हैं, "ठीक है, हम आपको शरण देंगे, हम आपके बचाव के लिए आएंगे।" तब सरकार को इसी समय बरखास्त कर देने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से अपील करता हूं कि इस समाचार की पूरी तरह से जांच की जाए। यदि यह सिद्ध हो जाता है, यदि इसका रत्ती भर भी सबूत मिलता है, तब आपको संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : गृह मंत्री को कहने दीजिए कि वह इस मामले की जांच करेंगे। यह प्रश्न बहुत से लोगों द्वारा उठाया गया है और यह केवल एक समाचार पत्र में ही नहीं बल्कि बहुत से समाचार पत्रों में आया है। गृह मंत्री यहां पर हैं। उन्हें वक्तव्य देना चाहिए।

11.35 म०पू०

पोत परिवहन अभिकर्ता (अनुज्ञापन) विधेयक संबंधी संयुक्त समिति

समिति में लोक सभा के आठ सदस्य नियुक्त किए जाने की राज्य सभा की सिफारिश से सहमति का प्रस्ताव

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा पोत परिवहन अभिकर्ता (अनुज्ञापन) विधेयक, 1987 संबंधी संयुक्त समिति में श्री बी० बी० रमैया, श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री एच०ए० डोरा, श्री सत्यगोपाल मिश्र, डा० सुधीर राय, प्रो० पराग चालिहा, श्री एच० एन० नन्जे गौडा तथा श्री एच० एम० पटेल द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण हुए रिक्त स्थानों पर आठ सदस्य नियुक्त करे तथा यह सभा संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में उक्त रिक्त स्थानों को भरने के लिए श्री कृष्ण प्रताप सिंह, श्री ईश्वर भाई के० चावड़ा, श्री एच० जी० रामुलू, श्री जगन्नाथ पटनायक, श्री आर० धनुषकोडी अतीतन, श्री कमला प्रसाद सिंह, श्री समर ब्रह्म चौधरी तथा श्री इब्राहिम सुलेमान सेत को नाम-निर्दिष्ट किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा पोत परिवहन अभिकर्ता (अनुज्ञापन) विधेयक, 1987 संबंधी संयुक्त समिति में श्री बी० बी० रमैया, श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री एच० ए० डोरा, श्री सत्यगोपाल मिश्र, डा० सुधीर राय, प्रो० पराग चालिहा, श्री एच०एन० नन्जे गौडा तथा श्री एच० एम० पटेल द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण हुए रिक्त स्थानों पर आठ सदस्य नियुक्त करे तथा यह सभा संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में उक्त रिक्त स्थानों को भरने के लिए श्री कृष्ण प्रताप सिंह, श्री ईश्वर भाई

[श्री धर्मपाल सिंह मलिक]

के० चावड़ा, श्री एच० जी० रामुलू, श्री जगन्नाथ पटनायक, श्री आर० धनुषकोडी अतीशन, श्री कमला प्रसाद सिंह, श्री समर गुहा चौधरी तथा श्री इब्राहिम सुलेमान सेत को नाम-निर्दिष्ट किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

11 36 ब०पू०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आगरा से आने और आगरा जाने के लिए और अधिक रेलगाड़ियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री निहाल सिंह बंन (आगरा) : अध्यक्ष महोदय, आगरा उत्तर प्रदेश का तीसरा महानगर तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र होने के उपरान्त भी रेल सुविधाओं में सबसे अधिक उपेक्षित है। यह नगर केवल एक "इन्टरमीडियरी" स्टेशन बनकर रह गया है। पूर्व में यहां से चलने वाली लखनऊ के लिये अवध एक्सप्रेस को अब गोरखपुर-रतलाम तथा दिल्ली के लिये कुतुब एक्सप्रेस को दिल्ली जबलपुर कर दिया गया है। अपर इण्डिया एक्सप्रेस के बन्द हो जाने के बाद उच्च-न्यायालय, इलाहाबाद के लिये एकमात्र उपलब्ध रेल दिल्ली-हावड़ा तूफान एक्सप्रेस है, जिसका समय अत्यन्त असुविधाजनक है। अतः देश एवं प्रदेश की राजधानियों तथा उच्च-न्यायालय के लिये आवागमन की भारी परेशानी हो रही है।

अवध एक्सप्रेस में भी रात्रि में आगरा-लखनऊ के मध्य ए० सी० स्लीपर कोच न लगाकर दिन में लखनऊ-गोरखपुर के बीच लगाई जाती है। दिल्ली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस व प्रयागराज एक्सप्रेस को टूंडला पर आगरा के यात्रियों की सुविधा के लिये रोका जा सकता है, जिसे अनदेखा किया जा रहा है। वस्तुतः गत पांच वर्षों में इस नगर के लिये किसी प्रकार की रेल सुविधा का विस्तार नहीं हुआ है। दिल्ली-भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस भी दिल्ली के यात्रियों की सुविधार्थ है। कलकत्ता तथा दक्षिण की ओर जाने वाली रेलों में शायिकाओं का कोटा अत्यन्त अल्प है और गत एक दशक में अपरिवर्तित रहा है।

रेल मंत्री से आग्रह है कि वे आगरा की पर्यटन तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं का उच्चस्तरीय प्राक्कलन करायें और तदनुसार रेल सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता से करायें।

(दो) हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना, पश्चिम बंगाल को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, मैं पश्चिम बंगाल में हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं जो कि स्वीकृति के लिए वित्त

मंत्रालय के पास लम्बित पड़ी है। उद्योग मंत्रालय इस परियोजना को दो बार स्वीकृत कर चुका है। राज्य में बेरोजगारी की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इस परियोजना को तत्काल स्वीकृत करना आवश्यक है ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति को सुस्थिर बनाया जा सके।

इसकी अत्यावश्यकता पर विचार करते हुए तथा पश्चिम बंगाल के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए, मैं इस परियोजना को तत्काल स्वीकृत करने के लिए सरकार से अनुरोध करती हूं।

(तीन) मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कम्मोदीलाल जाटव (मुरैना) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में इस समय बेरोजगारी बहुत अधिक फैली है। शिक्षित बेरोजगार बेकार घूम रहे हैं। जहां 100 जगह नौकरी की निकलती हैं, वहां हजारों लड़के नौकरी के लिये आते हैं। यहां मुख्यत: खेतीबाड़ी होती है, जिस कारण कोई दूसरा काम-धंधा भी नहीं मिलता। ऐसी सूरत में युवा बेरोजगारों में असन्तोष की भावना उभर रही है।

अत: मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि शिक्षित बेरोजगारों को रेलवे, पुलिस या अन्य केन्द्रीय विभागों में नौकरी दिलायी जाये अथवा मध्य प्रदेश में केन्द्र द्वारा संचालित उद्योग-धंधे चालू किये जायें जिससे कि युवाओं को उचित रोजगार मिल सकें।

(चार) राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राजस्थान सरकार को आवश्यक सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री शंकर लाल (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित सूचना देना चाहता हूं :

"राजस्थान में इस वर्ष भी पर्याप्त वर्षा न होने से सूखे की गम्भीर स्थिति बनती जा रही है। एक तरफ पूरे राजस्थान में खरीफ की फसल नहीं के बराबर है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान में तो पीने के पानी का भी संकट महसूस होने लगा है। पूर्व में लगातार चार वर्षों के अकाल से राजस्थान को भुखमरी से बचाने के लिए भारत सरकार ने जिस प्रकार से पानी, चारा और अकाल राहत कार्य खोलने की व्यवस्था में मदद की थी, उसी प्रकार की मदद यदि इस वर्ष करने के लिए अभी से वांछित प्रक्रिया चालू नहीं की गई, तो स्थिति भयावह हो सकती है।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि इस तरफ अविलम्ब ध्यान देकर राजस्थान को अकाल की इस प्राकृतिक विपदा से विशेषकर ग्रामीण जनता को राहत पहुंचाने हेतु योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान सरकार की मदद करे।"

(पांच) बम्बई में साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों को निगम के स्वामित्व वाले फ्लैटों को किराए या स्वामित्व के आधार पर अपने पास रखे जाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनूपचन्द शाह (बम्बई उत्तर) : महोदय, जीवन बीमा और सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण किये जाने से पहले जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम में काम करने वाले

[श्री अनूपचन्द शाह]

कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित किये गए थे। जीवन बीमा और सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण किये जाने के बाद, इस सुविधा को वापस ले लिया गया है। इसमें विशेषकर बम्बई जैसे महानगरों में, किराये पर या मालिकाना तौर पर मकान प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है, इसीलिए जीवन बीमा निगम में काम करने वाले कर्मचारियों ने सरकार से अनुरोध किया था कि जो स्टाफ क्वार्टर उनके कब्जे में हैं, उन्हें या तो किराये पर दे दिया जाए अथवा उन्हें बेच दिया जाए। सरकार ने इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बाद में मकान उन्हें किराये पर/मालिकाना आधार पर दे दिये थे।

अब आम बीमा का राष्ट्रीयकरण कर दिये जाने के बाद, सामान्य बीमा निगम के कर्मचारी विशेषकर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी के कर्मचारियों के सामने यही समस्या है। उन्होंने यह अनुरोध किया है कि कर्मचारियों के पास जो क्वार्टर 1969 से पहले कब्जे में हैं, उन्हें कर्मचारियों को किराये पर अथवा मालिकाना आधार पर दे दिया जाए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उनके इस अनुरोध पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए।

(छः) दस्यु प्रभावित क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत आगरा जिले की बाह तहसील में सड़कों का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गंगा राम (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित सूचना देता हूं—

"दस्यु प्रभावित क्षेत्र विकास योजना उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में क्रियान्वित हो रही है। जिला आगरा की तहसील बाह में चम्बल घाटी बीहड़ सुधार का कार्य हो रहा है। वहां कई किलोमीटर लम्बी पक्की सड़कों का निर्माण भी स्वीकृत है, किन्तु करोड़ों रुपए की इस योजना का क्रियान्वयन नितान्त असन्तोषजनक है। यह धनराशि भारत सरकार ने ई० ई० सी० के सहयोग से उपलब्ध कराई है।

अतः उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश जारी किए जाएं कि वे इस योजना के कार्य को द्रुतगति से पूरा करें।"

(सात) प्रस्तावित वक्फ (संशोधन) विधेयक, जिस पर मुस्लिम संगठनों के साथ विचार-विमर्श हो चुका है, पुरःस्थापित किए जाने तथा वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 के गैर-विवादास्पद उपबन्धों को तुरन्त लागू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय वक्फ की सम्पत्तियों का प्रबन्ध ठीक से नहीं चल रहा है, उन पर अतिक्रमण और गैर कानूनी रूप से कब्जे किए जा रहे हैं जिससे उनकी आय सीमित हो रही है और मुस्लिम समुदाय को वांछित लाभ कम हो रहा है। उनकी अधिक प्रभावी सुरक्षा तथा अधिक लाभकारी उपयोग हेतु मुस्लिम समुदाय की मांग को ध्यान में रखते हुए वक्फ अधिनियम, 1954 में 1984 में संशोधन किया गया था। परन्तु ये संशोधन मुस्लिम समुदाय की

आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहे। यह महसूस किया गया कि 1984 में संशोधित अधिनियम से और अधिक कानूनी अड़चनें पैदा हो गई हैं। सरकार ने 1984 में संशोधित अधिनियम, को तत्काल प्रभावी न करने और इसमें और संशोधन करने की मुस्लिम समुदाय की मांग को मान लिया था।

पांच वर्ष बीत गये हैं और मुस्लिम सांसदों तथा संगठनों सहित मुस्लिम समाज के विभिन्न वर्गों के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया है। उनकी सहमति से एक संशोधन विधेयक तैयार किया गया है परन्तु इसे अभी तक संसद में पुरःस्थापित नहीं किया गया है। इस दौरान, संशोधन अधिनियम, 1984 की अविवादास्पद धाराओं और लाभकारी प्रावधानों को प्रभावी नहीं किया गया है और बेईमान तत्व वर्तमान कमियों का लाभ उठा रहे हैं।

इसलिए, यह निवेदन है कि संशोधन विधेयक को यथाशीघ्र पुरःस्थापित किया जाये और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 की अविवादास्पद धाराओं को तत्काल लागू किया जाए।

(आठ) मैथिली को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : महोदय, मैथिली भाषा भारत के लगभग 6 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। परन्तु यह आश्चर्यजनक बात है कि बार-बार निवेदन करने के बावजूद इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। यह निवेदन है कि इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करना चाहिए।

(नौ) "पावर आफ अटार्नी" के माध्यम से बिक्री और लीज प्रणाली को समाप्त करके दिल्ली में प्लाटों और फ्लैटों की सीधी बिक्री की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा कई बार इस तरह के उत्तर इस संसद में दिए जा चुके है कि सरकार दिल्ली में लीज प्रणाली को खत्म करने पर विचार कर रही है और इसे शीघ्र समाप्त करने की सरकार की मंशा है परन्तु इस पर कोई निर्णय अभी तक नही किया गया है।

दिल्ली में हजारों लोग "पावर आफ अटार्नी" पर अपने प्लाट और फ्लैटों की बिक्री कर रहे है जिसके कारण खरीददार को बिना अपने नाम में रजिस्ट्री कराये मोटी रकम प्लाट-होल्डर को देनी पड़ती है। सबसे बडी दुर्भाग्य की बात यह है कि अपना प्लाट बेच देने के बाद भी कागजों में प्लाट होल्डर ही उसका मालिक बना रहता है। खरीददार को पूरा पेमेंट कर देने के बाद भी प्लाट होल्डर के दबाव में रहना पड़ता है और बहुत सारे विवाद खड़े हो जाते हैं जिससे लोगों की गाढ़ी कमाई खतरे में पड़ जाती है।

मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह शीघ्र लीज प्रणाली को खत्म करे जिससे खरीद-फरोख्त करने वालों को सहूलियत हो।

(दस) उड़ीसा सरकार को राज्य में भूमि कटाव को रोके जाने के लिए नदियों के जल-ग्रहण क्षेत्रों में वन रोपण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : उड़ीसा में सुवर्ण रेखा, बैतरणी, बुढबलंगा, ब्राह्मणी तथा इन्द्रावती जैसी नदियों में प्रतिवर्ष भारी बाढ़ आती है और कई सौ गांवों और लाखों एकड़ फसल को भारी क्षति पहुंचाती हैं। इसके अतिरिक्त भूमि कटाव और भारी मात्रा में कूड़ा-करकट इसकी नियमित विशेषतायें हैं। पिछले तीन वर्षों में अकेली सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बसे आठ गांव पूरी तरह डूब गये और व्यापक क्षेत्र पेचिश के कारण बीरान हो गये। इन नदियों के बाढ़ग्रस्त जलग्रहण क्षेत्रों को और अधिक क्षति से बचाने के लिए भूमि कटाव को रोकने हेतु वनरोपण अत्यन्त आवश्यक है।

उड़ीसा सरकार ने अपने संसाधनों की अत्यधिक कमी के बावजूद इन जलग्रहण क्षेत्रों को अति-सार रोध तथा 1.30 लाख हेक्टेयर भूमि को कटाव से बचाने के लिए 8.30 करोड़ रुपये खर्च किये हैं परन्तु कई लाख एकड़ भूमि अभी बची हुई है।

इसलिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से निवेदन किया है कि वह इन बाढ़ ग्रस्त जलग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण और भूमि रक्षण हेतु 50% अनुदान के रूप में तथा 50% ऋण के रूप में धनराशि प्रदान कर इन नदी परियोजनाओं को शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान करे।

अत: मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इन योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करे और वर्तमान वित्त वर्ष में शीघ्र धनराशि प्रदान करे।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के ग्रामवासियों को राशन में शहरी निवासियों के बराबर चीनी की सप्लाई सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अख्तर हसन (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान देश की खाद्य व नागरिक आपूर्ति के अन्तर्गत सार्वजनिक राशन प्रणाली द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति हो रहे सौतेले व्यवहार की ओर दिलाना चाहता हूं। जहां एक ओर सरकार ग्रामीण तबकों के विकास के लिए जी जान से कोशिश कर रही है वहीं राशन प्रणाली द्वारा गरीब व भोले भाले ग्रामीणों को प्रति यूनिट 250 ग्राम चीनी दी जा रही है जबकि शहरों में प्रति यूनिट एक किलो चीनी दी जाती है। अपने क्षेत्र का दौरा करते समय मैंने ऐसी ही शिकायतों से भरे प्रार्थना पत्र उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री व जिले के जिलाधिकारी को भी भेजे हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस नीति को समाप्त कर गांव व शहर वालों को एक जैसी मात्रा में ही चीनी का वितरण करें।

(बारह) कटक दूरदर्शन केन्द्र को अपने कार्यक्रमों में सुधार किए जाने हेतु आधुनिक उपकरण प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : कटक में दूरदर्शन केन्द्र फिलहाल 2 घंटे 40 मिनट का उड़िया कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है जिसमें 40 मिनट का क्षेत्र विशेष कार्यक्रम भी शामिल है। यह

केन्द्र पहले सम्बलपुर से प्रसारित करने हेतु कार्यक्रम बना रहा था और वहां जो उपकरण थे वे "ब्लैक एण्ड व्हाईट" तस्वीर के लिए थे। बाद में इन उपकरणों में सुधार करके या बदल कर के रंगीन तस्वीर के अनुरूप बना दिया गया था। जुलाई, 1988 से उड़िया में समाचारों का प्रसारण भी हो रहा है जिसकी अवधि अब बढ़ा कर 15 मिनट कर दी गई है। परन्तु यह खेदजनक बात है कि कार्यक्रम बहुत घटिया किस्म के होते हैं और अक्सर उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। दूरदर्शन के कटक केन्द्र द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की घटिया किस्म के लिए अपर्याप्त उपकरण जिम्मेदार हैं। समाचार बुलेटिन में आवश्यक दृश्य नहीं दिखाये जाते क्योंकि ई० एन० जी० कैमरे अधिकांश बार खबरों के समय उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए मैं यह मांग करती हूं कि कटक दूरदर्शन केन्द्र को पर्याप्त संख्या में ई० एन० जी० कैमरे तथा अन्य उपकरण प्रदान किए जाने चाहियें। भारत सरकार ने कटक दूरदर्शन केन्द्र के क्षेत्रीय नेटवर्क कार्यक्रम में उड़िया में विधान सभा समाचार प्रसारित करने का प्रस्ताव रखा था। इस कार्यक्रम को उस समय शुरू किया जा सकता है जबकि विधान सभा का सत्र चल रहा हो जैसाकि राष्ट्रीय प्रसारण में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जा रहा है। इसलिए, मैं यह मांग करती हूं कि सरकार इस कार्यक्रम को उड़ीसा विधान सभा के अगले सत्र से शुरू करे और इसके लिए कटक दूरदर्शन केन्द्र को अनुमति प्रदान करे।

(तेरह) लोक सभा तथा महाराष्ट्र और गुजरात विधानमंडलों में पारसी समुदाय को प्रतिनिधित्व दिये जाने के लिए संविधान में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री अजीज कुरैशी (सतना) : पारसी समुदाय भारत का एक प्राचीन, सभ्य तथा प्रगतिशील समुदाय है। भावी पीढ़ियां पारसी समुदाय के औद्योगिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा लोकोपकारी क्षेत्रों में ऐतिहासिक भूमिका तथा इन क्षेत्रों में पारसियों द्वारा प्राप्त महान उपलब्धियों को नहीं भुला सकती।

इस छोटे तथा प्रतिष्ठित समुदाय ने भारत की रक्षा हेतु भारतीय सेना में असाधारण कार्य किए हैं और भारत को ख्याति प्रदान की है। वीरता के इतिहास में यह एक अमिट अध्याय है। हम इस तथ्य को कभी नहीं भूल सकते कि हमने एक पारसी जनरल के नेतृत्व में 1971 का बंगला देश युद्ध जीता था।

पारसी न्यासों तथा अन्य धर्मार्थ संगठनों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्रों में दिये गये अपूर्व योगदान पर मानवता गर्व करेगी। सबसे प्रशंसनीय बात यह है कि उनके संसाधनों तथा उपलब्धियों के बावजूद भी पारसी समुदाय ने अन्य धर्म के लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करने का प्रयत्न नहीं किया। इन तथ्यों के प्रकाश में यह जरूरी है कि पारसियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। पारसी समुदाय के एक सदस्य को लोक सभा में नामजद किया जाना चाहिए, दो सदस्यों को महाराष्ट्र विधान सभा में नामजद किया जाना चाहिए और सदस्य को महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए नामजद किया जाना चाहिए तथा गुजरात विधान सभा और विधान परिषद में प्रत्येक में एक सदस्य नामजद किया जाना चाहिए। संविधान में ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए जैसाकि एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए किया गया है।

(चौदह) देश में श्रमिक शान्ति का शोषण रोके जाने के लिए जनशान्ति निगम स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : एक कल्याणकारी राज्य का सपना उस समय तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि मजदूर वर्ग की दशाओं में सुधार नहीं होता। हमारे देश में उनके भोलेपन का फायदा उठाकर श्रमिक सरदार मजदूरों का शोषण करते हैं और उन्हें कष्टदायक परिस्थितियों में काम करने के लिए बाध्य करते हैं। ये सरदार मजदूरों को विदेशों में भेजने का झांसा देकर लाते हैं परन्तु इसके विपरीत उनका शोषण करते हैं और भारत में कम मजदूरी पर कार्य करने हेतु उन्हें बाध्य करते हैं। यह प्रथा उड़ीसा में जोरों पर है।

राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर जनशक्ति निगम खोले जाने चाहिये जिन्हें देश में तथा विदेशों के लिए श्रमिकों की भर्ती करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। इन निगमों को आंकड़ा बैंक की सहायता मिलनी चाहिए जो राज्य स्तर पर संचालित होने चाहियें और श्रमिकों की भर्ती के मामले में जनशक्ति निगमों को आंकड़े प्रदान करने चाहियें। इन निगमों को श्रमिकों हेतु उपयुक्त नौकरी तलाश करनी चाहिए।

उपयुक्त ढंग से संचालित जनशक्ति निगम की स्थापना से श्रमिक वर्ग के दुःखों के निवारण में सहायता मिलेगी।

(पन्द्रह) पारादीप पत्तन पर कोयला गोदी का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण मलिक (जगतसिंहपुर) : पारादीप पर कोयला गोदी न होने से कोयले तथा कोल इंडिया लिमिटेड का भविष्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। यदि पारादीप बन्दरगाह पर शीघ्र ही एक अलग कोयला गोदी का निर्माण नहीं किया गया तो इस पर भारी मात्रा में व्यापार में कमी आयेगी। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, जो पारादीप पत्तन के द्वारा कोयले का प्रमुख रूप से आयात करती है, ने इस पत्तन द्वारा आयात बन्द कर देने की धमकी इस आधार पर दी है कि यहां आधारभूत सुविधाओं की कमी है। पारादीप के माध्यम से कम्पनी का कोयले का औसत आयात 6.5 लाख टन प्रतिवर्ष है। इस पत्तन पर कोयले की ढुलाई के लिए आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्तरी मद्रास ताप विद्युत परियोजना, तूतीकोरीन ताप विद्युत-गृह तथा कड्डालोर ताप विद्युत परियोजना के लिए एक करोड़ टन कोयला भेजने के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा है। सरकार ने हल्दिया से सात करोड़ रुपये की लागत से कोयला संचालन संयन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है जो पारादीप द्वारा संचालित कोयले का केवल चौथाई हिस्सा है।

पारादीप पत्तन पर एक कोयला गोदी का निर्माण करना हर तरह से उचित है। इसलिए, मैं यह मांग करता हूं कि और अधिक देरी किए बिना पारादीप पत्तन पर एक कोयला गोदी स्थापित की जाए।

(सोलह) सोनीपत (हरियाणा) में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रान्त के जिला सोनीपत के किसानों की खेती योग्य भूमि पर छोटे-छोटे उद्योगों के विस्तार होने तथा दिल्ली के समीप होने के

कारण बढ़ती हुई आबादी के फलस्वरूप हो रहे शहरों के विस्तार के कारण, किसान परिवारों की खेती योग्य भूमि में आ रही कमियों से, किसानों की आय और कम होती जा रही है। उद्योग धंधे छोटे-छोटे होने के कारण रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं हैं जिससे न तो किसान परिवारों को नौकरी के पर्याप्त अवसर मिल सके और न ही इन उद्योगों के लिये अन्य स्रोतों का विस्तार करके अपनी आय बढ़ाने के अवसर ही प्राप्त कर सके जिसके कारण किसान परिवारों को चिन्ताजनक स्थिति में निर्वाह करना पड़ रहा है।

अतः मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि भारत सरकार जिला सोनीपत में कम से कम दो विशालतम उद्योग बनाये जिसमें एक तो इस्पात उद्योग और दूसरा इंजीनियरिंग उद्योग हो और 8-10 बेरोजगारों को नौकरी मिल सके तथा हजारों परिवार इन उद्योगों की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिये स्रोतों का विस्तार करके आय के साधन बढ़ा सकें। इससे उत्तरी भारत के क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति में भी राहत मिल सकेगी।

(सत्रह) सागर (मध्य प्रदेश) में एक गोलक कारखाना (प्रोपेलर फैक्टरी) और भारत अर्थ मूवर्स का एक इंजन कारखाना स्थापित किए जाने के बारे में शीघ्र निर्णय लिए जाने की आवश्यकता

श्री नन्दलाल चौधरी (सागर) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश का सागर जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यहां कोई बड़ा कारखाना न होने से बेरोजगारी की समस्या से लाखों लोग पीड़ित हैं। सागर जिला भारत के मध्य भाग में स्थित है। पहाड़ों और वनों से अधिकांश भाग आच्छादित है। सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से यह जिला अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कई वर्षों से यह लगातार मांग की जा रही है कि यहां आयुध कारखाना (प्रोपेलेंट फैक्टरी) और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की ओर से इंजन कारखाना स्थापित किया जाये। रक्षा मंत्रालय की ओर से सर्वेक्षण कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। सभी दृष्टियों से सागर जिले में ही उक्त कारखाने लगाये जाने उपयुक्त और आवश्यक हैं। रक्षा मंत्रालय से अनुरोध है कि कृपया इन कारखानों को सागर जिले में ही स्थापित किये जाने सम्बन्धी अंतिम निर्णय लिये जाने में अब कोई विलम्ब न होने दे और शीघ्र घोषणा करने की कृपा करें।

(अठारह) उड़ीसा के कालाहान्डी जैसे पिछड़े क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता के साथ एक बृहत योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहान्डी) : उद्योग, कृषि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अन्य बहुत से क्षेत्रों में देश की अच्छी उपलब्धियों के बावजूद उड़ीसा में कालाहान्डी जिला बहुत से क्षेत्रों में अभी भी पिछड़ा हुआ है। निरन्तर सूखे और बाढ़ के कारण, सभी प्रयासों के बावजूद विकास पर प्रभाव पड़ा है। सरकार की क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने और लोगों को निर्धनता की रेखा से ऊपर लाने की नीति को देखते हुए देश भर में पिछड़े क्षेत्रों तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार को सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

[श्री जगन्नाथ पटनायक]

पर्याप्त केन्द्रीय सहायता के साथ एक बृहत योजना तैयार की जाए और कालाहान्डी जैसे जिलों के लिए एक विशेष विकास बोर्ड द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाए। उड़ीसा जैसे पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए।

12.00 मध्याह्न

(उन्नीस) हाल की वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों/पुलों का फिर से निर्माण किये जाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में अधिक वर्षा होने के कारण राष्ट्रीय मार्ग पर बड़ी दो चट्टाने गिरने के कारण और राज्य की अन्य सड़कों पर भी काफी नुकसान होने के कारण बहुत बड़ी हानि हुई है। कई जगहों पर पिछली बाढ़ की वजह से पुल वगैरह जो दूर-दराज से सम्पर्क एक मात्र साधन थे, वह भी खराब हो गए हैं। लोगों को सेब और आलू तथा दूसरा नगदी की फसलें जो इन मार्गों द्वारा मंडियों में पहुंचती थी, उनके पहुंचने में कठिनाई उत्पन्न हो गई है। शिमला में भी कई लोगों की जाने गई हैं। नतीयाना के पास बहुत से मुसाफिर जो सड़क का मलबा किनारे करने में लगे हुए थे, उनकी मृत्यु भी चट्टानों के नीचे दब जाने के कारण हो गई है। राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं है कि इसकी क्षतिपूर्ति की जा सके और इन सड़कों को फिर से ठीक करा सके।

मैं भारत सरकार से और खास तौर से प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा धन देने का प्रावधान करें ताकि सारे राज्य में खराब हुई सड़कों का निर्माण युद्धस्तर पर किया जा सके।

(बीस) भूमिगत जल के खारेपन को दूर किये जाने के लिए उपाय सुझाने हेतु तमिलनाडु के तिरूनेलवेली जिले में एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आर० वनुवकोडी अतीतन (तिरूचेन्दूर) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र तिरूचेन्दूर और विशेषकर तिरूनेलवेली जिले के राधापुरम तालुक के कुट्टम, पुथनथारूवइ, थोप्पुविलइ, अधिसयमपुरम करिसल, कोमाट्टीकोट्टइ, अवाराइकुलम और पालावुर गावों में पिछले कुछ वर्षों से भूमिगत जल खारा हो गया है। केन्द्र सरकार सर्वेक्षण हेतु तथा उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक दल इस जिले में भेजे।

मेरा अनुरोध है कि तमिलनाडु में तिरूनेलवेली जिले के राधापुरम तालुक में भूमिगत जल के खारेपन को दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 15—नियम 193 के अधीन चर्चा को लेते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष जी, आज आखिरी दिन है, जो यहां पर हैं सब को मौका दे दीजिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री उत्तम राठौड (हिंगोली) : महोदय, मैंने भी नियम 377 के अधीन एक विषय पर सूचना दी थी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्हें मंजूर नहीं किया गया है। आज, हमने काफी छूट दी है।

(व्यवधान)

12.04 म०पू०

नियम 193 के अधीन चर्चा

गांधी शांति प्रतिष्ठान तथा सम्बद्ध संगठनों के कार्यकलापों की जांच करने के लिए गठित कुदाल जांच आयोग का चौथा, पांचवां तथा छठा अन्तरिम प्रतिवेदन और अंतिम प्रतिवेदन—[जारी]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन कुदाल आयोग के प्रतिवेदनों पर आगे चर्चा शुरू करते हैं। श्री अजीज कुरेशी।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों का जवाब देने की कोशिश कर रहा था, जो हमारे लायक दोस्त श्री शाहबुद्दीन जी ने यहां उन लोगों का डिफैंस करते हुए कहीं, जिनका ज़िक्र कुदाल कमीशन की रिपोर्ट में किया गया है। इस के बारे में मैं कहूं, इससे पहले मैं यहां 17 नवम्बर, 1977 को इंडियन एक्सप्रैस की एक न्यूज को कोट करना चाहूंगा, जो उन्होंने उस समय की प्रधान मंत्री, आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में छापी थी।

[अनुवाद]

मैं उद्धृत करता हूं :

"जनता सरकार ने शाह आयोग के सम्मुख श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 जुलाई 1976 के एक नोट को पेश किया जिसमें निम्नलिखित कहा गया है :

> 'गांधी जी के नाम से जुड़ी विभिन्न संस्थाएं केन्द्र सरकार से काफी धनराशि प्राप्त कर रही हैं। इन वर्षों के दौरान, और मेरे पिता के समय में भी हमने देखा है कि

[श्री अज़ीज़ कुरेशी]

किस प्रकार इस धनराशि का उपयोग इस उद्देश्य के विरुद्ध हो रहा है जिसके लिए इन संस्थाओं को गठित किया गया था। क्या इन संस्थाओं के कार्य पर पूर्ण जांच की गई है ? यदि कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? यदि यह जानकारी हमारे पास है तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?'

मैं इस समाचार पत्र के इसी दिनांक के पत्र से एक और मद उद्धृत करता हूं :

"भूतपूर्व संसद सदस्य श्री शशि भूषण को 'एवार्ड' को कथित रूप से परेशान करने के आरोप में जब आयोग के सम्मुख बुलाया गया तो उन्होंने जस्टिस शाह को कहा :

'एक और आयोग, जिसकी अध्यक्षता संभवतः स्वयं जस्टिस शाह द्वारा की जाए, को कहा जाए कि वह भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियों की जांच करें।'

उन्होंने आगे कहा :

'शेख मुजीबुर रहमान तथा अलेंडे की हत्या में सी०आई०ए० का हाथ था। विश्व युवक केन्द्र के बारे में आयोग द्वारा कल लिए गए मामले का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि हमारे 'ईमानदार प्रधान मंत्री' ने उस समय एशिया फाउंडेशन द्वारा केन्द्र को योगदान के रूप में दी गई धनराशि को लौटा दिया था जब उन्हें यह पता लगा कि यह सी०आई०ए० का संगठन था'।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, सैयद शाहबुद्दीन साहब ने अपने दोस्तों और साथियों की मुदाखलत करते हुए यहां कहा था—

[अनुवाद]

"आयोग द्वारा प्रक्रिया संबंधी कोई नियम नहीं बनाए गए और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को तिलांजलि दे दी गई।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, मेरे ख्याल में शाहबुद्दीन साहब का यह कथन सही नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि

[अनुवाद]

"आयोग की नियुक्ति 17.2.82 की अधिसूचना द्वारा की गई थी। आयोग द्वारा बनाए गए प्रक्रिया संबंधी नियमों को सभी प्रमुख समाचार पत्रों तथा भारत के राजपत्र में 14.8.82 तथा 26.7.82 को प्रकाशित किया गया था " किसी भी क्षेत्र से किसी व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई थी।"

श्री शाहबुद्दीन प्रथम प्रतिवेदन के पृष्ठ 11 से 16 देख सकते हैं जिसकी उन्होंने जांच की थी।

श्री शाहबुद्दीन ने पुन: कहा है कि :

"आयोग द्वारा 24 महीने तक कोई सूचना जारी नहीं की गई थी।"

मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि पुन: यह गलत था।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : मैंने इसके बारे में दरख्वास्त की थी कि 28 महीने के बारे में जो फैक्चुअल इनएक्युरेसी है उसको साफ करने की मुझे इजाजत दी जाए।

[अनुवाद]

श्री अजीज कुरेशी : इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं : 24 महीनों के दौरान नियम 5 (2) (क) के अन्तर्गत 116 संगठनों को नोटिस जारी किए गए थे। वह इसके लिए प्रथम प्रतिवेदन के पृष्ठ 191-192 को देख सकते हैं।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : श्री शाहबुद्दीन के भाषण में सिर्फ यही अशुद्धि नहीं थी।

श्री अजीज कुरेशी : इसके अतिरिक्त 487 साक्षियों की जांच की गई थी। इसके लिए वह प्रथम प्रतिवेदन के पृष्ठ 193-203 को देख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि धारा 4 (ख) तथा 5 (2) के अन्तर्गत 576 नोटिस जारी किए गए थे जिनके लिए हम प्रथम प्रतिवेदन के पृष्ठ 225-243 देख सकते हैं। यदि हम इस मामले में और आगे जाएं तो हम प्रथम प्रतिवेदन के पृष्ठ 48-94 पर देख सकते हैं कि धारा 8ख के अन्तर्गत संगठनों को 63 नोटिस जारी किए गए थे और 24 महीनों के दौरान 52 मामलों में खुली सुनवाई की गई थी जहां यह आरोप लगाया गया था कि कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं अपने विद्वान मित्र शाहबुद्दीन को इन 24 महीनों के दौरान उन महत्वपूर्ण मामलों के बारे में याद दिलाना चाहूंगा जिन पर कमीशन ने कार्य किया। गांधी जी के कुछ स्मृतिचिह्न नष्ट, क्षतिग्रस्त तथा चोरी हुए थे जिसके लिए 16-9-83 को एक नोटिस जारी किया गया था। हम यह प्रथम प्रतिवेदन के पृष्ठ 50 पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, गांधी स्मारक निधि द्वारा 3.73 करोड़ रुपये का अनधिकृत निवेश किया गया जिसके लिए 27-9-83 को नोटिस जारी किया गया था। इसके लिए प्रतिवेदन का पृष्ठ 52 देखा जा सकता है। तीसरा मामला जार्ज फर्नांडिस के निर्वाचन क्षेत्र में 'एवार्ड' द्वारा दस्तकारों के बीच धनराशि के आवंटन में दुरुपयोग था। इस संबंध में 21-2-84 को एक नोटिस जारी किया गया था जिसे हम प्रथम प्रतिवेदन के पृष्ठ 63-क पर देख सकते हैं। चौथा मामला श्री बनिक लाल मंडल का था जिसके लिए 23-2-84 को एक नोटिस जारी किया गया था। यह प्रथम प्रतिवेदन के पृष्ठ 64 पर है। इस प्रकार का एक नोटिस श्री मोरारजी देसाई तथा भारतीय आदिमजाति सेवक संघ को 9.72 लाख रुपये के दुरुपयोग के लिए दिया गया था जो 25-2-84 को जारी किया गया था और यह प्रथम प्रतिवेदन के पृष्ठ 65 पर दिया गया है।

इसी प्रकार श्री रवी रे और उड़ीसा ग्राम विकास समिति को भी 29.2.1984 को नोटिस जारी किये गये थे और इस संदर्भ में पहली रिपोर्ट का पृष्ठ 67 देखा जा सकता है।

[श्री अजीज कुरेशी]

यही नहीं 10-5-1984 को गांधी शांति प्रतिष्ठान को उनके परिसर का राजनैतिक उद्देश्यों के लिए गलत इस्तेमाल किए जाने पर नोटिस जारी किया गया था जिसे पहली रिपोर्ट के पृष्ठ 74 पर देखा जा सकता है।

इसी तरह एक नोटिस महान और काबिल सासंद जी मधु दंडवते और मटरू मंदिर को 10-8-1984 को जारी किया गया था जिसका हवाला पहली रिपोर्ट के पृष्ठ 88 में दिया गया है।

दुर्भाग्यवश, श्री शाहबुद्दीन ने कई मामलों में दिये गये स्थगन आदेशों के बारे में काफी कुछ कहा है। यह महज संयोग है कि अधिकांश मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री राजेंद्र सच्चर ने स्थगत आदेश जारी किये थे।

मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता न ही मैं किसी निर्णय की आलोचना करना चाहता हूं लेकिन सम्मानपूर्वक मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि यह भी मात्र संयोग था कि श्री सच्चर ने अवकाश ग्रहण के पश्चात् पीपुल्स यूनियन आफ सिविल लिबर्टीज के अध्यक्ष का पद संभाल लिया जिसे पी० यू० सी० एल० कहा जाता है जिसे अवार्ड और गांधी शांति प्रतिष्ठान से धन प्राप्त होता है और यह राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति की आम जानकारी में है। मैं कह रहा था कि अधिकांश मामलों में इस महान न्यायाधीश श्री सच्चर ने स्थगन आदेश दिये थे और 24 महीनों के अन्दर माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिये थे। मैं इनमें से केवल कुछ महत्वपूर्ण मामलों का जिक्र करना चाहूंगा।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या आप यह आरोप लगा रहें है कि श्री सच्चर ने यह स्थगन आदेश पांच साल बाद पी०यू०सी०एल० के अध्यक्ष नियुक्त किये जाने की उम्मीद में दिये थे ? यह असंगत है; यह बहुत दूर की सोच है। ··· **(व्यवधान)**

श्री अजीज कुरेशी : यह मात्र संयोग है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। जो कुछ भी मैंने कहा है उसे मैं केवल उद्धृत कर रहा हूं। यह संयोग मात्र है। **(व्यवधान)**

श्री सैयद शाहबुद्दीन : आप किसी व्यक्ति का नाम ले रहें हैं। आप न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को कम कर रहें हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहूंगा कि न्यायाधीशों पर किसी तरह का आरोप लगाया जाये।

श्री अजीज कुरेशी : जी हां, यह ठीक नहीं है। मैं मात्र इतना कह रहा हूं कि यह एक संयोग है। यह मात्र एक संयोग है। **(व्यवधान)**

श्री सैयद शाहबुद्दीन : आपका इशारा पी० यू० सी० एल० की ओर है। ऐसा पांच साल बाद हुआ था··· **(व्यवधान)** पी० यू० सी० एल० को गांधी शांति प्रतिष्ठान से आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। यह बात रिकार्ड में है। पी०यू०सी०एल० इस तरह की कोई सहायता धनराशि स्वीकार नहीं करती है।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वह आपस में बहस करने की अपेक्षा रिपोर्ट पर बहस में भाग लें। मैं समझता हूं कि जो बात माननीय सदस्य ने कही थी वह ठीक है और मैं नहीं जानता कि श्री शाहबुद्दीन ने इस पर अपनी वाक्शक्ति क्यों नष्ट की। मैं

समझता हूं कि श्री शाहबुद्दीन इस बात को महसूस करेंगे कि अधिकांश आरोप जो उन्होंने उस दिन सरकार पर लगाये थे, वह तथ्यों पर आधारित नहीं थे। इनमें खामियां थीं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे वक्तव्य में केवल एक गलती थी—वह थी समय के बारे में, कुछ महीनों की गलती थी— और मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को इसे ठीक करने के लिए अनुमति देने के लिए लिखा है।

श्री पी० चिदम्बरम : यदि आप मेरी बात सुने तो मैं आपको एक से अधिक गलतियां बताऊंगा। मैं नहीं समझता कि चूंकि उन्होंने एक गलती बताई है इसलिए इसे एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमने आपको धैर्य के साथ सुना और आपको भी हमें धैर्य के साथ सुनना चाहिए।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं केवल इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्होंने न्यायाधीश श्री सच्चर और पी० यू० सी० एल०, जिसका मैं आजीवन सदस्य हूं, का नाम लिया था। वह न्यायाधीश श्री सच्चर पर आरोप लगाने का प्रयास कर रहें है। इसका मेरे परसों के वक्तव्य से क्या लेना-देना है ?···(**व्यवधान**)

श्री पी० चिदम्बरम : उन्होंने न्यायाधीश श्री सच्चर का नाम लिया था क्योंकि उन्होंने इन मामलों में स्थगन आदेश दिया था।

श्री अजीज कुरेशी : मैं कह रहा था कि कई मामलो में स्थगन आदेश 24 माह के भीतर प्रदान कर दिया गया। इसमें से कुछ का उल्लेख करते हुये गांधी शांति प्रतिष्ठान को 17-2-1984 को स्थगन आदेश दिया गया जिसे पहली रिपोर्ट के पृष्ठ 108 पर देखा जा सकता है। इसी तरह जन कल्याण समिति के श्री पुरुषोत्तम कौशिक जिसके वह अध्यक्ष थे ने एक मामला 10-9-1984 को दायर किया था जिसे हम पहली रिपोर्ट के पृष्ठ 126 पर देख सकते हैं, महोदय, श्री तारकुंडे जो सिटीजन आफ डेमोक्रेसी से हैं को 12-9-84 को स्थगन आदेश मिल गया जिसे पहली रिपोर्ट के पृष्ठ 127 पर दिया हुआ है इसी तरह श्री रवी रे को 12-9-84 को स्थगन आदेश प्राप्त हो गया जिसे पहली रिपोर्ट के पृष्ठ 128 पर देखा जा सकता है इसी तरह श्री धनिक लाल मंडल के संस्थान को 13-9-84 को स्थगन आदेश प्राप्त हो गया जिसे पहली रिपोर्ट के पृष्ठ 128 पर देखा जा सकता है।

महोदय, मुझे आशा है कि श्री शाहबुद्दीन क्रोधित नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने कहा था कि 112 मामलों में से 56 मामले सरकार द्वारा न्याय मंत्रालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिश पर वापिस ले लिये गये थे। उनकी जानकारी के लिए मैं रिकार्ड के लिए यह तथ्य रखना चाहूंगा।

जिन मामलों में आयोग ने अपना निर्णय दिया था उनकी संख्या 167 थी।

कुल मामले, जिन में कार्यवाही पूरी हुई, वह 180 हैं। 5 मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के कारण रोक लगा दी गई।

आयोग के कार्यकाल के दौरान उच्च न्यायालय में 59 याचिकायें तथा उच्चतम न्यायालय में 2 सिविल अपील तथा 2 स्थानांतरण याचिकायें दायर की गई।

[श्री अजीज कुरेशी]

आयोग के कार्यकाल की समाप्ति पर 36 याचिकाएं (27 दिल्ली उच्च न्यायालय में ही) लंबित थी ।

12.17 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए ।]

महोदय, इसी तरह से श्री शाहबुद्दीन द्वारा अपने आप को बचाते हुये सरकार पर कटाक्ष करते हुये कहा गया,

'श्री जार्ज फर्नान्डीस पर क्या आरोप लगाया है ?'

रिकार्ड के लिए मैं तथ्यों को प्रस्तुत करता हूं ।

आयोग ने अपने चौथे प्रतिवेदन के पृष्ठ 210 से 217 में अपने निष्कर्ष दिये हुये हैं ।

श्री फर्नान्डीस तथा 'अवार्ड' के विरुद्ध आरोप इस प्रकार हैं ।

श्री फर्नान्डीस केन्द्रीय उद्योग मंत्री थे, तथा मुज्जफरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे ।

श्री फर्नान्डीस ने अपने कक्ष में एक बैठक बुलाई और अपनी यह इच्छा व्यक्त की कि 6.6.79 को उनके निर्वाचन क्षेत्र के कारीगरों को के० वी० आई० सी० द्वारा अवार्ड की मार्फत वित्तीय सहायता प्रदान की जायें, उस दिन जब वह मुज्जफरपुर के दौरे पर हों ।

उनके कक्ष में हुई बैठक में के० बी० आई० सी० के प्रतिनिधि और अवार्ड के महासचिव श्री ए० सी० सेन ने भाग लिया । यह बैठक 4-5-79 को हुई थी ।

क्योंकि अवार्ड के० वी० आई० सी० की सूची में नहीं थी इसलिए अवार्ड को कोई धन नहीं दिया जा सकता था । श्री फर्नान्डीस ने अवार्ड को ही धनराशि देने के लिए क्यों चुना ?

अवार्ड को 24,37,040/- रुपये दिये गये हालांकि अवार्ड के संविधान में सितंबर 1979 में संशोधन किया गया था । के० वी० आई० सी० से धनराशि मिलने के चार महीने के पश्चात्—मैं फिर दोहराता हूं, के० वी० आई० सी० से धन मिलने के चार महीने पश्चात् ।

महोदय, 6.6.79 को कोई धनराशि वितरित नहीं की गई । फिर के० वी० आई० सी० के द्वारा अवार्ड को बिना अवार्ड के संविधान संशोधन का इंतजार किये उन्हें धनराशि देने की इतनी जल्दी क्या थी ?

महोदय, देखने वाली बात यह है कि केवल 1 लाख रुपये कारीगरों को दिये गये थे । बाकी बची हुई धनराशि के० वी० आई० सी० को तुरंत नहीं लौटाई गई थी । महोदय, यहां मुख्य प्रश्न यह है कि यह 23 लाख रुपये की धनराशि कब लौटाई गई ? एक सप्ताह बाद या फिर एक माह बाद नहीं, इसे चार या पांच वर्षों के अंतराल के पश्चात लौटाया गया । मैं श्री शाहबुद्दीन से यह जानना चाहूंगा कि दी गई धनराशि पर मिलने वाला ब्याज जो 18,000 से 20,000 रुपये निकलता है कहां गया ? **(व्यवधान)**

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : यह के० वी० आई० सी० और अवार्ड के बीच की बात है···**(व्यवधान)**

श्री अजीज कुरेशी : महोदय यदि बगैर खर्च की गई धनराशि वापिस नहीं की जाती है तो इसका मतलब दुरुपयोग से है। यह आम जानकारी की बात है, जिसे श्री शाहबुद्दीन अच्छी तरह जानते हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : किसके द्वारा ?

श्री अजीज कुरेशी : इसी तरह आयोग ने गौर किया कि यह धनराशि श्री जॉर्ज फर्नांडेज के निर्वाचन क्षेत्र में उनके राजनैतिक हितों को देखते हुए वितरित की जानी चाहिए थी···**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें।

श्री अजीज कुरेशी : श्री शाहबुद्दीन ने यह गलत कहा है कि "दिल्ली गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के समागार में दिसम्बर 1979 में गंगा-ब्रह्मपुत्र बैरक बेसिन विषय पर हुई कार्य शाला में एक भी विदेशी राष्ट्रिक मोजूद नहीं था।" श्री बी० जी० वर्गीज ने स्वीकार किया है कि उन्होंने इस मामले के बारे में फोर्ड फाऊंडेशन के पीटर रोजर्स और बंगलादेश के जल सलाहकार बी० एम० अब्बास से चर्चा की थी। इन्हीं श्री बी० जी० वर्गीज ने इस तरह की परियोजनाओं के लिए विदेशी धन लगाने वाली एजेन्सी से हाल ही में 60,000 अमरीकी डालर प्राप्त किये हैं। श्री बी० पी० सिंह के कुछ विदेशियों को लिखे तथाकथित पत्र को देखते हुए मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री इस संबंध में एक वक्तव्य दें कि श्री वर्गीज को 60,000 अमरीकी डालर क्यों दिये गये, योजना क्या है और—धन कैसे खर्च किया जाये।

इसी तरह श्री शाहबुद्दीन ने प्रतिबन्धित क्षेत्रों के उन मानचित्रों के संबंध में, जो खुले बाजार में उपलब्ध हैं, बोलकर कितने ही आंसू बहाये हैं। मुझे याद आता है कि 1960 में इस देश के मानचित्र विशेष रूप से तमिलनाडु में खुलेआम बेचे जा रहे थे, इनमें इस देश का सारा दक्षिण क्षेत्र एक भिन्न झंडे तथा भिन्न नेता के नेतृत्व में शेष देश से अलग दिखाया गया था। इसे एक अलग ही देश के रूप में दिखाया गया था। इन मानचित्रों को खुले बाजार में बेचा जा रहा था। परन्तु इसका मतलब क्या यह है कि हम इस तरह के मानचित्रों के प्रकाशन तथा उनका किसी अन्य देश द्वारा उपयोग किये जाने को न्यायोचित ठहरायें ? मुझे श्री शाहबुद्दीन की समझ पर दया आती है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया हस्तक्षेप नहीं करें।

श्री अजीज कुरेशी : आधारभूत प्रश्न तो यह है : ये मानचित्र क्यों तैयार किये गये थे ? केवल सीमावर्ती क्षेत्रों के ही मानचित्र क्यों तैयार किये गये थे ? मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्रश्न का उत्तर दे कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। आयोग ने यह पाया है कि इन मानचित्रों का प्रकाशन भारत के शत्रुओं को मदद कर सकता है।

दिल्ली में 1979 में हुई गंगा-ब्रह्मपुत्र बैरक बेसिन पर राष्ट्रीय कार्यशाला संयुक्त रूप से गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के तत्वावधान में प्रायोजित की गयी थी जिसमें बंगलादेश, भूटान, विश्व बैंक, ई० एस० सी० ए० पी०, एफ० ए० ओ० फोर्ड फाऊंडेशन, एम० आई० टी० के अधिकारियों और गैर-अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था और यह कार्यशाला 15 दिसंबर से 17 दिसंबर 1979 तक गांधी शान्ति प्रतिष्ठान में आयोजित की गई। इस कार्यशाला के लिए पैसा कहां से आया था ? कार्यशाला में प्रदर्शित वस्तुएं और कागजात कहां हैं ? उन्हें देश से बाहर क्यों भेजा गया ? मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले पर गौर करे और इस प्रश्न का उत्तर दे। यह मामला बहुत

[श्री अजीज कुरेशी]

महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक भी है। मैं चाहता हूं कि सरकार तथा गृह मंत्रालय इसे गंभीरता से लें और इस विषय पर कड़ी कार्यवाही करें।

जहां तक मेरे मित्र श्री शाहबुद्दीन की बात है मुझे खेद है कि वह अपने उन मित्रों के बचाव में बोलते हुए इतने उत्तेजित हो गए जो यहां उपस्थित नहीं हैं और उन लोगों के विश्वास को दगा देकर वे इस सभा से उठकर बाहर चले गए हैं, जिन्हों ने उन्हें चुना है। मैं समझता हूं कि श्री शाहबुद्दीन मुझ पर गुस्सा उतारने की बजाय अपने उन दोस्तों को शायर फैज की भाषा में संजीदगी से सलाह देंगे :

[हिन्दी]

"गर मुझे इसका यकीन हो, मेरे हमदम मेरे दोस्त,
गर मुझे इसका यकीन हो कि तेरे दिल की थकन,
आंखों की उदासी, तेरे सीने की जलन,
मेरी दिल-जुई, मेरे प्यार से मिट जायेगी,
गर मेरा हरफे तसल्ली वो दवा हो,
जिससे जी उठे फिर तेरा उजड़ा हुआ बेनूर दिमाग,
तेरी पेशानी से धुल जाएं ये तजलील के दाग,
तेरी बीमार जवानी को शिफा हो जाए,
गर मुझे इसका यकीन हो, मेरे हमदम मेरे दोस्त।
रोज ओ ताब शाम-ओ-शहर, मैं तुझे बहलाता रहूं,
मैं तुझे गीत सुनाता रहूं हलके सीरीन।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नौर) : महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे कुदाल आयोग की रिपोर्ट पर चल रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। गृह मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखी गयी इस रिपोर्ट से तथाकथित गांधीवादियों द्वारा चलाये जा रहे कतिपय संगठनों का राष्ट्रविरोधी और घृणित गतिविधियों में लिप्त होने के संबंध में कुछ चौकाने वाली जानकारी का पता चलता है।

आयोग ने गौर किया है कि अधिकांश मामलों में विदेशी धन का ज्यादा भाग अवांछित तत्वों के हाथों में गया है और इसे उन विभिन्न विनाशकारी तथा गुप्त तोड़ फोड़ वाली गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया जिनसे देश में अशान्ति और अस्थिरता पैदा होती है। मैं उद्धृत करता हूं :

"महात्मा गांधी के नाम पर चलाई जा रही इन ऐजेन्सियों ने स्वयं को विदेशी ऐजेन्सियों के हाथों सौंपा हुआ है।"

इन संगठनों द्वारा प्राप्त किया गया धन गलत हाथों में गया और इसका खुले आम गलत इस्तेमाल हुआ तथा इसे गलत राजनीतिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया गया था। इस

धन का उपयोग उन लोगों के कल्याण के लिए नहीं किया गया था जिनके लिए यह धन दिया गया था।

इस विदेशी धन के लाभभोगी ऐसे संगठन हैं जो ज्यादातर प्रो० मधु दंडवते, श्रीमती प्रमिला दंडवते, श्री जार्ज फर्नांडीज, श्री रवि राय, श्री पुरुषोत्तम कौशिक, श्री चनिक लाल मंडल, श्री राधाकृष्ण, श्री ए० सी० सेन जैसे और अन्य तथाकथित गांधीवादी व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे हैं, उन्हें इनका संरक्षण मिला हुआ है और इनके तत्वावधान में वे चल रहे हैं।

इनमें से कई संगठनों को विदेशी पैसा जनता शासन के दौरान 1977 से 1979 के बीच विभिन्न परियोजनाओं के तहत मिला। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमेशा सार्वजनिक जीवन में सभी नैतिक मूल्यों के समर्थक रहे और इन अभ्यारोपित संगठनों की गतिविधियां महात्मा गांधी के आदर्शों के विपरीत रही हैं। गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ थे और उनका लक्ष्य भारतीय जनमानस को विदेशी पराधीनता से मुक्त करना था। इन तथाकथित चेलों ने साम्राज्यवादी राष्ट्रों को गांधीवादी विचारधारा ऐसे बेच दी जैसे ईसामसीह के चेलों ने उन्हें धोखा दिया था।

इन संगठनों तथा स्वतन्त्रता पूर्व युग के कुछ प्रमुख नेताओं ने पैसे के लिए कतिपय सन्दिग्ध अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से हाथ पसार कर भीख मांगी। प्राकृतिक आपदायें जैसे तूफान, बाढ़ और सूखा से उन्हें अपने षड़यंत्रों तथा राजनैतिक स्वार्थ पूरे करने का अवसर मिला। अपने गुप्त प्रयोजनों को पूरा करने के लिए उन्होंने संदिग्ध और संदेहजनक प्रकृति के विदेशी संगठनों से बात की।

विदेशी धन लगी परियोजनायें मुख्यतः ऐसी आदिवासी सीमाओं और भूख पीड़ित क्षेत्रों में स्थित हैं जहां लोग निर्धन हैं और जो क्षेत्र बहुत संवेदनशील हैं। इन परियोजनाओं में विदेशी धन लगाने वाली ऐजेन्सियां सदा ही भारत सरकार की मानचित्र निषेध नीति तथा शासकीय गुप्त बात अधिनियम का उल्लंघन कर ऐसे बड़े मानचित्रों को प्राप्त करने के लिए जोर देते रहे जिनमें स्थलाकृति का विस्तार से जानकारी दी गई हो। विभिन्न क्षेत्रों, जिन्हें केरल की तटीय पट्टी पर स्थित होने, बर्मा, चीन और तिब्बत के साथ लगने वाली भारतीय सीमा और नागालैंड, मणिपुर और असम सीमाओं जैसे अन्य अतिसंवेदनशील स्थानों पर स्थित होने के कारण प्रतिबंधित क्षेत्र कहा जाता है, के लगभग 30 बड़े मानचित्र प्रकाशित किए गए हैं। ये मानचित्र ऐसे सामरिक महत्व के स्थानों के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं जिनका शत्रु इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनसे हमारे देश की प्रतिरक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। भारत के महा सर्वेक्षक के साथ-साथ रक्षा मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि इन मानचित्रों को रक्षा मंत्रालय से लिखित में पहले कोई आवश्यक अनुमति लिये बगैर प्रकाशित किया गया है। कुछ मामलों में निजी ऐजेन्सियों द्वारा देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरते बगैर हवाई सर्वेक्षण भी किये गये थे। केरल की गांधी स्मारक निधि, एवार्ड और अन्य अनेक स्वैच्छिक संगठनों ने गांधीवादी संगठनों के छद्मवेश में संदिग्ध अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों जैसे पश्चिम जर्मनी की ई० जेड० ई० जो कि पश्चिम जर्मनी की खुफिया एजेंसी बी०एन०डी० के अन्तर्गत कार्य करती है, से भारी मात्रा में विदेशी धन प्राप्त किया। इस ई० जेड० ई० ने जिसने ए० बी० ए० आर० डी० और इसके सहयोगी संगठनों से बड़े पैमाने पर स्थलाकृति और भौगोलिक नक्शा प्राप्त किये, न तो इन परियोजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन में और न ही धनराशि का उचित रूप से उपयोग किये जाने में कोई रुचि दिखायी।

[श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन]

उनकी रुचि सिर्फ महत्वपूर्ण आंकड़ा बताने वाले रिपोर्टों, सूचनाओं और प्रतिबंधित तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर नक्शे प्राप्त करने में थी।

केरल की गांधी स्मारक निधि ने सी० आई० ए० द्वारा समर्थित अमेरिका के वर्ल्ड नेबर्स, जो कि एक खतरनाक अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी है से भी भारी धनराशि प्राप्त की है। वर्ल्ड नेबर्स ने सिर्फ केरल राज्य में कार्यरत गांधीवादी संगठन को 4 करोड़ रुपये दिये हैं। निधि के अध्यक्ष श्री के० जनार्दन पिल्लई ने अमेरिका के ओखलामा सिटी में स्थित वर्ल्ड नेबर्स को सम्बोधित अपने पत्र में यह शिकायत करते हुए कि केरल राज्य में गिरजा घरों और मन्दिरों को लूटा जा रहा है, 59 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त किया है।

कुदाल आयोग ने यह पाया है कि केरल गांधी स्मारक निधि सी० आई० ए० के हाथों का खिलौना बन चुकी है क्योंकि इसे बहुत ही संदेहास्पद कार्यवाहियों में संलग्न पाया गया था। श्री पिल्लई द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 1980 को वर्ल्ड नेबर्स के विदेशी कार्यक्रमों के उपाध्यक्ष श्री स्टैनली एल० रेमंडस के नाम लिखा गया पत्र इस प्रकार है :

"अभी यहां हम बहुत ही जटिल समस्या का सामना कर रहे हैं। राजनैतिक हिंसा बढ़ रही है। सत्तारूढ़ साम्यवादी दल से जुड़े श्रमिक संघ उग्र है और वे मौके का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। वे सिर्फ लोगों को परेशान करते हैं और जो चाहते हैं प्राप्त कर लेते हैं। विपक्षी दलों को कार्य करने में कठिनाई हो रही है। धीरे-धीरे पुलिस को अप्रभावकारी बनाया जा रहा है। मंदिरों और गिरजा घरों को लूटा जा रहा है। जब तक यह प्रवृत्ति समाप्त नहीं होती है हमें बहुत ही जटिल समस्या का सामना करना पड़ेगा।"

महोदय, उन्होंने यह भी लिखा है कि :

"यहां राजधानी में एक नागरिक शांति समिति बनायी गयी है। इसकी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गयी है और अब मैं सचिव के पद पर हूं। इस परिस्थिति का सामना करने के लिये सावधानीपूर्वक योजनायें बनानी हैं। लोगों की शक्तियों को जगाना होगा और उन्हें संगठित करना होगा।"

श्री पिल्लई ने कुदाल आयोग के समक्ष एक शपथ पत्र में यह स्वीकार किया है कि 1962 से ही केरल गांधी स्मारक निधि वर्ल्ड नेबर्स से सहायता प्राप्त कर रही है। मैं नहीं जानता हूं कि सी०आई०ए० से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से सम्पर्क स्थापित करने और उससे सहायता प्राप्त करने का यह राजनीतिक गैर अस्तित्व प्राधिकार श्री पिल्लई को किसने प्रदान किया है। मुझे इस बात पर भी आश्चर्य है कि भारत सरकार ने इस मुद्दे से क्यों आंखें फेर ली हैं।

जैसा कि कुदाल आयोग ने बताया है कि केरल गांधी स्मारक निधि ने राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और सम्मान को कलंक लगाया है तथा केरल राज्य की पूर्ण रूप से विकृत छवि प्रस्तुत कर विदेश में अपने देश की छवि धूमिल कर दी है। यह और कुछ नहीं मात्र बुरे इरादों से तथा तथ्यों की अयथार्थ जानकारी दे कर विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिये सिर्फ राष्ट्रपिता के नाम को बेचना है।

महोदय, वास्तव में संगठनें और इसमें संलग्न लोग स्वतन्त्र भारत को कमजोर बना रहे हैं और साम्राज्यवादी देशों के पास अपने राष्ट्र के हितों को गिरवी रख रहे हैं। यह एक प्रकट तथ्य

है कि पिछले अनेक दशकों से सी०आई०ए० भारत में मामलों में अनुचित रूप से रुचि ले रहा है। यहां भारत में अमेरिका के भूतपूर्व राजदूतों श्री डैनियल मोयनिम तथा श्री जॉन गैलब्रेथ द्वारा प्रकट किये गये बातों पर ध्यान देना उचित है । श्री मोयनिम ने सी० आई० ए० द्वारा भारत में और विशेषकर केरल राज्य में निभाये गये संदेहात्मक भूमिका की बात कही है। श्री गैलब्रेथ ने भारत में सी०आई०ए० की संगीन भूमिका के जो कि उनके अनुसार एक बहुत ही गुप्त रखा जाने वाला तथ्य यहां तक कि भारत में अमेरिका के राजदूत से भी गुप्त रखा गया तथ्य था।

महोदय, मैं केरल के मुख्यमंत्री श्री ई०के० नयनार तथा हमारे दो भूतपूर्व सहयोगी माननीय श्री के०पी० उन्नीकृष्णन तथा श्री सुरेश करूप द्वारा कुदाल आयोग के समक्ष दिये गये बयानों के बारे में आपको याद दिलाता हूं। केरल में निर्वाचित सरकार को अपदस्थ करने में सी०आई०ए० की भूमिका का जिक्र उन्होंने आयोग के समक्ष किया है।

महोदय, कुदाल आयोग इन पिछलग्गुओं और उनकी राष्ट्र-विरोधी कार्यवाही का भेद खोलने में सफल रहा है और मैं माननीय गृह मंत्री महोदय को सदन में ऐसे समय में यह रिपोर्ट पेश करने के लिये बधाई देता हूं जब कि इस देश में विघटनकारी शक्तियां पूरे जोर-शोर से कार्य कर रही हैं। ये संगठन और व्यक्ति हमारे बाहरी शत्रुओं से अधिक खतरनाक हैं क्योंकि ये शक्तियां विदेशी एजेंटों से सांठ-गांठ कर देश को भीतर से कमजोर बना रही हैं।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान केरल के तटीय क्षेत्र में व्याप्त अशांत वातावरण की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। ये विघटनकारी शक्तियां तत्परतापूर्वक कार्य कर रहीं हैं और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केरल के तटीय क्षेत्र में अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण पैदा कर दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठनों से पैसा लेकर काम करने वाले एजेंट मछुआरों लोगों के बीच तत्परतापूर्वक अपना कार्य कर रहें हैं और उन्हें राज्य में विद्रोह करने के लिये भड़का रहे हैं । हमारे पड़ोसी देश श्री लंका में व्याप्त खतरनाक स्थिति को ध्यान में रख कर इस अशान्त स्थिति पर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना है। बड़ी शक्तियों द्वारा डियागो गार्सीया में रचे गये अन्तर्राष्ट्रीय षड्यंत्र की पृष्ठभूमि में भी यह एक गंभीर बात है।

अन्त में, विस्मित कर देने वाली सूचना से स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है कि विश्वासघात करने में संलग्न कुछ स्वैच्छिक संगठन देशद्रोह कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि इन कार्यवाहियों में संलग्न इन संगठनों और व्यक्तियों के विरुद्ध माननीय मंत्री महोदय क्या कदम उठाने जा रहे हैं। जनता यह जानने के लिये व्यग्र है कि इन संगठनों के सम्बन्ध में सरकार क्या करना चाहती है और मैं माननीय मंत्री महोदय से नम्रतापूर्वक यह अनुरोध करता हूं कि इस देश की सुरक्षा और हितों की उपेक्षा करके कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : महोदय, हम जानते हैं कि आयोग न्यायालय नहीं बल्कि तथ्यों का पता लगाने वाले निकाय हैं। इस कुदाल आयोग ने गंभीरतापूर्वक कुछ अवलोकन किया है और कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की हैं। आयोग की रिपोर्ट के अनुच्छेद 10 में कहा गया है :

गांधी स्मारक निधि की स्थापना महात्मा गांधी की यादगार, आदर्शों और चिन्तन को निरन्तर बनाये रखने के लिए की गई थी । इसकी स्थापना में पण्डित जवाहर लाल नेहरू समेत देश के अनेक महान व्यक्तित्व वाली हस्तियां जुड़ी थीं। गांधी स्मारक निधि द्वारा इसी प्रयोजन के लिये गांधी शान्ति प्रतिष्ठान की स्थापना की गई थी। आयोग ने देखा कि समय बीतने के साथ-

[श्री सोमनाथ रथ]

साथ यह दोनों संगठन अपने मूल लक्ष्यों और उद्देश्यों से हट गये हैं और यहां तक कि देश को अखण्ड बनाने के लिये उन्होंने स्वयं को विघटनकारी ताकतों से जोड़ लिया है।

आयोग की रिपोर्ट के अनुच्छेद 11 में कहा गया है :

आयोग ने पाया कि गांधी-स्मारक निधि के तत्वावधान में गांधी स्मारक संग्रहालय समिति द्वारा चलाये जा रहे गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय राजघाट, नई दिल्ली का कार्यसंचालन तथा प्रबन्ध बिल्कुल अनुपयुक्त है । राष्ट्रपिता के स्मृति चिह्नों को बनाये रखने और उनके परीक्षण के तरीके अत्यधिक संतोषप्रद हैं।

और आयोग ने यह पाया कि इन स्मृतिचिन्हों के राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व के सम्बन्ध में तथा भावी पीढ़ियों के लिये इन स्मृतिचिह्नों के उचित संरक्षण किये जाने की आवश्यकता के संबंध में दो राय नहीं हैं। गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय, राजघाट, नई दिल्ली के प्रबन्धन को अपने हाथ में लिये जाने के मुद्दे पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। मदुराई, पटना, बैरकपुर तथा बम्बई इन अन्य चार जगहों के संग्रहालयों का प्रबन्धन भी राष्ट्रीय हित में सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

महोदय, आयोग द्वारा किया गया अवलोकन बहुत ही गंभीर है। आयोग की रिपोर्ट के अनुच्छेद 7 में कहा गया है :

आयोग ने देखा कि देश के सीमावर्ती, तटवर्ती और आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे अधिकांश स्वयंसेवी संगठन कई विदेशी अभिकरणों, विशेष रूप से ई० जेड० ई० (पश्चिम जर्मनी) से भारी मात्रा में धन प्राप्त कर रहे हैं। विदेशी स्रोतों से इतनी बड़ी मात्रा में प्राप्त धनराशि का लाभान्यत: ऐसे स्वैच्छिक संगठनों की विकासात्मक और रचनात्मक गतिविधियों से बड़ा-थोड़ा या कोई सहज सम्बन्ध नहीं रहा है। इसलिये ऐसे विदेशी धन का एक बड़ा भाग अवांछनीय व्यक्तियों के हाथों में चला गया और इसका प्रयोग देश में अव्यवस्था और अस्थिरता उत्पन्न करने वाली विभिन्न विघटनकारी गतिविधियों के लिए हुआ।

महोदय, जब प्रधानमंत्री जी इस सदन में देश की अस्थिरता तथा देश के अन्दर तथा बाहर इस कार्य को करने वाले एजेंन्टों के बारे में बता रहे थे तो उस समय विपक्षी सदस्य उपस्थित थे, शोर मचा रहे थे और वे उन एजेंन्टों के नाम जानना चाहते थे। कुदाल आयोग ने उन एजेंन्टों, एजेंन्सियों के नाम और व्यक्तियों के नाम स्पष्ट रूप से बताये थे, जो इससे सम्बन्धित थे, जिनमें विपक्षी नेताओं के नाम भी शामिल हैं ।

महोदय, आयोग ने यह टिप्पणी भी की है कि इन एजेन्सियों ने गंगा-ब्रह्मपुत्र-बाराक बेसिन से सम्बन्धित आंकड़े भी एकत्र किए थे और एक अन्य स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से ये विदेशी एजेन्सियों को दिये गए थे। एक अन्य स्वैच्छिक संगठन ने भी देश के विभिन्न भागों से भू-भौतिकीय और भू-जलीय आंकड़े एकत्र किए और उन्हें विदेशी एजेन्सियों को दिया । यह बहुत चिन्ता की बात है कि विदेशी एजेन्सियां इस प्रकार के आंकड़े एकत्र करने और इस देश से सम्बधित जानकारी लेने में इतनी अधिक रुचि क्यों ले रही हैं जिसके लिए वे बहुत सारा धन थोड़ा-थोड़ा करके देने के लिए तैयार हैं। इन एजेन्सियों को फाइलें और नक्शे भी दिये गए है। ऐसे नक्शे, जो देश के प्रतिबंधित क्षेत्रों के हैं, उन्हें सर्वे आफ इण्डिया के अलावा कहीं से प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन

जांच पड़ताल से पता चला है कि इन संगठनों ने इन्हें चोरी छिपे प्राप्त किया और भारी मात्रा में विदेशी धन के बदले उन विदेशी एजेन्सियों को उस क्षेत्र के अन्य आकड़ों के साथ-साथ उस स्थल सम्बंधी जानकारी भी उन्हें दी। बहुत से मामलों में विदेशी एजेन्सियों ने स्वयं अपना कार्य क्षेत्र चुना और उन्होंने कतिपय प्रतिबंधित क्षेत्रों के नक्शों की मांग भी की। अतः इन टिप्पणियों से पता चलता है कि विरोधी पार्टियों ने अपने लाभ के लिए विदेशी एजेन्टों की कठपुतली के रूप में देश के विभाजन के लिए कार्य किया।

महोदय, इस समय यह बताना असंगत नहीं होगा कि विपक्षी दलों की गलत गतिविधियों के कारण उड़ीसा से 'अग्नि' के छोड़ने में दो वर्षों की देरी हुई। लम्बी दूरी की मार करने वाली यह 'मिसाइल' हमारे वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। आत्मनिर्भर साधनों द्वारा अपनी सुरक्षा और स्वतन्त्रता को बनाए रखने का यह हमारा लगातार प्रयास है। यह प्रौद्योगिकी प्रदर्शन देश की सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में हमारे दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। स्वदेशी प्रयासों से निर्मित 'अग्नि' भारी उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन और विकास का प्रतीक है। अखंडता, स्थिरता और एकता समय की पुकार हैं और सभी प्रकार के विदेशी खतरों से अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखना हमारा मौलिक कर्तव्य है। अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। हमें अपनी सुरक्षा को बनाए रखने की आवश्यकता है। हम आणविक हथियारों से मुक्त विश्व में विश्वास करते हैं। लेकिन 'अग्नि' छोड़ने का विरोध किन व्यक्तियों ने किया है? विपक्ष के नेताओं ने किया है। विपक्षी नेताओं में से एक जनता दल के नेता उड़ीसा भी गये और उन्होंने जहां 'अग्नि' छोड़ा जाना था वहां के लोगों के मन में भय उत्पन्न कर दिया और वहां आन्दोलन शुरू कर दिया। जनता दल के विपक्षी नेता ने लोक सभा में भी यहां तक कह दिया था कि 'अग्नि' उसके मृत शरीर से छोड़ी जायेगी और अग्नि छोड़ने के बाद जनता दल के कुछ नेताओं ने उड़ीसा में जाकर लोगों को कहा था कि जिसे छोड़ा गया था यह मिसाइल नहीं थी यह तो केवल एक आतिशबाजी जैसी चीज थी जिसे छोड़ा गया था और यह यहीं घूम रही है।

अग्नि को छोड़ने का विरोध किन देशों ने किया था। अमरीका ने इसका विरोध किया था। भारत सरकार अग्नि न छोड़े इसके लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। निस्संदेह, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने अग्नि छोड़कर उपयुक्त उत्तर दिया। अग्नि छोड़ने के बाद अमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही? वे कहते हैं मिसाइल के लिए जर्मन और अमरीकी प्रौद्योगिकी चुराई गई थी। वे मिसाइल छोड़ने से संतुष्ट नहीं हैं और कह रहे हैं कि यह स्वदेशी नहीं है। विपक्षी नेता जो इस मिसाइल को छोड़ने का विरोध कर रहे हैं वे और कोई नहीं, विदेशों के एजेंट ही हैं। गृह मंत्री, श्री चिदम्बरम एक विख्यात वकील होने के कारण भली प्रकार जानते हैं कि गवाही झूठी हो सकती है लेकिन परिस्थितियां कभी गलत नहीं हो सकतीं। महोदय, आप भी एक वकील हैं और आप भी यह जानते हैं। यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त पारिस्थितिक साक्ष्य हैं कि यद्यपि विपक्षी नेता बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और वे विदेशी एजेन्टों के नाम जानना चाहते हैं परन्तु वे स्वयं ही विदेशी एजेन्ट हैं, जो पारिस्थितिक साक्ष्य से भी सिद्ध हो गया है। यह वे नेता हैं जो पाकिस्तान गये थे और उन्होंने श्री जिया से बात की थी और कहा था कि पाकिस्तान हमारे देश के मामलों में हस्ताक्षेप नहीं करेगा और आक्रमण भी नहीं करेगा।

आज समाचार पत्रों में भूतपूर्व वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के एक पत्र के बारे में रिपोर्ट आई है। अमरीकी दूतावास के किसी रहस्यमय व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से बताया कि उनके निकट के

[श्री सोमनाथ रथ]

सहयोगी एक विदेशी एजेन्सी से मिले हुए हैं जनता दल के एक सचिव ने कहा है कि यह पत्र जाली है। लेकिन महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि श्री वी० पी० सिंह, भूतपूर्व वित्तमंत्री और रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री के मान्य हस्ताक्षर इस पर हुए हस्ताक्षर से मिलाए जाएं और इसे हस्तलेख विशेषज्ञ को यह सिद्ध करने के लिए भेजा जाए कि यह दस्तावेज असली हैं या नहीं। केवल यह कहने से कि यह असली नहीं हैं, यह समस्या नहीं सुलझेगी। इस हस्ताक्षर की तुलना श्री वी० पी० सिंह के मान्य हस्ताक्षर से करने से जो और कोई नहीं इस देश के तत्कालीन वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री थे, सिद्ध हो जायेगा कि क्या इस पत्र पर उनके हस्ताक्षर हैं या नहीं। अत: महोदय, यह सिद्ध हो गया है कि देश में अस्थिरता करने का एक षडयन्त्र रचा गया है और अलगाववादी संसद में मौजूद हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार ठीक ही कहा है, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस पर उचित कार्यवाही करे और केवल जांच से ही संतुष्ट नहीं हो जाए। सरकार ने कुदाल आयोग की रिपोर्ट पर जो कार्यवाही की उस बारे में भी बताया है। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस मामले की शीघ्र ही व्यापक रूप से जांच करनी चाहिए और उत्तरदायी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और एक अथवा दो महीने के अंदर कानून के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। यहां सी० आई० ए० एजेन्ट विद्यमान हैं और जिन सी० आई० ए० एजेन्टों का पहले ही पता लग गया है, उनको कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से भी सिद्ध करना चाहिए।

आयोग द्वारा एक अन्य मुद्दे पर भी टिप्पणी की गई है। आयोग ने यह टिप्पणी की है कि सरकारी विभाग और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड जैसे निकाय स्वैच्छिक संगठनों को पर्याप्त धन दे रहे हैं लेकिन बहुत से मामलों में धन का दुरुपयोग किया जाता है और धन को दूसरे कार्यों के लिए खर्च किया जाता है। यह बात आयोग के ध्यान में भी लाई गई है और यह देखा गया था कि सरकारी विभाग और निकाय धन के दुरुपयोग और धन को दूसरे कार्यों पर खर्च करने पर मूक दर्शक बने रहते हैं और उनके विरुद्ध एजेन्सी कार्यवाही करने के लिए कोई एजेंसी नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा कि वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। विपक्षी दल जिनका 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में कोई विश्वास नहीं है, वह अपनी पार्टी की संस्था बना कर राज्य समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से धन प्राप्त कर लेते हैं। यह धन उन्हें केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड गरीब व अनपढ़ लोगों के लिए प्रदान करता है और उस धन का दुरुपयोग स्वैच्छिक संगठनों की स्थापना कर अपनी पार्टी के उद्देश्यों के लिए और चुनाव उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

अत: जनता के लिए दी गई धनराशि विपक्ष द्वारा राजनैतिक उद्देश्य के लिए बांट दी जाती है।

मैं गृह मंत्री जी की जानकारी में नोटिस में केवल एक ही संस्था "प्रगति पथगा" को लाना चाहता हूं जो उड़ीसा के गंजम जिले के बेलुगुंठा में है। यह एक स्वैच्छिक संगठन है जिसने उद्योगों के माध्यम से महिलाओं के लिए काम देने तथा अनौपचारिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वित्त पोषित समाज कल्याण बोर्ड, उड़ीसा के माध्यम से लाखों रुपये लिये है परन्तु इस सारी की सारी राशि का गलत ढंग से प्रयोग किया गया है। बेलुगुंठा के पंचायत समिति अध्यक्ष श्री गोदावरीश पात्र तथा वकील श्री विपिन बिहारी साहू ने उड़ीसा सरकार तथा केन्द्र को शिकायत

की है और प्रगति पथगा के विरुद्ध पंचायत समिति का संकल्प पारित किया गया कि इसने निधियों का दुरुपयोग किया और इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार के अधिकारियों को सूचित किया गया, परन्तु कोई कारंवाई नहीं की गई है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कराई जाए क्योंकि यह धनराशि न केवल उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई है बल्कि केन्द्रीय सरकार द्वारा भी दी गई है। अत: केन्द्रीय सरकार को इस मामले की जांच-पड़ताल केन्द्रीय जांच ब्यूरो से करवानी चाहिये और उन सभी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना चाहिये जो इस धोखा-धड़ी में शामिल हैं। मुझे खुशी होगी यदि माननीय मंत्री जी मुझे की गई कारंवाई के बारे में सूचना देंगे। यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले की छानबीन की जाती है तब सरकार को यह सुराग मिल जायेगा कि न केवल विदेशी एजेंसियां ही भारत के लिए ऐसा नहीं करती हैं बल्कि स्वयं भारत में भी विपक्षी दल गरीबों के लिए दी गई राशि का ऐच्छिक संगठनों के गठन द्वारा किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं और उसमें गड़बड़ी करते हैं और विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के लाभ और कल्याण के लिए बनाये गये स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किस प्रकार धनराशि का दुरुपयोग किया जाता है।

12.54 म० प०

(इस समय दर्शक दीर्घा से कुछ नारे सुनाई दिये)

[हिन्दी]

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : सभापति महोदय, यह विश्व का सबसे बड़ा कमीशन रहा है और इस कमीशन की उपलब्धियां बहुत बड़ी रही हैं।

मान्यवर, यह सबसे बड़ा कमीशन विश्व में रहा है जिसने 163 एलीगेशन्स और 250 स्टेटमैंट्स को रिकार्ड किया है और 915 नोटिसेज को सर्व किया है। विश्व का यह सबसे बड़ा कमीशन माना जा सकता है। कुदाल कमीशन के विषय में 1985 में कालिंग अटेंशन द्वारा विरोधी दल के ही एक सदस्य के मार्फत कुछ प्रश्न किये गये थे। माननीय श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने कुछ ऐसे प्रश्न मई, 1985 में किये थे जो बहुत ही चिन्ताजनक थे। उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए उस समय के होम मिनिस्टर चव्हाण साहब ने इस बात को सकारा भी था कि कई सारी ऐसी एजेंसियां, जो महात्मा गांधी जी के नाम पर काम कर रही हैं, इस देश में, उनके द्वारा ऐसे क्षेत्रों के टोपोग्राफी के आधार पर तैयार किये गये नक्शे विदेशी एजेन्टों को दिये गये और इन नक्शों को विदेशों में ही छपवाया भी गया। इस ढंग की जितनी भी बातें उस समय माननीय सदन में कही गई थीं उससे यह साफ जाहिर होता है कि बहुत ही सुनियोजित ढंग से इस देश को कमजोर करने की स्थिति में माननीय विरोधी दल के सदस्यों ने जाने या अनजाने रूप में अपने आपको इस हालत में पहुंचाया है। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है और अत्यन्त ही दुख का विषय है कि हमारे देश के विरोधी दल के माननीय सदस्य इन संस्थाओं में बड़े ही पुराने और बड़े ही नीतिगत ढंग से अपने आपको जोड़े हुए हैं।

इस 6 वोल्यूम्स की रिपोर्ट में जितनी भी बातें कहीं गई हैं, उन बातों के आधार पर यह सर्वविदित हो चुका है, माननीय सदस्य जयप्रकाश जी अग्रवाल बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कालिंग अटेंशन मोशन में इस बात की चर्चा की थी, आपको भी याद होगा, कि महात्मा गांधी के नाम पर ऐसे जो पीस फाउण्डेशन हों, गांधी पीस फाउण्डेशन की बात कही, सर्व सेवा संघ की बात कही या तमाम 900 एजेंसियां इस संस्था के अन्दर में काम कर रही हैं, इन तमाम एजेंसियों को जो पैसा आता है

[श्री मनोज पांडे]

यह विपक्ष हमारी विदेशी फर्मों के नाम से लाता है और तमाम वैसी फर्में, जिनके विषय में हमारे माननीय विरोधी दल के सदस्यों ने बोफोर्स के इश्यू पर बहुत सारी जो बातें कहीं हैं, उनसे यह साफ जाहिर होता है कि वह इस बात को भी जानते थे कि कौन सी ऐसी विदेशी कम्पनियां हैं, जो पैसा हमारी संस्था को, सर्व सेवा संघ और पीस फाउण्डेशन को देती हैं। इनमें से दो तीन कम्पनियों का नाम कुदाल कमीशन की रिपोर्ट में आया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन कम्पनियों को, खास कर के एशिया फाउण्डेशन की बात कहना इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एशिया फाउण्डेशन 1958 से, बल्कि 1956-57 से बहुत बड़ी राशि गांधी पीस फाउण्डेशन को और अन्य संस्थाओं को देती चली आई है और 1968 में एशिया फाउण्डेशन का सम्बन्ध सी०आई०ए० के किसी एक व्यक्ति से पाया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप भोजन अवकाश के पश्चात अपनी बात जारी रख सकते हैं। सभा 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है।

1.00 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न-भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.05 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.05 म०प० पर पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री मनोज पांडे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि एशिया फाऊंडेशन एक ऐसी संस्था थी जिसने 1956 से गांधी पीस फाऊंडेशन और इस तरह की अनेक संस्थाओं को मदद दी, पैसा दिया। जो विदेशी एजेंसियां हैं उनमें एशिया फाऊंडेशन एक बहुत ही मिस्टीरियस किस्म की संस्था रही है। जिसके विषय में 1985 में एक कालिंग अटैंशन मोशन लाया गया था और उस समय माननीय होम मिनिस्टर द्वारा यह बात कही गयी थी कि इस संस्था को 1968 में बेन कर दिया गया था और यह कहा गया था कि इस संस्था को भारतवर्ष में रहने की आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर, हमें इस चीज की जानकारी चाहिए कि एशिया फाऊंडेशन जो संस्था थी उसमें कौन-कौन लोग थे जिनका डीलिंग सी० आई० ए० से था। चूंकि इसकी चर्चा कालिंग अटैंशन मोशन में की गयी है और सदन के रिकार्ड में है, इसलिए इस बात की जानकारी माननीय मंत्री महोदय सदन को देने की कृपा करें कि इस संस्था से किन-किन संस्थाओं को और किन-किन वर्षों में सहायता दी गयी। ऐसे व्यक्तियों के नाम बताएं जिनका कि सी०आई०ए० से लिंक इस संस्था में रहने के माध्यम से हुआ हो।

मान्यवर, यह बहुत ही चिंता का विषय है कि ऐसी संस्था से गांधी जी के नाम से बनी संस्थाओं को पैसा आता रहा है और किसी न किसी रूप में उसका दुरुपयोग होता रहा है और

उसका नतीजा कुदाल कमीशन की रिपोर्ट है। हमारे विपक्षी दल के सदस्य इससे किसी भी रूप में बचने की कोशिश करते रहें लेकिन यह सर्वविदित है कि पैसों का दुरुपयोग हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं हैं। इसकी कुदाल कमीशन ने चर्चा की है। कुदाल कमीशन ने 1250 एवीडेंसिज को खुद चुना और उनके आधार पर उन बातों को रिकार्ड किया गया। उसके बाद उसकी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि करोड़ों रुपये का दुरुपयोग हुआ है, दुरुपयोग किया गया है।

यह दुरुपयोग ज्यादा तर विरोधी दल के सदस्यों के द्वारा किया गया है और वह भी उस समय जब विरोधी दल केन्द्रीय सरकार में आसीन था। यह सब 1977 और 1980 के बीच में हुआ है। मान्यवर एक चीज पर और गौर किया जाए इस पैसे का कब दुरुपयोग किया गया। मई 79 से सितम्बर 79 के बीच में इन एजेंसियों से पैसा लेकर के डिसबर्स किया गया। ठीक 1980 के चुनाव के पहले यह सब कुछ हुआ। यह एक सोचने वाली बात है। इस रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है। इस पैसे का मुजफ्फरपुर कांस्टीच्यूएंसी में इस्तेमाल किया गया जो कि माननीय जार्ज फर्नान्डीस की कांस्टीच्युएंसी थी। उस वक्त हमने मुजफ्फरपुर कांस्टीच्यूएंसी में देखा था कि करीब दो सौ से ऊपर मोटर साइकिलों का वितरण किया गया। वहां के प्रमुख और वहां के कुछ ऐसे दबंग व्यक्तियों को मोटर-साइकल्स मुहैया कराई गई थीं, जनता पार्टी जो उस समय सत्ता में थी उसके उम्मीदवार द्वारा, यह बात सभी जानते हैं। तो क्या हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि मई 1979 से लेकर सितम्बर 1979 तक जितने पैसे का बंटवारा लोकल आर्टिजन्स को किया गया, मुजफ्फरपुर में किया क्या वही पैसा मोटर साइकल्स पर खर्च किया गया और ऐसे 200 व्यक्तियों को मोटर साइकल्स मुहैया कराई गई अपने इलैक्शन के समय में जार्ज फर्नान्डीस साहब ने। लोग कहते हैं कि आज भी उन लोगों के पास मोटर साइकल्स हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा क्या आप इसकी जांच करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन के दौरान इन मोटर साइकल्स को मुहैया कराने में क्या इस फण्ड की आवश्यकता उनको महसूस हुई थी? क्या केन्द्रीय सरकार अपने स्तर पर जांच करायेगी और सही-सही बातें इस माननीय सदन को बताने की कोशिश करेगी? चूंकि यह प्रश्न बहुत अहम् है। पोलिटिकल मोरेलटी की बात करने वाले विरोधी दल अपने चुनाव में मोटर-साइकल्स की खरीद-फरोख्त करके लोगों को रीझा कर वोट लेने की कोशिश करते हैं, इसके बावजूद भी 1980 के चुनाव में जार्ज फर्नान्डीस साहब मुजफ्फरपुर में हारे थे। लेकिन इतना बड़ा खर्च उन्होंने किया। कहा तो यह भी जाता है कि जार्ज फर्नान्डीस ने मुजफ्फरपुर के चुनाव में दो करोड़ रुपये से ऊपर खर्च किया था। पोलिटिकल मोरेलटी के नाम पर आज विरोधी दल एक मामूली सी०ए०जी० की रिपोर्ट पर अपने आपको सदन से बाहर करने की बात कहते हैं और पोलिटिकल मोरेलटी की बात करते हैं, क्या यही उनकी पोलिटिकल मोरेलटी है? क्या इस ढंग से एक तरफ पोलिटिकल मोरेलटी की बात करने वाले विरोधी दल अपने आपको इस कुदाल आयोग की रिपोर्ट से बरी कर पायेंगे? जितनी भी बातें इस ढंग की कही गई हैं कुदाल आयोग की रिपोर्ट में उसके प्राइमा फेसी केस इस्टेब्लिश हो चुके हैं। इसमें विलम्ब करने की आवश्यकता हमारी ओर से नहीं होनी चाहिए क्योंकि लॉ आफ दी लैंड चाहे कोई भी व्यक्ति कितने भी बड़े ओहदे पर हो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। जो कोर्ट आफ ला में उसके लिए निहित है। मैं यह मांग करना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों पर कुदाल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में प्राइमा फेसी केस इस्टेब्लिश किये हैं उन पर सरकार का क्या निर्णय हो रहा है, हम लोग इस बात की जानकारी चाहते हैं। एक और समस्या उठती है, इस कमीशन की रिपोर्ट में रूरल डिवलपमेंट की बात है। 1977 से 1980 के बीच में करने के लिए बहुत सारी बातें की गई और ग्रामीण विकास के लिए जितना भी पैसा बाहर से

[श्री मनोज पांडे]

आया, विदेशी एजेंटों द्वारा जो पैसा भेजा गया, उसका दुरुपयोग किया गया और एक व्यक्ति ने तो केरल का ऐसा स्वरूप पेश किया सिर्फ पैसा निकालने के लिए कि जो धनराशि उनको 1976-77 में मिली थी उस धनराशि की दुगुनी धनराशि उनको मिली, उसके लिए उन्होंने देश को भी बेच दिया और इसका सही जीता-जागता नमूना हमें माननीय नयनार जी, श्री उन्नीकृष्णन जी और श्री कुरूप जी के उन बयानों से मिलता है, जो इन तीनों माननीय सदस्यों ने कुदाल कमीशन के सामने दिये । उनके बयानों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि केरल स्थित गांधी स्मारक निधि नाम की जो संस्था है, उन दिनों जिसके अध्यक्ष मिस्टर पिल्लई हुआ करते थे, उन्होंने उस समय जो चिट्ठी लिखी और उसमें जो भारतवर्ष का नक्शा और खासकर केरल का नक्शा पेश किया, उसके आधार पर उन्हें 1976-77 में मिली धनराशि की तुलना में दुगुनी धनराशि वर्ष 1977-78 में मिली, यह कुदाल कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या देश का कोई ऐसा नागरिक, जो इतने महत्वपूर्ण औहदे पर हो, इस तरह देश की प्रतिष्ठाको बेचकर, विदेशी एजेंटों से पैसा मंगवाने की कोशिश करे, जिस ढंग से इस प्रकरण में हुआ, तो क्या उसे देशद्रोह की संज्ञा नहीं दी जा सकती । यह सरासर देशद्रोह है । देश की परिस्थितियों का अनुचित लाभ उठाकर, विदेशी एजेंटों के माध्यम से, यदि कोई व्यक्ति दुगुनी धनराशि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है तो वह देश के साथ धोखा है, देश-द्रोह है । क्या कोई मुझसे असहमति व्यक्त करेगा कि यह देशद्रोह का स्पष्ट उदाहरण है। मान्यवर, यह स्पष्ट देशद्रोह का मामला बनता है ।

दूसरी बात, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और चूंकि बिहार से उसका बहुत ही पुराना और घरेलू ताल्लुक है, मैं गांधी पीस फाउन्डेशन के बारे में कहना चाहता हूं। गांधी पीस फाउन्डेशन वहां ऐसी संस्था है जिसके अध्यक्ष माननीय जय प्रकाश नारायण जी भी रह चुके हैं, एमर्जेंसी के समय की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, चूंकि हम सभी भुक्तभोगी रहे हैं, सितम्बर, 1974 नहीं, बल्कि उसे यदि जून, 1974 कहा जाये तो ठीक होगा, जब गांधी पीस फाउन्डेशन द्वारा माननीय श्री जय प्रकाश नारायण के माध्यम से, देश में एक नया अभियान, टोटल रिवोल्यूशन का अभियान छेड़ा गया । उसी क्रम में पटना गांधी मैदान में जय प्रकाश नारायण जी का 1974 में जो भाषण हुआ, उसमें काफी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए, उस भाषण की डिट्टो कॉपी गांधी पीस फाउन्डेशन द्वारा सारे सदस्यों में सर्कुलेट की गयी । गांधी पीस फाउन्डेशन ने खुद अपने खर्चे पर, पटना ही नहीं, भोपाल, कानपुर, तमिलनाडु और देश के अन्य स्थानों पर, उस समय की सरकार के खिलाफ, अनेकों मीटिंग आयोजित कीं, जिनमें माननीय जय प्रकाश नारायण जी द्वारा भाषण दिये गये। उनके वर्कर्स ने गांधी मैदान, पटना, में माननीय जय प्रकाश नारायण जी द्वारा दिये गये भाषण की प्रतियां खुद सर्कुलेट कीं, स्वयं उनके वर्कर्स ने अनेकों पोलिटिकल मीटिंग्स में गुलामी की बात कही। खुल्लमखुल्ला कहा गया कि देश से इन्दिरा गांधी की सरकार को हटाने का मतलब होगा, देश की दूसरी आजादी, जिस तरह पहली आजादी हमने अंग्रेजों को भारत से निकाल कर प्राप्त की थी, ठीक वैसी ही दूसरी आजादी हम इन्दिरा सरकार को हटा कर प्राप्त कर सकते हैं और यह बात कुदाल कमीशन रिपोर्ट में भी आयी है । मान्यवर, उन दिनों गांधी पीस फाउन्डेशन जैसी संस्था का जिस तरह दुरुपयोग किया गया, उनके वर्कर्स ने जिस तरह भ्रामक प्रचार किया, वर्कर्स को जिस तरह से मोबिलाइज किया गया, उसके पैसे जहां से आये, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गांधी पीस फाउन्डेशन को 1975 से लेकर, बल्कि 1974 से लेकर 1980 के दौरान, जितना पैसा विदेशी एजेंटों की मार्फत मिला, उसका खाका हम लोगों के सामने, इस माननीय सदन में रखा

जाना चाहिये। इसका खाका भी हम लोगों को चाहिए, माननीय सदन को चाहिए, क्योंकि यह पैसा उस समय की प्रजातांत्रिक ढांचे पर बनी हुई सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। उस सरकार को गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया और किन विदेशी एजेंटों ने और एजेंसियों ने कितने पैसे सन् 1974 से लेकर 1980 के बीच में गांधी पीस फाउन्डेशन को अवार्ड के रूप में और अन्य किसी रूप में दिए इसका हमको एक खाका चाहिए। इसका नतीजा भी हमने देखा 1975 में इमरजेंसी लागू हुई। गांधी पीस फाउन्डेशन के दो व्यक्ति, जो बाद में श्री जयप्रकाश नारायण जी के साथ रहे, आज वे जनता दल के, बिहार में पार्लियामेंट्री पार्टी के अध्यक्ष हैं, वे श्री राम मूर्ति जी हैं। वे गांधी पीस फाउन्डेशन के सैक्रेट्री हुआ करते थे और जयप्रकाश नारायण जी के साथ रहते थे।

महोदय, गांधी पीस फाउन्डेशन के किसी भी क्लाज में यह नहीं लिखा है कि उसके वर्कर्स पॉलिटिकल अरीना में जाएंगे, उनको राजनीति में आने की मनाही है और सर्वोदय की जो संज्ञा दी गई है, उसमें कहीं भी यह नहीं है कि गांधी पीस फाउन्डेशन के वर्कर्स राजनीति में काम करते हों, उसमें इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, इसके बावजूद भी इनको प्रेरित किया गया और इसकी प्रेरणा देने वाले लोग आज जनता दल में मौजूद हैं। मान्यवर, यह तो हम भी जानते हैं कि आज से पहले भी जिस व्यक्ति का नाम हम लोगों ने यहां रखा है—जार्ज फर्नांडीज साहब, वे डायनामाइट केस में, खुद इन्वाल्व थे और जनता पार्टी की सरकार ने जब वह बनी, वह केस विथड्रा किया। हमारे पास ऐसे काफी सुबूत हैं जिनसे साबित हो जाता है कि ऐसे केसेस को विथड्रा किया गया। ऐसे एंटी नैशनल कामों से सम्बद्ध केसों को विथड्रा किया गया और स्वयं की जो अभिव्यक्ति है, वह संदिग्ध है, ऐसे केसेस को विथड्रा करके जनता पार्टी ने ऐसा नमूना पेश किया है जिससे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। ये ऐसी बातें हैं जिन पर बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए और मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिन-जिन बिंदुओं पर हमने बातें की हैं, उनका पूरा-पूरा ब्यौरा माननीय सदन को देने की कृपा करेंगे।

[अनुवाद]

श्री हरूभाई मेहता (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, गांधी शांति प्रतिष्ठान और अन्य संगठनों पर कुदाल पांच आयोग की रिपोर्ट कई खेदजनक मामले प्रकाश में लाती है जिनका सम्बन्ध कई तथाकथित स्वैच्छिक एजेंसियों से है, जो महात्मा गांधी और उनके सबसे प्रिय कार्य अर्थात् ग्रामीण विकास के नाम से कार्य कर रही है परन्तु वास्तव में वे अपने आप को समृद्ध करने, गबन, धन का दुरुपयोग, लेखाओं में गड़बड़ी और अन्य आपराधिक गतिविधियों, जो भारत सरकार और विदेशी धन देने वालों दोनों को धोखा दे रही हैं, और उन घृणास्पद राजनैतिक गतिविधियों में लगी हुई हैं, जिनका उद्देश्य भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार का विस्थापन करना है।

सबसे अधिक खेदजनक पक्ष जिसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि कई विपक्षी नेताओं की एक विशिष्ट मंडली बनाई जा रही है जिसमें स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण, श्री एल० सी० जैन, प्रो० मधु दंडवते, श्री जॉर्ज फर्नांडीज, श्री रवी राय और काफी बड़ी संख्या में प्रसिद्ध व्यक्ति भी शामिल हैं। उनमें से कुछ तो अब भी इन तथाकथित ऐच्छिक संगठनों से जुड़े हुए है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार से पश्चिमी जर्मनी की ई०जैड०ई० जैसी विदेशी एजेन्सियों ने भारत में अपनी दखलंदाजी की और तथाकथित गांधीवादी एजेंसियों से वर्जित क्षेत्र के नक्शों सहित ऐसी संवेदनशील सूचना की मांग की और उन्होंने अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों में रुचि ली। रिपोर्ट यह भी बताती है कि किस

[श्री हरूभाई मेहता]

प्रकार से देश के दुश्मन जो भारत में ही सक्रिय हैं और विदेशों में हैं तथा जो भारत की लोकतान्त्रिक व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं, उन लोगों की आपस में कितनी सांठगांठ है। अनेक बार इस सभा में और सभा के बाहर भी यह कहा गया है कि इस देश में अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियां जारी हैं। कुदाल आयोग ने इन तथ्यों को प्रमाणित रूप में सामने प्रकट किया है। एक उदाहरण द्वारा मैं अपने राज्य गुजरात की बात करता हूं। वहां कई वर्ष पहले, जयप्रकाश नारायण और उनके नेतृत्व में "नव-निर्माण समिति" का गठन किया गया था। इसने घेराव करने में और विधान सभा सदस्यों के त्यागपत्र की मांग करने में सर्व सेवा संघ का समर्थन किया और यह अन्य हिंसात्मक गतिविधियों में लगी रही। कुदाल आयोग की अन्तिम रिपोर्ट के पृष्ठ 17 में यह उल्लिखित किया गया है कि किस प्रकार से महात्मा-गांधी के नाम से काम करने वाली ये तथाकथित स्वैच्छिक एजेंसियां किस प्रकार सरकार विरोधी हिंसात्मक आंदोलन का समर्थन कर रही थीं। मैं रिपोर्ट के पृष्ठ 17 से उद्धृत करूंगा :—

> "सर्व सेवा संघ ने अपने लक्ष्यों और प्रयोजनों के विपरीत् पक्षपातपूर्ण राजनीति के लिए अपने संसाधनों का दुरुपयोग किया। पक्षपातपूर्ण राजनीति में हिस्सा लेकर सर्व सेवा संघ अपने उन लक्ष्यों और उद्देश्यों से इतना अलग हट गया कि इसने विद्यार्थियों, शिक्षकों, सर्वोदय कार्यकर्ताओं और रचनात्मक कार्यकर्ताओं से यह कहा कि वे जनता के सामने जाकर उन्हें यह बताएं कि उनका उद्देश्य यह देखना था कि गुजरात विधान सभा भंग कर दी जाए। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सर्व सेवा संघ ने "देश की तरुणाई को आह्वान" शीर्षक नामक उपर्युक्त पुस्तिका प्रकाशित करके अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है।"

गुजरात में, नव निर्माण आंदोलन जिसका उद्देश्य कानून द्वारा स्थापित की गई सरकार को अस्थिर करना था, उसका समर्थन विदेशी धनराशि की सहायता से काम कर रही इन तथाकथित गांधीवादी स्वैच्छिक एजेंसियों ने किया था। दुर्भाग्य से और अत्यंत निष्पक्षता के साथ मैं यह स्वीकार करता हूं कि सरकार द्वारा इस पर की गई कार्यवाही से मैं संतुष्ट नहीं हूं। सरकार इस मामले को अनसुना करती रही। यह कोई नयी बात नहीं है। कई वर्षों से विदेशी एजेंसियां इन विदेशी एजेंसियों की सहायता करने के लिए अपनी धनराशि को जमा कर रही हैं। क्या सरकार उनकी गतिविधियों से अनभिज्ञ है ? या तो सरकार भारत में इस विदेशी हस्तक्षेप को पकड़ने में पूर्णत: समर्थ नहीं है अथवा उन विदेशी विस्थापकों की गतिविधियों को नियंत्रित करने की सरकार की राजनीतिक इच्छा नहीं है जो भारत में उन तथाकथित स्वैच्छिक एजेंसियों के साथ सांठगांठ करके काम कर रही हैं जो भारत में विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रही हैं।

वर्ष 1985 के आरम्भ में, इसी विषय पर श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। यह कुछ गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा भारत-बर्मा सीमा और केरल में संवेदनशील और प्रतिबंधित क्षेत्रों के नक्शों की सप्लाई से संबंधित था, तथा इसके लिए संबंधित अधिकारियों की पूर्व अनुमति भी नहीं ली गई थी तथा इस प्रकार से इस मामले में, सरकार द्वारा की गई कार्रवाई और मानचित्र प्रतिबंध नीति एवं शासकीय गुप्त बात अधिनियम का उल्लंघन किया था। पांच वर्ष व्यतीत हो गए हैं। क्या सरकार ने भारत में विदेशी पैसे के आगमन को रोकने के

लिए कोई कदम उठाये हैं ? सरकारी एजेंसियों को छोड़कर भारत में किसी भी विदेशी पैसे के आगमन पर सरकार पूरी तरह से प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती ? जो कुछ भी विदेशी सहायता आती है, वह सरकारी एजेंसियों के माध्यम से की जानी चाहिये। गैर-सरकारी एजेंसियों को सीधे विदेशी राशि को स्वीकार करने की अनुमति ही क्यों दी जाती है ? हमने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम पारित किया है परन्तु इसमें कोई कठोर प्रावधान नहीं है और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट पढ़कर दुःख होता है।

इसके अलावा, कई मामले छोड़ गये हैं। इसकी एक लम्बी सूची है। कुदाल आयोग द्वारा दिए गए स्पष्ट निष्कर्षों के बावजूद भी अनेक मामलों को सरकार द्वारा छोड़ना अनिवार्य समझा गया। यहां तक कि संवेदनशील मानचित्रों के प्राप्त करने से संबंधित मामले और प्रतिबंधित मानचित्र जो पश्चिम जर्मनी को भेजे गये थे, ऐसे मामले भी छोड़ दिये गये हैं। कई अन्य मामले भी छोड़े गये हैं।

सरकार ने जिस तरीके से कुदाल आयोग की रिपोर्ट को लिया है, उससे मुझे अत्यधिक दुःख पहुंचा है। सरकार ने इस रिपोर्ट की अधिक परवाह नहीं की है। यह एक ऐसा अवसर होना चाहिये जिसमें सरकार उन सभी स्वैच्छिक एजेंसियों के खिलाफ सख्ती से पेश आती जो गांधी जी के नाम का दुरुपयोग कर रहीं थीं और विदेशों में हमारी छवि को खराब कर रही थीं और कानून द्वारा स्थापित सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों में सहायता कर रही थीं। इसके स्थान पर, कई मामले छोड़ दिये गये हैं। कुछ मामलों में उन्हें प्रमाण नहीं मिले हैं। कुछ मामलों में उन्होंने पाया है कि परिसीमन अधिनियम बाधक है। आपको परिसीमन अधिनियम में संशोधन करने के लिए किसने रोका था। अपराधों का पता लगने के बाद ही इस परिसीमन अधिनियम को लागू किया जा सकता है। कुदाल आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्षों के बाद जब सरकार को अपराधों का पता चलेगा, तो तभी से परिसीमन अवधि के दौरान मुकदमा चलाया जा सकता है। इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन बहुत से मामलों में, जिसमें बहुत से नाजुक मामले भी शामिल हैं जिनमें सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अन्तर्गत मुकदमे चलाये जा सकते थे, उन्हें वापिस ले लिया गया है। जहां तक कुदाल आयोग के निष्कर्षों का संबंध है, मैं सरकार के इस दृष्टिकोण से, इस कार्यवाही से असहमत हूं। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं ताकि सदन सरकार पर दबाव डाले कि वह कुदाल आयोग के निष्कर्षों के बारे में कोई कार्रवाई किये बिना चुप न बैठे। सरकार को शीघ्रता से कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्हें कम से कम कानून में तो संशोधन करना ही चाहिए था। कुदाल आयोग ने सुझाव दिया है कि कानून में संशोधन किया जाना चाहिए जिससे कि विदेशी धन को उचित माध्यम के अलावा आने से रोका जा सके। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके न्यासियों ने संग्रहालय का अनादर किया है। महात्मा गांधी के स्मृति चिन्हों को भी नष्ट करने या चुराने दिया गया। लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस संस्था का अधिग्रहण करने के लिए सरकार को किसने रोका है। गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय का अधिग्रहण किया जाना चाहिए था।

गत संसद में, राज्य सभा में भी सरकार को यह बताया गया था कि एक शैक्षणिक संस्था, जिसको विश्व विद्यालय माना जाता था और वह ऐसी स्वैच्छिक एजेन्सियों के साथ जुड़ी हुई थी जो गांधी जी के नाम पर कार्य कर रहीं थी और विदेशी धन का दुरुपयोग कर रही थी। मैं यह बात इसलिए जानता हूं क्योंकि मैंने उस समय राज्य सभा की कार्यवाही को सुना था। केन्द्रीय जांच

[श्री हरूभाई मेहता]

एजेन्सी की भूमिका पर कांग्रेस वालों ने नहीं बल्कि श्री उन्नीकृष्णन, जो कुदाल आयोग के समक्ष श्री नयन्नार और मेरे भूतपूर्व सहयोगी श्री सुरेश कुरूप के साथ उपस्थित हुए थे, उन्होंने इस पर प्रकाश डाला था। उन्होंने केरल में केन्द्रीय जांच एजेन्सी की गतिविधियों पर काफी प्रकाश डाला था जो इन स्वैच्छिक एजेन्सियों के साथ मिले हुए थे और देश में अस्थिरता फैलाने वालों का समर्थन कर रहे थे।

अब मैं आयोग के निष्कर्षों के बारे में कहूंगा कि वे क्या हैं ? आपराधिक, गबन आदि मामलों के अलावा कुछ मामलों में स्वैच्छिक एजेन्सियों ने पश्चिम जर्मनी की ई०जेड०ई० के कहने पर विदेशी धन का इस्तेमाल करने के लिए विशेष धार्मिक संस्था को भी सहयोजित किया केरल में स्वैच्छिक एजेन्सी, केरल गांधी स्मारक निधि को विदेशी धन का इस्तेमाल करने के लिए उस विशेष धार्मिक संस्था की गतिविधियों से सम्बद्ध होने पर सहमत हो गई। तत्पश्चात् पश्चिम जर्मनी की ई०जेड०ई० कम्पनी विदेशी धन देने के लिए सहमत हो गई थी और स्वैच्छिक एजेन्सी ने वह धन लिया। अत: उन्हें धर्म का रास्ता भी छोड़ना पड़ा। कम से कम जब आप महात्मा गांधी की बात करते हो तो आपको धर्म निरपेक्षता के लिए समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन इस स्वैच्छिक संगठन ने ई०जेड०ई० को प्रसन्न करने और उनसे धन प्राप्त करने के लिए उस विशेष धार्मिक संस्था का सहयोगी होने के लिए सहमति दी।

जहां तब गुजरात का सम्बन्ध है मैं ई० जेड० ई० की घृणित गतिविधियों को जानता हूं। यह पश्चिम जर्मनी की ई० जेड० ई० कम्पनी ही थी जिसने गुजरात तथा अन्य स्थानों पर कतिपय स्वयंसेवी एजेन्सियों को उत्तेजित किया और उन्हें धन भी दिया कि वे नर्मदा परियोजना के विरुद्ध उत्तेजना फैलाने के लिए एक आन्दोलन छेड़ें। पश्चिम जर्मनी नहीं चाहता था कि भारत विकास करें और आत्मनिर्भर बने। अत: इन बड़ी परियोजनाओं और बांधों का जिससे देश की समृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा, उनके द्वारा पर्यावरण के नाम पर विरोध किया गया है। कुछ स्वैच्छिक एजेन्सियों और कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति भी ऐसी परियोजनाओं के निर्माण के विरुद्ध वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं नर्मदा गुजरात की जीवन दायिनी है। जब गुजरात द्वारा विश्व बैंक और भारत सरकार की सहायता से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सहयोग से अत्यन्त कठिन कार्य को किया जाना है ये स्वैच्छिक एजेन्सियां परियोजना के बारे में संदेह का वातावरण बना कर इन परियोजनाओं के विरुद्ध आम राय लेने का प्रयास कर रही हैं।

लोक सभा में उठाए गए एक प्रश्न के दौरान, मैंने 'पैट्रेपाट' में छपी रिपोर्ट के बारे में प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया था। भारत को अस्थिर करने के लिए पश्चिम जर्मन की एजेन्सियां बड़ी सक्रिय हैं और वे अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए तथा हमारे देश में अस्थिरता फैलाने के लिए स्वैच्छिक एजेन्सियों का इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह इन स्वैच्छिक एजेन्सियों ने वित्त देकर भारत में इस उद्देश्य से हिंसक आन्दोलन करवाये ताकि स्थापित कानून और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर किया जा सके।

मेरे मित्र पाण्डे जी ने बिहार का एक उदाहरण दिया है। जहां तक गुजरात आन्दोलन का संबंध है मैंने अन्तिम प्रतिवेदन से भी कुछ उदाहरण दिए हैं। वे कहीं पर भी ऐसा कर सकते हैं।

अतः सरकार ने इस बात को छिपाने के लिए अपने क्रोध को नियंत्रित किया होगा जो लोग भारत में संसदीय लोकतन्त्र से घृणा करते हैं और जिन लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका के साम्राज्यवाद में भारत के लोकतान्त्रिक ढांचे से अधिक विश्वास है उनसे इसी रास्ते को अपनाने की आशा की जा सकती है। भारत सरकार ने इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही क्यों नहीं की और उन सभी अतिक्रमणों को क्यों नहीं रोका ? यह हाल का नतीजा नहीं है। इस प्रकार की गतिविधियां पिछले कई दशकों से चली आ रही हैं किंतु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई थी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कई स्थानों पर स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण ने इन स्वैच्छिक एजन्सियों की सहायता से हिंसा किए जाने का समर्थन भी किया है। कुछ और स्थानों पर हिन्दू-बौद्ध हिंसा तथा असन्तोष के बीज बोने का भी प्रयास किया गया। बौद्ध गया के नाम पर ऐसा किया गया। मैं भी पाचवें अंतरिम प्रतिवेदन के पृष्ठ 96 से कुछ उदाहरण देता हूं। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यह बहुत गम्भीर है। बौद्ध गया सत्याग्रह में ग्रामीण विकास हेतु स्वैच्छिक एजन्सियों के संगठन—"एवार्ड" द्वारा छात्र युवा संघर्ष वाहिनी को प्रोत्साहन दिया गया। बौद्ध गया सत्याग्रह के नाम पर कहा गया : **"बौद्ध गया में हिन्दू महन्त क्यों ?"**

हम ऐसी गांधी संस्थाओं के खिलाफ हैं जो जनता के बीच दरार पैदा करना चाहते हैं, चाहे यह मतभेद हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच हो अथवा हिन्दुओं और बौद्धों के बीच अथवा हिंदुओं और ईसाइयों के बीच हो। किन्तु इन्ही स्वैच्छिक एजेन्सियों ने एक विशेष समुदाय का समर्थन किया और दूसरे समुदाय के विरुद्ध घृणा व्यक्त की।

इसी प्रकार इसी रिपोर्ट के पृष्ठ 158 में उस गांधीवादी एजेन्सी का उल्लेख किया गया है जिन्होंने श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखित पुस्तक **सम्पूर्ण क्रान्ति की खोज में मेरी विचार यात्रा** प्रकाशित और वितरित की। सम्बद्ध एजेन्सी का नाम सर्व सेवा संघ है। स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण ने इसमें जो कुछ कहा है वह बहुत चौंका देने वाला है। मैं उस एजेन्सी द्वारा प्रकाशित तथा वितरित उस पुस्तक के पृष्ठ 43 से उद्धृत देता हूं : "किंतु मैं अर्थात श्री जयप्रकाश नारायण आपको बता दूं कि जहां तक मेरा संबंध है, मैं हिंसा के खिलाफ हूं, मेरा विचार यह है कि जनता को आन्दोलनों के दौरान तनिक भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। और मान लीजिए यदि अहिंसा अपने लक्ष्य में असफल होती है और प्रभावशाली नहीं होती है और हिंसा फूटती है और अपने प्रयोजन में सफल होती है, तो मैं बाधा नहीं डालूंगा।"—श्री जयप्रकाश नारायण का यह उपदेश कि यदि हिंसा फूटती है और सफल होती है, तो वह बाधा नहीं डालेंगे।

"हां, मैं उनका साथ नहीं दूंगा, फिर भी मैं उनका पक्ष नहीं लूंगा।"

वह एक अलग चीज है। लेकिन वह गतिरोध पैदा नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि उसने अपने प्रयोजन को सफल बनाने के लिये हिंसा को भड़काने की भी व्यवस्था की है। इसलिये, उन्होंने प्रचार किया कि उन्हें हिंसा या अहिंसा के सहारे अपने उद्देश्यों में सफल होना चाहिए और सम्पूर्ण क्रांति के नाम पर इंदिरा गांधी का तख्ता पलट दिया जाये और कानून के तहत स्थापित भारत सरकार को अस्थिर किया जाये और यदि आवश्यक हुआ तो हिंसा के माध्यम से भी सम्पूर्ण क्रांति लायी जाये। क्या महात्मा गांधी के नाम पर कार्यरत यह गांधी स्वैच्छिक एजेंसी उचित कार्य कर रही है ? यह प्रतिवेदन अनेक ऐसे उदाहरणों को दर्शाता है। इसलिये, मैं उन सभी उदाहरणों को यहां नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मैं आदर पूर्वक इन मामलों पर गम्भीरता से विचार करने का आग्रह करूंगा। सरकार को इस प्रासंगिक विधान पर नये सिरे से विचार करना चाहिए और

[श्री हरूभाई मेहता]

सरकारी एजेंसियों को छोड़कर सभी प्रकार के विदेशी धन के आने पर रोक लगानी चाहिए और वास्तव में सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये, और जहां सम्भव हो वहां ऐसी संस्थाओं को अपने अधिकार में ले लिया जाए।

मैं पुनः कहता हूं कि सरकार को बिना किसी हिचकिचाहट के उचित कार्यवाही शुरु करनी चाहिए। मेरे विचार से इन मामलों पर अविलंब ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

2.40 म०प०

असम के गोहपुर क्षेत्र में हिंसक घटनाओं के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : हमने इस सम्माननीय सदन से पहले वायदा किया था कि असम राज्य सरकार और हमारे द्वारा वहां भेजे गए केन्द्रीय दल से अधिकृत रिपोर्ट प्राप्त होते ही हम असम के गोहपुर क्षेत्र में हुई हिंसा के बारे में वक्तव्य देंगे : यह रिपोर्ट अब प्राप्त हो गयी है अतः मैं इस मामले पर वक्तव्य दे रहा हूं।

सरकार ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर गोहपुर रिजर्व वन क्षेत्र में भड़की हिंसा पर अत्यधिक चिंतित है। 12 तारीख को दोपहर के बाद अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल तथा मुख्य मंत्री से प्राप्त संदेश के अनुसार असम में सामूहिक झगड़ों और गोलीबारी के परिणामस्वरूप 3000 से अधिक बोडो अपने गांव से भाग खड़े हुए और अरुणाचल प्रदेश के लोअर सिब्बनसारी जिले में प्रविष्ट हुए।

इसी दौरान समाचार पत्रों में गोहपुर में बोडो लोगों की भारी जान हानि के बारे में चौकाने वाली खबरें प्रकाशित हो रही थी और असम सरकार से कोई अधिप्रमाणित वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। राज्य सरकार से टेलीफोन पर सम्पर्क करने के प्रयास किए गए और मुख्य सचिव से पता चला कि केवल 4 मौतों की सूचना की पुष्टि हुई है परन्तु आगजनी 30 गांवों में हुई है। 11 तारीख को दोपहर के बाद सेना की एक टुकड़ी बुलाई गई और शांति बहाल की गई।

गृह मंत्री महोदय ने असम तथा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को निजी तौर पर तुरन्त संदेश भेजे और उन्हें सलाह दी कि वे सामान्य स्थिति बहाल करने और प्रतिहिंसा को रोकने तथा पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए कारगर तथा समन्वित उपाय करें। उपर्युक्त विरोधी रिपोर्टों तथा राज्य सरकार द्वारा वास्तविक स्थिति की पुष्टि के अभाव को ध्यान में रखते हुए हमने गृह मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव के नेतृत्व में एक केन्द्रीय दल प्रभावित क्षेत्रों को भेजने का निर्णय लिया। दल 13 तारीख को सुबह रवाना हुआ और प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया तथा हवाई सर्वेक्षण किया और राज्य सरकार तथा स्थानीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। 14 तारीख को जब वे ईटानगर में थे तो असम के राज्यपाल, मुख्य मंत्री तथा मुख्य सचिव ने ईटानगर का दौरा किया।

हवाई सर्वेक्षण के दौरान केन्द्रीय दल ने देखा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के उत्तर में स्थित 52 झोपड़ियों और अरुणाचल प्रदेश के लोअर सिब्बनसारी जिले की सीमा तक 50 गांवों में बड़ी संख्या में झोपड़ियां जला दी गई थीं। वे प्रभावित व्यक्तियों से मिले जिनमें बोड़ो तथा अन्य लोग शामिल शामिल थे। स्पष्ट रूप में हिंसा की ताजा लहर लखीमपुर जिले में संदिग्ध बोड़ो शरारती तत्वों द्वारा 7 तारीख की रात को एक गैर बोड़ो की हत्या करने से भड़क उठी। जब उसके घर को जला दिया गया और 5 वर्षीय एक बालक को आग में फेंक दिया गया। उसके बाद गैर बोड़ों के लोगों के समूहों ने गांवों में बड़े पैमाने पर आगजनी की। असम के जिला प्राधिकारियों से एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार आगजनी द्वारा सोनितपुर जिले में 33 गांव तथा लखीमपुर जिले में 14 गांव प्रभावित हुए। असम सरकार द्वारा पुष्ट मौतों की संख्या 16 है, जिसमें सोनितपुर जिले के 7 सभी गैर बोडो तथा लखीमपुर जिले के 9 (4 बोडो तथा 5 गैर-बोडो) शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 4 शवों के बरामद होने की रिपोर्ट है। बोड़ो की केन्द्रीय राहत समिति के अनुसार 22 बोडो मारे गये और बहुत से लापता हैं, लेकिन इस दावे को सत्यापित करना संभव नहीं है। असम सरकार ने 31 राहत शिविर खोले हैं जिसमें 15 अगस्त को लगभग 26,500 व्यक्ति थे। इसमें 1100 बोड़ो भी शामिल हैं। बड़ी संख्या में बोड़ो लोगों ने भाग कर अरुणाचल प्रदेश में शरण ली। पंजीकरण के अभाव में सही संख्या ज्ञात नहीं है परन्तु अनुमानित संख्या 15,000 से 20,000 के बीच है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बोड़ो की केन्द्रीय राहत समिति को, जो इन शिविरों का प्रबन्ध कर रही है, 140 क्विंटल दाल, चावल, नमक तथा कुछ दवाइयां भेजी हैं। क्षेत्र लम्बा चौड़ा तथा दुर्गम होने के कारण मौतों तथा जले हुए मकानों की सही संख्या मालूम करना केन्द्रीय दल के लिए संभव नहीं है। केन्द्र ने राज्य सरकार को जोर देकर कहा है कि वह समूहों द्वारा बदले की कार्रवाई तथा हिंसा की पुनरावृत्ति को रोके तथा राहत पुनर्वास उपाय करे। इस संबंध में उन्हें आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया गया है। 15 अगस्त को असम के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने ईटानगर के दौरे के समय अपने प्रतिपक्षियों और केन्द्रीय दल के साथ ईटानगर में कार्रवाई की समन्वित योजना के बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया। असम सरकार असम में बोड़ो शरणार्थियों के लिए अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट शिविर स्थापित करने के लिए सहमत हुई और असम सरकार ने बोड़ो लोगों को उनके गांवों में सामान्य जीवन को दुबारा शुरू करने के लिए पर्याप्त संरक्षण का आश्वासन दिया। असम सरकार ने हमें आज सूचित किया कि है कि उन्होंने जांच आयोग अधिनियम के अधीन गोहपुर घटना की न्यायिक जांच एक न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश द्वारा कराने के आदेश दिए हैं।

जहां तक बोड़ो लोगों द्वारा बहुत देर से किए जा रहे आन्दोलन का संबंध है, जो उन्होंने इस वर्ष फरवरी से और तेज कर दिया है, केन्द्रीय सरकार असम की राज्य सरकार को इस बात पर राजी करने की कोशिश करती रही है कि वह आदिवासी समूहों के साथ वार्ता आरम्भ करें ताकि समस्या का वार्ता द्वारा समाधान ढूंढा जा सके। मुझे प्रसन्नता है कि 9 अगस्त को असम के मुख्य मंत्री के साथ गृह मंत्री के विचार विमर्श के बाद राज्य सरकार इस महीने के अन्त में दिल्ली में बैठक आयोजित करने के लिए सहमत हो गई है। केन्द्र, उनके अनुरोध पर, मंत्रालयीय स्तर के एक प्रेक्षक को भेजने पर सहमत हो गया है। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि अब स्थिति में सुधार हुआ है और आज की प्रैस रिपोर्टों के अनुसार अखिल बोड़ो छात्र संघ द्वारा 1001 घण्टे के बन्द को

[श्री सन्तोष मोहन देव]

वापस ले लिया गया है। हमें आशा है कि समस्या के स्पष्ट तथा न्यायपूर्ण समाधान के लिए सार्थक वार्ता अब आरंभ हो सकेगी।

2.45 म०प०

नियम 193 के अधीन चर्चा—(जारी)

गांधी शांति प्रतिष्ठान तथा सम्बद्ध संगठनों के कार्यकलापों की जांच करने के लिए गठित कुदाल जांच आयोग का चौथा, पांचवां तथा छठा अन्तरिम प्रतिवेदन और अंतिम प्रतिवेदन—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे कुदाल आयोग के प्रतिवेदन के संबंध में जो भी कहना चाहते हैं वह संक्षिप्त में कह सकते हैं, और माननीय मंत्री जी इसका जवाब 3.30 म०प० देने जा रहे हैं। मात्र 45 मिनट का समय शेष रह गया है और बोलने वालों की सूची काफी लम्बी है। श्री टोम्बी सिंह आप मात्र पांच मिनट बोल सकते हैं।

श्री एल० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी भारतीय, जिनका अपना कुछ नैतिक मूल्य है, जिनमें कुछ देशभक्ति की भावना है वह उस किसी भी संस्था, व्यक्ति, एजेंसियों की भर्त्सना करेंगे जो गरीबों के नाम पर लिये गये धन के दुरुपयोग में सम्मिलित हैं जिसे पुन्यार्थ पावन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद को कायम रखने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका और भी अधिक महत्व इसलिए है कि यह धन स्वैच्छिक संगठनों को गरीबों के कल्याण के लिये विदेशों से भेजा जा रहा है।

स्वैच्छिक संगठन और एजेंसी इसके एक पहलु हैं और इनके बारे में इस वाद-विवाद में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं कुछ संगठनों, व्यक्तियों जो सीमावर्ती क्षेत्र में, विशेष रूप से मेरे क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके संदर्भ में कहना चाहूंगा। ये लोग गरीब लोगों की सेवा के नाम पर फलते-फूलते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों से धन इकट्ठा करते हैं, जो व्यक्तिगत या संगठनों के माध्यम से, उदारतापूर्वक अच्छे उद्देश्यों के लिए अपना योगदान देते हैं। जब कभी सूखा अथवा बाढ़ या प्राकृतिक विपदा आती है तब ये लोग विदेशों में जाते हैं और वहां के लोगों से निवेदन कर धन इकट्ठा करते हैं। मैं इन व्यक्तियों या संस्थाओं का नाम जाहिर नहीं करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि कुदाल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी एजेंसियों को दर्शाया है जो जन-जातीय क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्र और सीमा क्षेत्रों में कार्यरत हैं। मैं ऐसी कुछ एजेंसियों और व्यक्तियों को जानता हूं जो गत तीन पीढ़ियों से इस कार्य में सक्रिय हैं। वास्तव में ये गरीब आदिवासी लोगों से सम्बन्धित हैं। अब वे बड़े महलों में रहते हैं, बम्बई और अन्य महानगरों में उनके मकान और सम्पत्ति हैं। जब भी देश में कोई संकट—बाढ़ या सूखा या कुछ प्राकृतिक विपदा विशेषकर जब उन क्षेत्रों में आती है तो वे इसके लिये धन इकट्ठा करते हैं पर ये धन गरीब लोगों तक कभी नहीं पहुंचता। मैं पिछले छः दिनों से उस क्षेत्र में था और वहां के बाढ़ सहायता कार्य में शामिल हुआ। मैंने वहां पर कुछ संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्तियों और कुछ संदिग्ध एजेंसियों की गतिविधियों को देखा। मैं जानता हूं कि ये लोग अब यूरोप के देशों में जाकर धन के लिए निवेदन करेंगे। वे वहां

से अपार धन लेकर वापस आएंगे जिसे वे कभी खर्च नहीं करेंगे । सातवें दशक के अंत में, इन संगठनों ने एक निजी महाविद्यालय खोला और इस महाविद्यालय में कुछ सीमित धार्मिक संप्रदाय के लोगों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की गयी । उस समय, मैंने अपने राज्य में शिक्षा मंत्रालय का पदभार संभाल रखा था। मैं उन संदिग्ध व्यक्तियों को जानता हूं। तब मैंने उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता की स्वीकृति नहीं प्रदान की तथा महाविद्यालय भी बंद हो गया । आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस महाविद्यालय को कुछ धन लगाकर शुरू किया गया था, शायद उन्हें यह धन किसी विदेशी एजेंसी द्वारा इस आश्वासन पर प्राप्त हुआ था कि महाविद्यालय को शुरू होने के पश्चात सरकार सहायता प्रदान करेगी, पर जब सरकार ने सहायता देने से इंकार कर दिया तो उन्होंने इसे बंद कर दिया । गरीबों को सहायता प्रदान करने आदि के नाम पर इस तरह की गतिविधि जारी हैं ।

मैं एक बहुत ही विशेष संगठन, संस्थान, खादी ग्रामोद्योग आयोग के संदर्भ में कहना चाहूंगा । विपक्ष के जार्ज फर्नान्डीज जैसा नेता अन्य जोकि छत पर खड़े होकर चिल्लाते हैं और देशभक्ति और देश सेवा के नाम पर ऊंची आवाज में बोलते हैं—वे विदेशी एजेंसियों और राष्ट्रीय एजेंसियों या सरकारी एजेंसियों से धन इकट्ठा कर उसका बुरी तरह दुरुपयोग कर रहे हैं । हमने ऐसे प्रतिवेदनों को देखा है जिनमें इन बातों का जिक्र किया गया है । यह बहुत ही खेदजनक और दुःख की बात है । कम से कम जो संस्था, संगठन और एजेंसी गांधीजी के नाम से जुड़ी हुई है, उदाहरण के लिये, गांधी शांति प्रतिष्ठान, चाहे वह दिल्ली, केरल या देश के किसी भी जगह पर हो, उनमें यह आत्म-सम्मान होना चाहिए । तभी वह राष्ट्रपिता का आदर करेगी । हमें उन्हें इस भ्रष्ट वातावरण से अलग रखना चाहिए ।

हम देखते हैं कि प्रत्येक राज्य में खादी ग्रामोद्योग आयोग और संगठन तथा राज्य मंडल विद्यमान हैं । उन संगठनों, संस्थानों से ऐसी आशा की जाती है कि वे अपने आप को भ्रष्टाचारों से दूर रखें । हम कहते हैं कि मंदिरों को भ्रष्टाचारों से दूर रखना चाहिए । मंदिरों को राजनीतिक गुटबाजी से दूर रखना चाहिए । मंदिर को हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए । मैं समझता हूं कि अभी भी मंदिरों का कुछ हद तक आदर किया जाता है । पंजाब में भी यह कोशिश की गयी कि मंदिरों को राजनीतिक और अन्य उद्देश्यों के लिये उपयोग में नहीं लाया जाये । इससे मैं समझता हूं कि कुछ अच्छे परिणाम मिले हैं ।

किसी भी संस्था, जैसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग और ऐसे संगठनों को भ्रष्ट वातावरण से अलग रखना चाहिए और यह दुःख की बात है कि हम इन संगठनों को अपेक्षित स्तरों पर कायम रखने में असफल रहे हैं ।

एक-दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आयोग ने यह देखा है कि कुछ व्यक्ति इन संगठनों में एक से अधिक पदों पर हैं इसमें स्वतः शामिल होकर धन का गबन और दुरुपयोग कर रहे हैं । उन्होंने कहा है कि, एक व्यक्ति, एक सदस्य पांच संगठनों और संस्थानों से सम्बद्ध हो सकता है । मैं इस उद्देश्य के पीछे इस तर्क को नहीं जानता हूं । यदि कोई व्यक्ति भ्रष्ट है और वह धांधली कर रहा है या एक संगठन में भी शामिल है तो इतना काफी है । यदि हम इसकी सीमा पांच निर्धारित करते हैं तो वह सीमा क्या है ? क्या इसमें ऐसा कुछ है जो अंधविश्वास या विज्ञान से सम्बन्धित है जिसे मैं नहीं जानता ? मैं ऐसी बात नहीं समझता । यह ऐसी चीज है जिस पर से सरकार का ध्यान नहीं हटना चाहिए ।

[श्री एन० टोम्बी सिंह]

अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह दण्ड से सम्बन्धित है—उन लोगों को जो धन के दुरुपयोग और घांधली में शामिल हैं—उन्हें कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए । सरकार अभी तक मैमी मामलों से इस संबंध में कुछ नहीं कर पायी है । इसके लिये कुछ नौकरशाही नियंत्रण, कुछ तंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए । सरकार के पास अपनी मशीनरी उपलब्ध है जिसके द्वारा वह विभागों की मशीनरी को नियंत्रित तथा सुदृढ़ बना सकती है जो इन संगठनों के व्यक्ति और एजेंसी को ग्रामीण विकास के लिये धन प्रदान करती हैं । इन संगठनों को मजबूत बनाने के लिये, तथा प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये कुछ कार्यवाही करनी होगी । क्योंकि—जैसा कि मैंने कहा है कि—विकास के लिये प्रशासन को मजबूत करना आवश्यक है । इन सभी विकास प्रक्रियाओं का उत्तरदायित्व सरकार पर है और साथ ही एक उत्तरदायी प्रशासन की भी आवश्यकता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रशासनिक मशीनरी को भी मजबूत बनाया जाना चाहिए । ऐसा करने के लिए हमें मात्र सर्वेक्षण करना पड़ेगा कि ए०बी०ए०बी०डी० जैसे कितने संगठन और विभाग तथा खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग जैसे कितने समाज सेवी संगठन हैं जो कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं ।

हमें पता लगाना चाहिए कि यह सहायता प्राप्त करने वाले कौन हैं । उनके कृत्य क्या हैं । इनमें से कितने अच्छा कार्य कर रहे हैं और कितने ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं । इसका एक सर्वेक्षण भी कीजिए और सर्वेक्षण के आधार पर कार्यवाही होने दीजिए । उन्हें कुछ दण्ड मिलना ही चाहिए । तभी हम सन्तुष्ट होंगे कि कोई ठोस कार्यवाही की गई है । हम इस ओर ठोस कार्यवाही की अपेक्षा करते हैं ।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मुझे बोलने के लिए अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

महोदय, आप जानते ही हैं कि बहुत से विद्वान सदस्यों, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया, ने आयोग के प्रतिवेदन के विभिन्न पहलुओं पर विचार व्यक्त किये । मैं न्यायमूर्ति श्री कुदाल को इतना अच्छा कार्य करने के लिए धन्यवाद दूंगा, जिसे उन्होंने उत्पन्न की गई मुश्किलों और बाधाओं के बावजूद पूरा किया । उन्होंने जो राष्ट्रपिता के नाम से जुड़ी संस्थाओं से संबद्ध उन लोगों का सही चरित्र उजागर करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है जो हमारे इस देश में स्वयं को नैतिक चरित्रवान और मूल्यों का ठेकेदार होने का दावा करते हैं । उनके चरित्र और कार्यकलापों का कुदाल आयोग ने पर्दाफाश कर दिया है ।

महोदय, हमारे देश में जब कुछ बातों पर असमंजस की स्थिति पैदा होती है तब एक आयोग स्थापित करने की मांग उठती है । लेकिन जब आयोग स्थापित किया जाता है और वह आयोग अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करता है और फिर यदि यह विपक्ष के अनुकूल नहीं बैठता है और जिन्होंने प्रारंभ में इसका स्वागत किया होता है वही उस समय उस आयोग को नीचा दिखाने में जुट जाते हैं । वे आयोग पर तरह-तरह के आरोप लगाते हैं । यही सब कुछ कुदाल आयोग के मामले में हुआ है ।

महोदय, हाल ही में, जब फेयरफैक्स के मामले में लोगों में असन्तोष व्याप्त हुआ तो उस समय ठक्कर-नटराजन आयोग गठित किया गया और जब आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो कि श्री वी०पी० सिंह के प्रतिकूल गया तब उन्होंने शोर मचाया कि वह सरकार का पक्का आदमी

है, ऐसा ही कुछ कहा। लेकिन जब यह उनके अनुकूल बैठता है तो वे उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। महोदय आयोग में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश नियुक्त किये जाते हैं। जब आयोग उनके अनुकूल नहीं बैठता तब वे आयोग का आदर नहीं करते हैं। हमारे विपक्ष की ऐसी स्थिति है।

महोदय, मेरे से पहले वक्ता माननीय सदस्यों द्वारा कही गई बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन साथ ही मैं एक-दो मुद्दों पर बोलना चाहूंगा। आयोग ने कुछ आरोपों को सिद्ध कर दिया है जो सरकारी धन के दुरुपयोग और उस धन को अन्य कामों के लिए इस्तेमाल करने और विदेशी सहायता एजेंसियों से मिले धन से संबंधित हैं। महोदय जानते हुये या अनजाने में, कुछ निश्चितरूप से जानते हुये और कुछ अनजाने में विदेशी एजेंसियों के हाथों की कठपुतली बन गये। यह सर्वविदित है कि देश में असहिष्णुता, गड़बड़ी फैलाने और अराजकता पैदा करने की कोशिश की। महोदय, आप जानते हैं कि 1970 के आरम्भ में भी ऐसी ही स्थिति पैदा की गई थी। उस समय षड्यंत्र करने, कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करने, अस्थिरता और अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई थी।

3.00 म०प०

जार्ज फर्नान्डीस का नाम लिया गया था। वह इस आयोग के शत्रु है। क्या यह उनके लिए नया है? वह किस उद्देश्य से पाकिस्तान गये? क्या जनरल जिया भारत के मित्र थे? क्या उनकी जनरल जिया के साथ गुप्त बातचीत नहीं हुई थी?

इसलिए यह संभव है श्री जार्ज फर्नान्डीस जैसे व्यक्तियों ने विदेशी एजेंसियों से धन लिया हो जिससे हमारे देश में असहिष्णुता, अराजकता और अस्थिरता पैदा की जा सकें। गांधी स्मारक निधि, गांधी शांति प्रतिष्ठान आदि, जैसी संस्थायें जिनके साथ पंडित नेहरू जैसे लोग जुड़े रहे हैं, के लिए शर्म की बात है। वह इतना नीचे गिर गई हैं। इस तरह बाद में जो लोग इन संस्थाओं को चलाते रहे हैं उन्होंने राष्ट्र की बदनामी करायी है और ये संस्थाएं राष्ट्र तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर एक कलंक है।

भारत जैसे राष्ट्र में स्वयंसेवी संस्थाओं को समाज कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में एक बड़ी भूमिका निभानी है। लेकिन यदि ऐसी स्वयंसेवी संस्थायें ऐसे भ्रष्ट तरीकों में लिप्त रहेंगी तो उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है? इनके लिए आचार संहिता बनाई जानी चाहिए। इन स्वयंसेवी संस्थाओं पर लागू होने वाले कानूनों में संशोधन करना होगा। कृपया इस ओर ध्यान दीजिए। हमें कुदाल आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों से सबक-सीखना चाहिए और इसी के अनुरूप हमें अपने कार्यकलापों में सुधार करना चाहिए। जो दोषी पाये जाएं उनका पंजीकरण रद्द कर देना चाहिए। और कुछ दंड का प्रावधान करना चाहिए। सरकार और अन्य संस्थानों द्वारा दिये जा रहे धन के समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जांच और निगरानी करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। विदेशी धन पर नियंत्रण किए जाना चाहिए और इस धन को देश में नहीं आने देना चाहिए। लेकिन जब यह धन आये ही तो इसे सरकार के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। जब श्रीमती गांधी प्रधान मंत्री थीं तब कुछ पाबंदियां थीं। लेकिन यह पर्याप्त और काफी नहीं थीं।

आयोग के निष्कर्षों के प्राप्त होने के पश्चात् देश में नैतिकता, सद्चरित्रता, मूल्यों पर आधारित राजनीति को दावा करने के ठेकेदारों का वास्तविक चरित्र उजागर हो गया है। ऐसे

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

लोगों के चुनाव में लड़ने पर रोक लगा दी जानी चाहिए और कानून में तदनुसार संशोधन किया जाना चाहिए। जो हमारे देश में विदेशी एजेंटों के लिए कार्य कर रहे हैं जो विदेशी धन प्राप्त करने में हिचकते नहीं और जो अराजकता, अस्थिरता और कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करते हैं उन्हें सजा दी जानी चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस बात पर गंभीर विचार करें कि क्या इस तरह के लोग चुनाव लड़ने और संसद और विधान सभाओं में जाने के उपयुक्त हैं। अतः मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए।

कुदाल आयोग की टिप्पणियों पर गंभीर विचार किए जाने की आवश्यकता है वरना मूलभूत प्रश्न को अनदेखा करना सही नहीं होगा—क्या महात्मा गांधी के नाम पर चल रही स्वयंसेवी संस्थाओं को हमारे राष्ट्र के मूल्यों में घुन लगाने की अनुमति है, क्या उन्हें निर्दयता से राष्ट्रीय हितों को संकट में डालने की अनुमति है क्योंकि यह सुसंगठित संगठन उन लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं जो प्रतिष्ठित लोग समझे जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, कुदाल कमीशन की रिपोर्ट जो हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, इस सवाल को हमने पिछली पार्लियामेंट में उठाया था कि वॉलेंट्री ओर्गेनाइजेशन्स, चाहे वे खादी का काम करती हों, चाहे अन्य प्रकार के काम करती हों, वे नाजायज तरीके से सारा पैसा खा गईं। उनके खिलाफ सरकार को निश्चित तरीके से कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार द्वारा जो पैसा दिया गया है, चाहे वह खादी कमीशन हो या अन्य किसी प्रकार की कोई ओर्गेनाइजेशन हो, उसने पॉलिटिकल एम्स का सैटिस्फैक्शन करने के लिए मिसयूज किया और विदेशों से धन मंगाया, उस धन को मिस यूटिलाइज किया, मिसएप्रोप्रिएट किया। इसलिए इनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने कुदाल कमीशन मुकर्रर किया, कुदाल कमीशन ने बहुत सारी अपनी फाइंडिग्स की। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इतने बरसों के बाद जब इस कुदाल कमीशन ने जो भी रिकमैंडेशन्स दी हैं, उनमें से बहुतों को आपने छोड़ दिया है यह कहकर कि उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती जबकि उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। मगर कई ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे केसेज हैं जिनमें आपने कार्यवाही करने की व्यवस्था की है। तो निश्चित तरीके से उन केसेज को भी आपको इस तरह से डील करना चाहिए जिससे कि जिन लोगों ने इस प्रकार की बातें की हैं उनके खिलाफ मजबूती से कार्यवाही हो और आने वाले समय में इस प्रकार की वौलंटरी आर्गेनाइजेशन्स के पैसे का दुरुपयोग न हो। ये व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से चलती रहें। खास तौर से तीन-चार संस्थाएं हैं जिनके संबंध में कुदाल कमीशन ने रिपोर्ट दी। उन्होंने रिक्वैस्ट करके गांधी जी के नाम से संस्था ली थी और उसमें बड़े-बड़े लोग थे और आज उसमें इस कैटेगरी के लोग आग गए हैं जिन्होंने उन संस्थाओं का दुरुपयोग करके करोड़ों रुपयों का गबन, घोटाला कर दिया। इसलिए चाहे गांधी नेशनल म्यूजियम हो चाहे गांधी गांधी स्मारक या इस प्रकार की जो भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं ने जिस तरीके की व्यवस्था इन पिछले वर्षों में की है, उनके खिलाफ निश्चितरूप से कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1975-76

में जब शान्ति का नारा इस देश में लगाया गया था तब जितनी भी वौलंटरी एजेंसीज थीं, खादी कमीशन या अन्य प्रकार की, उन तमाम संस्थाओं ने पोलिटिकल तरीके से एक प्रकार से हमारी सरकार के खिलाफ क्रान्ति पैदा करके इस सरकार को डिस्टैबिलाइज किया। उन्होंने सब प्रकार के लोगों में अपना प्रभाव जमाकर उनको गलत तरीके से, गलत वातावरण में ले जाने की कोशिश की। कंस्ट्रक्टिव संस्थाओं के नाम से जो एजेन्सीज थीं और जिन संस्थाओं का काम गरीब लोगों को रोजी-रोटी देना था उन संस्थाओं के जरिए इस प्रकार की व्यवस्था की ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितनी भी खादी की संस्थाएं हैं और कंस्ट्रक्टिव संस्थाएं हैं, जिनमें बड़े-बड़े लोग काम करते हैं और जिन्होंने पिछले वर्षों में फंड्स का मिसयूटीलाइजेशन किया है, उन सारी संस्थाओं को आप भी डीसैन्ट्रलाइज कीजिए जिस तरीके से पंचायती राज को डीसैन्ट्रलाइज कर रहे हैं और म्युनीसीपैलिटीज में भी डीसैन्ट्रलाइजेशन ला रहे हैं वैसे ही इन संस्थाओं में भी डीसैन्ट्रलाइजेशन लाइए। हम तो कहते-कहते थक गए जो लोग इन संस्थाओं के अन्दर रुपया दो रुपया लेकर काम करते हैं, उनका जिस तरीके से शोषण करते हैं, उस शोषण को समाप्त करने के लिए आप इन बड़े-बड़े हाथियों को क्यों नहीं समाप्त करते हैं जिन्होंने करोड़ों रुपया कमाकर अपने आप को वहां का मठाधीश बना लिया, अपना अलग सा राज्य स्थापित कर लिया। इस प्रकार की संस्थाएं बन्द होनी चाहिएं। जब हम कहते हैं कि किसी भी इण्डस्ट्री में मजदूरों को उसमें हिस्सा मिलना चाहिए, उसी तरह से इन संस्थाओं के अन्दर जो वर्कर्स हैं, उनको मैनेजमैंट के अन्दर लिया जाना चाहिए ताकि मैनेजमैंट में जिस प्रकार से ये संस्थाएं गड़बड़ी करती हैं, उस प्रकार की गड़बड़ी न कर सकें और उससे आम साधारण लोगों को ज्यादा से ज्यादा जीवन निर्वाह का लाभ मिल सके। इस प्रकार की व्यवस्था करने की नितान्त आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जार्ज फर्नांडीस हो या अन्य लोग हों, जिन्होंने भी इन फंड्स का दुरुपयोग करने की कोशिश की है और खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा जिन संस्थाओं को पैसा देकर उनको राजनीतिक स्तर पर आगे ले जाने की कोशिश की है और जिन फंड्स को राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया है, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर मंत्री महोदय इसके खिलाफ सख्त कदम उठायेंगे तो निश्चित तरीके से उससे फायदा होगा। यह व्यवस्थाएं होती आई है, सन् 1957 में और 1975-76 में भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं हुई हैं। आज भी विरोधी दल के लोग इस प्रकार से जो कंस्ट्रक्टिव संस्थाओं में काम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इन संस्थाओं को कन्ट्रोल नहीं करेंगे तो उनको जो पैसा मिलता है, उनकी जो से है और उनका जो कार्यक्षेत्र है, उसके अन्दर वह खर्च नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ लगा देते हैं और इस तरह से उसका दुरुपयोग होता है और वे हमारी इन संस्थाओं में गड़बड़ करने और व्यवस्था फैलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सारी चीजों का दुरुपयोग रोका जाना चाहिए।

1975-76 में भी जब समग्र क्रांति की बात आई तो इन संस्थाओं के जरिए पोलिटिकल पैम्फलेट्स गांव-गांव और घर-घर में भेजे गये और कहा गया कि हम डैमोक्रेटाइजेशन कर रहे हैं और लोगों को डैमोक्रेसी के सबक सिखा रहे हैं ताकि सही डैमोक्रेसी इस देश में आ सके। कांग्रेस जैसी संस्था जिस ने इस देश को आजाद कराया और आज भी हम आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़े-बड़े पूंजीपति, जागीरदार राजे-महाराजे और सामन्तों को समाप्त कर रहे हैं, समाजवादी व्यवस्था के जरिये देश को आगे ले जा रहे हैं, वहां पर दूसरी तरह के लोग अन्य प्रकार की

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

व्यवस्थाएं फैलाने की कोशिश करते हैं और यह इन संस्थाओं के द्वारा किया जाता है जिनको आपकी सरकार सहायता देती है।

इसलिए अपना ही जूता, अपने सिर पर मारने की बात जो ये संस्थाएं कर रही हैं, कम-से कम इसको रोकने की कोशिश की जाये। आज अपना ही धन अपने ही खिलाफ उपयोग किया जा रहा है तो ऐसी संस्थाओं को निश्चित तरीके से रोका जाना चाहिये और आने वाले समय में अगर इस प्रकार से इन संस्थाओं को फंड्ज दिये जायेंगे तो इससे सरकार और देश को नुकसान होगा। आज हम देश को अखंडित रखना चाहते हैं लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था में ये संस्थाएं निश्चित तरीके से पहले भी इन्होंने दुरुपयोग किया है और आने वाले समय में भी दुरुपयोग करेंगी। इसलिये इस रिपोर्ट में जो भी रिकमैंडेशन्ज हैं उनको जल्दी से जल्दी लागू किया जाये और इस प्रकार की संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ सख्त मुकदमें लाये जायें जिनके खिलाफ इन्होंने फाइंडिंग दी है। इन शब्दों के साथ मैं इस रिपोर्ट का समर्थन करता हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पाया है कि कुदाल आयोग द्वारा की गई सामान्य टिप्पणियां अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और इन सिफारिशों अथवा टिप्पणियों के व्यापक परिणाम होंगे बशर्ते कि सरकार इन टिप्पणियों को उचित परिप्रेक्ष्य में देखे।

वास्तव में पहली बार एक ऐसे आयोग ने हमारे देश में काम कर रही इन सोसाइटियों, न्यासों अथवा संस्थाओं के कार्यकरण की ओर ध्यान दिया है और इन्होंने ऐसी टिप्पणियां की हैं जो अत्यन्त चिंताजनक हैं। उदाहरण के तौर पर, कुदाल आयोग ने पाया कि सामान्यतः यह परोपकारी न्यास कुछ समय के पश्चात् अपने उद्देश्यों से भटक गए थे और यह संघ अथवा न्यास या सोसाइटियां राजनीति के अड्डे बन गए। फिर भी उन्हें आय-कर अधिनियम के अधीन लाभ मिले। और मैं समझता हूं कि इन सोसाइटियों की मान्यता रद्द करने का कोई उपबन्ध नहीं है। महोदय, मंत्री महोदय को इसका उत्तर देते समय इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कुदाल आयोग ने कहा है कि कानून में इन सोसाइटियों को मान्यता रद्द करने का कोई उपबन्ध नहीं है। इन संगठनों के संबंध में मैं वह बातें नहीं दोहराना चाहूंगा जो मेरे साथियों ने कही हैं। इन संगठनों को निरन्तर राशि मिलती रहती है। मुझे देश के अन्दर भी राशि मिलने के प्रति भी निजी तौर से आपत्ति है। उन्हें विदेशों से भारी राशि मिलती है और प्राप्तियों की कोई निगरानी नहीं है कि किस प्रकार इन राशियों का उपयोग होता है। जब वे राशि लेते हैं तो वे देश की एक झूठी तसवीर प्रस्तुत करते हैं कि देश में सूखा या बाढ़ है। विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत संगठनों को उस राशि के लेखा परीक्षित लेखे देने पड़ते हैं जो राशि उन्हें विदेशों से प्राप्त हुई है। किंतु केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों के पास कोई ऐसी प्रणाली नहीं है जहां वह इन संगठनों द्वारा किए गए अच्छे काम का मूल्यांकन कर सकते हैं। कुछ संगठन ऐसे भी होंगे जो अच्छा काम करते होंगे, किंतु हमारे पास ऐसी कोई पद्धति नहीं है जिस से हम उनके द्वारा किए गए काम का मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इन न्यासों में अत्यन्त महत्वपूर्ण पदों पर हैं। यहां मैं मंत्री महोदय की नोटिस में एक बात लाना चाहूंगा कि न केवल लोक प्रतिनिधि, तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता, अपितु भारत में विधान मण्डलों के सदस्य भी विभिन्न न्यासों के साथ चेयरमैन और अन्य विभिन्न पदधारियों के रूप में सम्बद्ध हैं। मुझे इन में से कुछ न्यासों, विशेषकर दक्षिण की कुछ न्यासों के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें हैं, जहां वे इन्हें

धर्म के नाम से चलाते हैं। यदि वे इसे मुसलमानों के लिए चलाते हैं तो 70 प्रतिशत स्थान गैर-मुस्लिमों को मिलेंगे क्योंकि उन्हें उन से अधिक धन मिलता है। मैं कुछ ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जहां वे एक मेडिकल सीट के लिए 5 लाख रुपये वसूल करते हैं। इन बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि यह किसी धार्मिक संस्था के नाम से चलाए जाते हैं तो उस धार्मिक समुदाय को विशेषाधिकार मिलना चाहिए, किंतु उस समुदाय को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है। उन्हें निर्धन होने का दण्ड भुगतना पड़ता है। कभी-कभी मैं सोचता हूं कि मैं यह बात प्रधान मंत्री और अपने सक्षम मंत्री चिदम्बरम जी को लिख भेजूं। मैं आपको यह बताऊंगा कि किस प्रकार विधान मण्डलों के सदस्य, न्यासों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन अथवा सदस्यों के महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हैं। फिर भी वे मेडिकल कॉलेज में दाखिला देने के लिए 4 से 5 लाख रुपये तक लेते है। यह अत्यन्त आपत्तिजनक है। अतः कुदाल आयोग की सिफारिशें सबूत के तौर पर मेरे पास हैं और इन सिफारिशों से मेरा यह विश्वास दृढ़ हो गया है कि यह न्यास समाज के उन वर्गों के लिए नहीं चलाए जा रहें हैं जिन के लिए यह बनाए गए हैं परन्तु अपने सगे-संबंधियों के लिए व्यवसाय चला रहे हैं। न केवल यह न्यास देश में से और विदेश से ही धन इकट्ठा करते हैं किंतु खादी और ग्राम उद्योग आयोग और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड जैसे कुछ प्रमुख संगठन भी कुछ ऐसे संगठनों को धन देते हैं जो समाज कल्याण की व्यवस्था करने के लिए बनाए गए हैं। किंतु न खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग और न ही केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के पास कोई निगरानी प्रणाली है। वे केवल धन का भुगतान करते हैं और उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जाती। वे नहीं जानते हैं कि क्या उस धन का उचित प्रयोग किया गया है। वर्ष के अन्त में, खादी और ग्राम उद्योग आयोग अथवा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा इन स्वैच्छिक संगठनों को झुंझलाहट में धन दिया जाता है। इनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का मूल्यांकन करने का समय किसी के पास नहीं है।

महोदय, ऐसे कुछ संगठन हैं जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की सलाह लिए बिना मानचित्र तैयार करते हैं और नाजुक जानकारी इकट्ठी करके उसे विदेशों को भेजते हैं। अतः कुदाल आयोग ने यह पाया है कि सरकार को उचित ढंग से इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए और उचित विधायी उपाय करने चाहिएं। हम देखेंगे कि किस प्रकार मंत्री महोदय श्री चिदम्बरम इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि सरकार को इन संगठनों को सही दिशा में नियंत्रित करने के लिए उचित कानून बनाना चाहिए।

अंत में कुदाल आयोग ने गांधी स्मारक निधि और गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के संबंध में अत्यन्त गम्भीर प्रश्न उठाया है और कहा है कि ये संस्थान गांधी स्मारक निधि अथवा संभवतः गांधी शांति प्रतिष्ठान ने विघटनकारी गतिविधियों में भाग लिया है। कुदाल आयोग ने यह कहा है कि वे साम्राज्यवादी तत्वों, साम्राज्यवादी शक्तियों से सम्बद्ध रहे। यह अत्यन्त गम्भीर आरोप है। जहां तक गांधी संग्रहालय को अपने अधिकार में लेने का संबंध है, मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि हो सकता है सरकार भी इसको ठीक प्रकार से नहीं चला पाए। केवल इसी कारण से सरकार को इसे अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए कि इसे उचित ढंग से नहीं चलाया जा रहा है। इसमें सुधार हो सकता है। आखिर सारा काम सरकार द्वारा ही नहीं चलाया जा सकता है। हमारे देश में स्वैच्छिक संस्थाएं भी होनी चाहिएं।

किन्तु जहां तक गांधी स्मारक निधि और गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के कार्यकरण का संबंध है, यह एक अत्यन्त गम्भीर टिप्पणी है और इससे देश पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अतः आप के माध्यम

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जहां तक गांधी स्मारक निधि और गांधी शान्ति प्रतिष्ठान का संबंध है जांच पड़ताल के बाद इस संबंध में एक श्वेत पत्र जारी किया जाए क्योंकि कुदाल आयोग द्वारा ये अत्यन्त गम्भीर आरोप लगाए गए हैं। पूरे देश को मालूम होना चाहिए कि किस समय क्या हुआ है ताकि भविष्य में हम सावधान रहें।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : डिप्टी स्पीकर साहब, कुदाल कमीशन के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं, मैं कही हुई बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन जो कुछ कुदाल कमीशन ने फाइण्डिंग्स दी हैं, वह अपने आपमें बड़ी गम्भीर बात है और सरकार को चाहिए कि उन फाइण्डिंग्स पर एक्शन ले जिससे देश देखे कि जो लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, उनके असली चेहरे कैसे हैं।

कुदाल कमीशन के बारे में पूरी रिपोर्ट की फाइण्डिंग्स भी अखबारों में नहीं आई हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि टेलीवीजन पर और रेडियो पर इनकी फाइण्डिंग्स के बारे में डिटेल डिस्कशन हो जिससे लोग समझ सकें कि महात्मा गांधी के नाम को इन लोगों ने किस तरह से

3.23 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

बदनाम किया था, चाहे गांधी स्मारक निधि हो, गांधी पीस फाउण्डेशन हो या ऐसी दूसरी कितनी ही संस्थाएं हैं जिनमें विदेशों से पैसा आया और उसको किस तरह मिस-एप्रोप्रिएट किया गया। हमारे क्षेत्र में भी एक मधुबनी जिला समग्र संस्थान बना और उसमें 7.75 लाख रुपये का मिसएप्रोप्रिएशन हुआ। पहली बार जब कुदाल कमीशन की कुछ-कुछ बातें अखबारों में आने लगीं तब लोगों को पता चला कि इस तरह का कोई संस्थान था और उसमें बड़े-बड़े लोगों ने पैसे खाये। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जिन-जिन लोगों, चाहे वह कितने ही बड़े लोग हों, के बारे में फाइण्डिंग्स आई हैं, उन पर सख्ती से मुकदमा चलाया जाय जिससे आगे कोई गलत काम करने की हिम्मत नहीं कर सके। इसके बारे में डिटेल बातें आ गई हैं, मैं उन बातों को आगे क्या रिपीट करूं।

जार्ज फर्नान्डीज के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि जार्ज फर्नान्डीज ने खुद जस्टिस कुदाल को ब्लेम किया है और कहा है कि वह कांग्रेस के अनुयायी हैं इसलिए बायस होकर जजमैण्ट दिया है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, इससे बढ़कर गलत बात क्या हो सकती है। हम इस सदन में यदि कोई बात कहते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है। जार्ज फर्नान्डीज ने ऐसी हिम्मत कैसे की कि वह जस्टिस के खिलाफ बातें करें। जार्ज फर्नान्डीज ने जो कुछ कहा है, जो कुछ किया है, वह जगजाहिर है और रिपोर्ट में आ गया है कि जबरदस्ती खादी विलेज कमीशन से पैसा लाकर अपनी कांस्टीट्वेन्सी में खर्च करने के लिए कहा और वह पैसा भी मिसएप्रोप्रिएट कर दिया। श्री जॉर्ज फर्नान्डीस के कनैक्शन्स विदेशों में है और खास तौर से वैस्ट जर्मनी से। जो लोग राजनीति में हैं, वे सभी जानते हैं। आप लोगों को याद होगा, 1974 में जब रेलवे स्ट्राइक हुई थी, तो जार्ज फर्नान्डीस के कई टेलीग्राम इन्टरसैप्ट किए गए थे, जिस में कहा गया था, वे इस देश में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। बड़ौदा डायनामाइट केस के बारे में कौन नहीं जानता है। ऐसा भयानक आदमी

जो देश को डिस्टैबिलाइज करना चाहते हैं उनका सही चेहरा देश के सामने आना चाहिए। वे इस प्रकार की बातें कहें, उनको ये बातें कहने की छूट कैसे दे सकते हैं। मैं अपनी बात संक्षेप में यही कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जिन्होंने कि इस देश की मनी को और फॉरेन मनी को मिसएप्रोपिएट किया है, उन पर मुकद्दमा होना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए।

इसी विषय में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। विदेशों से बहुत सी यूनिवर्सिटीज हमारे यहां स्टडी और रिसर्च करने के लिए टीम भेजती हैं। उनके पास फण्ड कहां से आता है, यह एक मिस्ट्री रहती है। बहुत बाद में पता चलता है कि उस स्टडी ग्रुप का कनैक्शन सी०आई०ए० से था। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी स्टडी ग्रुप यदि इस देश में आए, तो उसके बारे में पता लगाया जाए, क्योंकि वह ग्रुप स्टडी या रिसर्च के बहाने ट्राइबल एरियाज में, सैन्सटिव एरियाज में या बार्डर एरियाज में जाते हैं और लोगों को भड़काते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि इस तरह की कोई परमीशन देने के पहले अच्छी तरह से सोच-समझ लिया जाए, चाहे वह यूनिवर्सिटी में क्यों न आएं। इस बारे में पूरी तरह से होम मिनिस्ट्री पता लगाए, तब तक इस देश में किसी विदेशी को आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। वे यहां से क्या फिलम ले जाते हैं, क्या तस्वीर ले जाते हैं, इसकी भी पूरी जांच-पड़ताल होनी चाहिए।

अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि कुदाल कमीशन ने जो केसेज महात्मा गांधी से संबंधित थे, उनकी इन्क्वायरी करने की कोशिश की, लेकिन पता चला है कि कनाडा में खास तौर से बहुत से लोग पैसा जमा कर रहे हैं, यह कहकर कि भारत में ह्यूमन राइट्स की हत्या हो रही है और वह पैसा आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोई डॉलर में जमा नहीं हो रहा है, इंडियन करंसी में जमा हो रहा है। उनके जो रिश्तेदार भारत में हैं, अब तो डायरैक्ट डायलिंग की सुविधा है, कहा जाता है सो-एंड-सो आदमी जाएगा हिन्दुस्तान में पांच लाख रुपया दे दीजिए। उसके पहले पांच लाख रुपया हमें दे देते हैं। एक सिक्रेट कोड से द्वारा काम होता है। मेरा ख्याल है कि होम मिनिस्ट्री को इन सारी बातों का पता होगा। इस तरह की एक्टिविटी और इंडियन करंसी में पैसा जमा किया जाता है, तो इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए और अपने देश में ऐसे लिंक को समाप्त किया जाना चाहिए। कुदाल कमीशन ने जो अपनी फाइंडिंग्स दी हैं, उन पर सख्ती से अमल होना चाहिए।

श्री राम स्वरूप राम (गया) : सभापति महोदय, कुदाल कमीशन की आब्जर्वेशन्स पर सदन में विचार हो रहा है। इन आब्जर्वेशन्स से यह मालूम हुआ है कि जितनी भी देश में वालन्ट्री आर्गेनिजेशन्स हैं, इनकी संख्या बारह हजार के लगभग है। बारह हजार वालन्ट्री आर्गेनिजेशन इस देश में विभिन्न कामों में, पिछड़े हुए इलाकों में, आदिवासी इलाकों में, सेवा की भावना से स्थापित की गई हैं और दूसरे यह कि जो विदेशी आर्गेनिजेशन हैं, उन्हीं के द्वारा इनको पैसा मिलता है। जैसे गांधी पीस फाउंडेशन है। गांधी जी के पवित्र नाम के पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आप यह समझिये इस प्रकार की वोलेंटरी आरगेनाइजेशंस देश पर कलंक हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को इनका टेक ओवर करना चाहिए।

सभापति महोदय मेरे क्षेत्र में, जिस एरिये से मैं आता हूं एक बौद्ध गया समन्वय आश्रम है जिसको जयप्रकाश बाबू ने बनाया था। उसको डाइरेक्ट पैसे विदेशों से मिलते हैं। विदेशी लोग वहां जाकर ठहरते हैं। माननीय मंत्री जी इस की विशेष जांच कराएं। मैं जानता हूं चूंकि वह मेरी कांस्टीच्युएंसी में है। वहां जावा, सुमात्रा, जर्मनी, जापान के बहुत से विदेशी लोग आते हैं

[श्री रामस्वरूप राम]

और वहां दो-दो और चार-चार महीने प्रशिक्षण देने के नाम पर रह जाते हैं और हमारे देश से जो इंफर्मेशन पाते हैं वह विदेशों को भेजते हैं। उसके बदले में समन्वय आश्रम उनसे कमीशन लेता है। मैंने इसी सम्मानित सदन का और पत्र द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया लेकिन इस पर आज तक कार्यवाही नहीं हुई।

सभापति महोदय, कुदाल कमीशन ने सभी संस्थाओं के बारे में चर्चा की है। कुदाल कमीशन ने देश की सभी संस्थाओं पर व्यापक आरोप लगाए हैं जो संस्थाएं एकत्रित धनराशि को गलत कार्य पर खर्च कर रही हैं। कुछ संस्थाएं तो राजनीतिक गतिविधियों का अखाड़ा बन गयी हैं।

बौध गया का जो समन्वय आश्रम है वहां पर दसियों तरह एक्टीविटीज होती हैं। अभी वहां पर देवी लाल गये थे और देवी लाल उसी समन्वय आश्रम में रुके थे। वहां पर श्री द्वारका सुन्दर तिवारी जी ने पब्लिसिटी करने के लिए उन्हें लाखों रुपये दिये। यह मुझे निश्चित जानकारी विश्वस्त सूत्रों से मिली है।

इतना ही नहीं, जिन लोगों ने गंगा-ब्रह्मपुत्र-बारक बेसिन के बारे में प्रतिबंधित आंकड़े इकट्ठे किए और एक विदेसी एजेंशी को सौपें। एक अन्य संस्था ने देश के भौगोलिक आंकड़े जमा कर दूसरे देशों तक पहुंचाए।

वोलेंटरी आरगेनाइजेशन पर एक आरोप यह है कि जो माप प्रणाली ये संस्थाएं विदेशियों को दिए जाने वाले मानचित्रों आदि में इस्तेमाल करती हैं, वे स्वीकृत मानक प्रणाली से भिन्न होती हैं।

इन संस्थाओं की नीति है, एक्टीविटीज है कि वे वोलेंटरी एजेंसीज के नाम से फ्लड़, साइक्लोन जैसी आपदाओं के समय जा कर के लोगों की सेवा करें। हरिजनो और गिरिजनों के जो इलाके हैं उनमें जाकर उन लोगों में काम करें। लेकिन इन कामों के लिए प्राप्त पैसे का सीधे-सीधे डाईवर्शन हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहता हूं कि जो बिहार और मेरे एरिये में नक्सलाईट एक्टीविटीज हो रही हैं उन पर भी इसको प्राप्त पैसा खर्च हो रहा है। इसलिए मेरी आपसे मांग है कि सरकार समन्सच आश्रम पर विशेष निगरानी रखे ताकि वहां पर हरिजनों और गिरिजनों के नाम से जो विदेशों से पैसा आता है वह उन गरीब तबके के लोगों में हो खर्च हो। जबकि आजकल उन तबकों के लिए कुछ नहीं किया जाता है। अतः मेरा आप से अनुरोध है कि आप गहराई से सभी संस्थाओं की जांच कर एक बोर्ड बनाएं जो कि राष्ट्रीय सरकार की अपनी निगरानी में रहे।

श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर) : चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं महसूस करता हूं कि वक्त बहुत कम है इसलिए मैं एक-दो प्वाइंटस की तरफ ही आपकी तवज्जह दिलाना चाहूंगा। इसमें कोई शुबहा नहीं कि कुदाल कमीशन की फाइन्डिंग्स ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हमारे देश में एक गहरी साजिश, देश के वालेंटरी आर्गेनाइजेशन्स और गांधी जी, राष्ट्रपिता के नाम पर चल रही थी, उसमें कुछ ऐसे लोग इन्वौल्व थे जो अपने आप को इस देश का बनाने वाला या रहनुमा जाहिर करते हैं, कुदाल कमीशन की रिपोर्ट आने से उनकी असली करतूतों पर से, उनके असली किरदार से पर्दा हट

गया है। उस रिपोर्ट में क्या-क्या कहा गया है, उसके बारे में हाउस के बाकी ऑनरेबल मैम्बरान ने बड़ी तफसील में जाकर बातें की हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा लेकिन जब हमें यह मालूम हुआ कि इन तमाम वालेंटरी आर्गेनाइजेशन्स का ताल्लुक कुछ ऐसे लोगों के साथ है, कुछ ऐसी ताकतों के साथ है, जो इस देश को तबाह बरबाद कर देना चाहती हैं, जो हमेशा इस देश के खिलाफ साजिश करती रही हैं, हमें चाहिए कि उन ताकतों या उन लोगों के चेहरे से पर्दा उठायें, लोगों के सामने उन्हें एक्सपोज करें। यहां जितने ऑनरेबल मैम्बरान बैठे हैं, मैं उनसे पुरजोर गुजारिश करूंगा कि रिपोर्ट पर फौलो-अप एक्शन जरूर होना चाहिए। उसके बाद जितने भी हमारे कवानीन हैं, वालेंटरी आर्गेनाइजेशन्स के बारे में गवर्नमैंट को पूरा अख्तयार होना चाहिये कि वह उन्हें डी-रिकग्नाइज भी कर सके। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे आर्गेनाइजेशन्स की करतूतों पर कन्ट्रोल करने के लिए, फोरसी करने के लिए, उनकी मौनिटरिंग के लिये, यदि हम कोई स्टैट्यूटरी प्रौविजन कर सकते है तो जरूर करें। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, उनके नाम से जितने म्यूजियम बने हैं, सरकार उन सब को अपने चार्ज में ले ले ताकि उनकी हिफाजत हो सके। इन शब्दों के साथ मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूं।

شری محمد ایوب خاں (اودھم پور) : چیئرمین صاحب. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. میں محسوس کرتا ہوں کہ وقت بہت کم ہے اسلیئے میں ایک دو خاص پوائنٹس کی طرف ہی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. اسمیں کوئی شبہ نہیں کہ کدال کمیشن کی فائنڈنگس نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں. ہمارے دیش میں ایک گہری سازش دیش کے والینٹری آرگنائزیشنس اور گاندھی جی راشٹر پیتا کے نام پر چل رہی تھی انمیں کچھ ایسے لوگ انوولو تھے جو اپنے آپ کو اس دیش کے بنانیوالے یا رہنما ظاہر کرتے ہیں کدال کمیشن کی رپورٹ آنے سے ان کی اصلی کرتوتوں پر سے ان کے اصلی کردار سے پردہ ہٹ گیا ہے. اس رپورٹ میں کیا کیا کہا گیا ہے اسکے بارے میں هاؤس کے باقی آنرایبل ممبران نے بڑی تفصیل میں جا کر باتیں کی ہیں میں ان میں نہیں جاؤں گا لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان تمام والینٹری آرگنائزیشنس کا تعلق کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، کچھ ایسی طاقتوں کے ساتھ ہے جو اس دیش کو تباہ و برباد کر دینا چاہتی ہیں، جو ہمیشہ اس دیش کے خلاف سازش کرتی رہی تھیں، ہمیں چاہیئے

کہ ان طاقتوں یا ان لوگوں کے ذہن سے پردہ اٹھائیں لوگوں کے سامنے انہیں ایکسپوز کریں۔ یہاں جتنے اونرایبل ممبران بیٹھے ہیں میں ان سے پُرزور گذارش کروں گا کہ رپورٹ پر فالواپ ایکشن ضرور ہونا چاہیئے۔ اسکے بعد جتنے بھی ہمارے قوانین ہیں و الینٹری آرگنائزیشنس کے بارے میں گورنمنٹ کو پورا اختیار ہونا چاہیئے کہ وہ انہیں ڈی ریگنائز بھی کر سکے۔ دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ ایسے آرگنائزیشنس کی کرتوتوں کنٹرول کرنے کے لئے فورس کرنے کے لئے ان کی مونیٹرنگ کے لئے اگر ہم کوئی اسٹیچوٹری پروویزن کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ مہاتما گاندھی ہمارے دیش کے راشٹر پتا تھے ان کے نام سے جتنے میونرم بنے ہوں سرکار ان سب کو اپنے چارج میں لے تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔

[अनुवाद]

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : मैं गृह मन्त्री जी को कुदाल आयोग की इस अन्तिम रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने के लिए और इसका अध्ययन करने का अवसर देने के लिए बधाई देता हूं।

यहां इस सदन में ऊपरी तौर से बहुत से हरिशचन्द्र हैं.....।

श्री विश्विजय सिंह (राजगढ़) : हरीशचन्द्र रावत नहीं।

श्री पी०एम० सईद : बिल्कुल नहीं। वे कुदाल आयोग की रिपोर्ट को छोड़कर अन्य सभी रिपोर्टों की मांग कर रहे हैं। मैं सम्पूर्ण चर्चा को और आगे बढ़ाना चाहता क्योंकि सदन के लगभग सभी दलों ने कुदाल आयोग पर हुई चर्चा में सक्रिय योगदान दिया है। इस तरह उन्होंने देश के लिये महान कार्य किया है। मैं गृह-मंत्री जी को केवल सावधान करना चाहता हूं कि जिन बातों पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं वह यहीं समाप्त नहीं होनी चाहिए बल्कि सरकार की ओर से कठोरता से अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए।

मैं इन पवित्र संगठनों के बारे में एक बात बताना चाहता हूं जिनके माध्यम से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां की गई हैं। इन संगठनों के हित में और अन्य संगठनों के हित में भी इन संगठनों पर

प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए और इस प्रकार के संगठन नहीं होने चाहिए जिनमें अवांछनीय तत्व मिलकर राष्ट्र का शोषण करें।

तीसरा, मैं समूचे देश को बताना चाहता हूं कि न्यायमूर्ति कुदाल ने बहुत से व्यक्तियों, बहुत से जनता दल के नेताओं के बारे में कहा है, अगर वी० पी० सिंह वास्तव में सच्चे व्यक्ति हैं तो उन्हें इन सब लोगों को टिकट देने से इन्कार कर देना चाहिए तभी देश की जनता कहेगी कि वह सच्चे व्यक्ति हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपने विद्वान मित्रों द्वारा दिये गये योगदान की प्रशंसा करता हूं और सरकार से इन संस्थाओं में गलत कार्य करने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का फिर से अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, श्री पुरुषोत्तमदास कुदाल ने जो सवाल इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर के खड़ा किया है, उसके लिए मैं सबसे पहले कुदाल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। उन्होंने, बड़े-बड़े महानुभाव और बड़े से बड़े पदाधिकारी हों, परन्तु जिनके विरुद्ध जो कुछ भी आरोप बन सकते थे, उन्होंने उनको साबित करने का प्रयास किया और यह नतीजा निकाला कि गांधी पीस फाउंडेशन, गांधी स्मारक निधि अवार्ड और सर्व सेवा संघ, ये संस्थाएं जो महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर चल कर राष्ट्र को ऊंचा उठाना चाहती थीं, लेकिन इन संस्थाओं ने जिस प्रकार से कार्य किया है, उस को देखकर हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। हम चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में कठोर से कठोर कदम उठाये जाएं।

महोदय, मैंने यह पाया है कि जितने भी कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और जिन जिन महानुभावों, और राजनीतिज्ञों के विरुद्ध टिप्पणी करते हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। मैं यह चाहता हूं कि जो-जो नाम रिपोर्ट में आये हैं, वे बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं—श्री धनिक लाल मण्डल, डा० रजिया अहमद, श्री सिद्दीक अली, श्री सोमदत्त वेदालंकार, श्री आर० आर० दिवाकर, श्री के० एस० राधाकृष्णन, श्री वी० आर० नंदा, डा० ऊषा मेहता, श्री बिमल प्रसाद, श्री देवी प्रसाद, और जार्ज फर्नाण्डीस आदि, ये सभी महानुभाव राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए हैं और इन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है। स्थिति ऐसा बताती है कि इसमें सी० आई० ए० एक्टीविटीज इन्वाल्व हैं। हमारे मैप वगैरह प्रोजैक्ट्स के द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, जिससे हमारे राष्ट्र को बहुत नुकसान हुआ है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की अराष्ट्रीय कार्यवाहियां करने के लिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाई होनी चाहिए और सी० बी० आई० से जांच करवा कर के उनका चालान प्रस्तुत करके राष्ट्र को बताया जाना चाहिए कि वे किस प्रकार के कृत्य करते हैं और वे अपने कृत्यों के द्वारा जो ऊंचा उठने का ढोंग रचते हैं, वह जगजाहिर करना चाहिए उनको नीचे गिराना चाहिए और अभी जो सुझाव दिया गया है, उन पार्टियों के प्रेसीडेंटों का भी यह कर्त्तव्य है कि उनको किसी भी स्थान से चुनाव में खड़े होने का टिकट नहीं देना चाहिए जिससे वे उसका लाभ उठाकर कोई और ऐसा कार्य न कर सके। मैं चाहता हूं कि इस कमीशन की रिपोर्ट पर पूरी कार्यवाही होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहान्डी) : आयोग ने स्पष्ट निष्कर्ष निकाले हैं कि जिन संस्थाओं ने धन लिया है—चाहे यह सरकारी धन हो या विदेशी धन—उन्होंने इस धन का दुरुपयोग किया है या उन्होंने धन का उचित तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है।

मैं निष्कर्षों में से उद्धृत करता हूं—

"आयोग ने देखा है कि अधिकतर मामलों में विदेशी धन का एक बड़ा भाग अवांछनीय व्यक्तियों के हाथों में चला गया और इसका प्रयोग देश में अव्यवस्था और अस्थिरता उत्पन्न करने वाली विभिन्न विघटनकारी गतिविधियों के लिये हुआ। महात्मा गांधी के नाम पर चलाई जा रही एजेन्सियों को विदेशी एजेन्सियों को सौंप दिया था।"

अत: यह दु:ख की बात है कि गांधी जी के नाम पर कुछ संस्थाएं और लोग ऐसी मनोवृत्ति से कार्य कर रहे हैं।

मैं गृह मंत्री जी से इस सम्बन्ध में स्पष्ट वक्तव्य चाहता हूं कि यदि प्रथम दृष्टया मामले से सिद्ध हो जाता कि ये सभी संस्थाएं इस प्रकार के कार्यों में शामिल हैं तो ये अमान्य कर दी जायेंगी और इनका पंजीकरण समाप्त कर दिया जायेगा। मुकदमा चलाया जायेगा।

यदि वे स्वयं को हरिशचन्द्र होने का दावा करते हैं तो उन पर मुकदमा चलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, देश में न्यायमूर्ति कुदाल जी ने जो रिपोर्ट हम लोगों के सामने प्रस्तुत की है, देश के सामने प्रस्तुत की है, आज उसमें हम भी यहां के माध्यम से विचार कर रहे हैं। इनमें, जितने विदेश से धन प्राप्त करके देश में गड़बड़ी पैदा करने वाले हैं उनको सामने रखा है। ये साधन केवल देश में गड़बड़ी पैदा करने वाले नहीं हैं बल्कि देश को तोड़ने वालों में से हैं। उनकी रिपोर्ट के अन्दर हमने देखा है कि हमारे सरहद के नक्शे, संवेदनशील स्थानों के नक्शे, इन संस्थाओं के द्वारा विदेशी ताकतों को भेजे गये। यह साधारण बात नहीं है, यह देशद्रोह है। इस देशद्रोह को उन्होंने जो उजागर किया है उसके लिए मैं उनका अभिनन्दन करता हूं क्योंकि वे एक देशभक्त न्यायाधीश थे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि देश में कोई गड़बड़ी पैदा हो सके। इसलिए उन्होंने इसे सामने रखा। न्याय की दुहाई देने वाले लोग आज कहां गए? एक न्यायाधीश ने निष्पक्ष हो जब रिपोर्ट सामने रखी तो जार्ज फर्नांडीस का यह कहना कि न्यायाधीश के ऊपर किसी तरीके से लांछन लगाना यह न्याय को नकारना होता है तो वह यह क्यों कर रहे हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो विदेशी धन को लेकर देश को बर्बाद करने जा रहे हैं, टुकड़े करने जा रहे हैं क्यों उनको ये चीजें अच्छी लगी? आज इसलिए वे कुदाल कमीशन की एक गलत ढंग से आलोचना करने का प्रयत्न कर रहे हैं सत्यता को वे क्यों नहीं देखते? क्योंकि यह उनसे जुड़ा हुआ है और उन्होंने सम्पूर्ण क्रांति के नाम पर देश को बरगलाने का प्रयत्न किया। उसमें जार्ज फर्नांडीस का क्या रोल था? उन्होंने विदेशी धन लेकर फौज को बगावत करने को प्रेरित किया, देश को तोड़ने का प्रयत्न किया और उसमें असफल रहे। आज जब उनका भंडाफोड़ सामने आ रहा है तो ये लोग उनका बचाव कर रहे हैं। हम जानते हैं कि गांधी जी कौन थे?

जिन्होंने कंचन मुक्त इस देश के लिए काम किया, फकीर की तरह रहे, उनके नाम पर संस्था का इस तरह से उपयोग हो, इसे बन्द करना चाहिए।

अन्त में कहना चाहता हूँ कि गांधी की संस्था का, खादी की संस्था का, और भी जितनी संस्थाएं हैं उनका भी दुरुपयोग उन्होंने जानबूझकर किया। वे जान गए थे कि किस तरीके से उनका उपयोग किया जाता है। जिस तरह से सीता के हरण के लिए रावण को साधू रूप लेना पड़ा, वही स्थिति इसकी है। केवल गांधी संस्थाओं के नाम से ही विदेशी धन नहीं जा रहा है। हिन्दू के नाम से जो संस्थाएं चल रही हैं, क्रिश्चैनिटी के नाम से जो संस्थाएं चल रही हैं उनके ऊपर भी आपको निगाह रखनी चाहिए। इस सदन के जरिए से मांग करता हूं कि जो भी विदेशी धन है वह सीधा संस्थाओं के पास न जाए, शासन के पास जाए और शासन के माध्यम से समाजसेवी संस्थाओं को दिया जाए। तब इनकी गड़बड़ी रुकेगी। यदि षडयन्त्रकारी षडयन्त्र करने से बाज नहीं आएंगे और ये राजनेता जो देश को तोड़ना चाहते हैं, पैसे का दुरुपयोग करते हैं उन पर आप पूरी तरह से बंदिश लगाइए यही मेरा आपसे आग्रह है।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति महोदय, कुवाल कमीशन की जो रिपोर्ट माननीय गृह मंत्री जी ने दोनों सदनों में पेश की है, इससे सारे राष्ट्र की आंखें खुल गई हैं। इससे यह मालूम हुआ है कि जो लोग डकैतों के लिए, डाकुओं के लिए पैसा हासिल कर के डकैतों को बचाने के लिए जो आत्म-सम्मान कर देते हैं, उनके बाहर निकलने पर, उनको बचाने के लिए जो पैसा आया है, वह उसको भी हजम कर गये हैं। जो डाकुओं के लिए पैसे हैं, दूसरी संस्थाओं को चलाने के लिए पैसे हैं, यह गबन के केसेज हैं। अगर कोई गरीब आदमी 2 रुपये का भी गबन करता है तो उस पर मुकदमा करना पड़ता है, उसको जेल भुगतनी पड़ती है, लेकिन जो लोग इसमें इन्वाल्व हैं, वह अभी तक क्यों छूटे हुए हैं ? इनके खिलाफ आपको सख्त कदम उठाना चाहिए वरना यहां पर इस डिस्कशन का कोई मजा नहीं रहेगा। इस हाउस की पूरी राय है कि आप इस पर कार्यवाही करें जो कुछ भी गबन हुआ है उसको देखें।

ये कहते हैं कि बोफोर्स गन में गबन हुआ है, लेकिन उसका कोई प्रमाण इनके पास नहीं है। खाली रिपोर्ट का सहारा लेकर ये यहां से रिजाइन कर के चले गये हैं। जरा-जरा सी बात पर तो ओब्जेक्शन लग जाते हैं लेकिन इसमें लिखा है कि इन्होंने रुपया खाया है।

हमारे हिमाचल प्रदेश में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। गरीब लोग और बहुत सी संस्थाएं कश्मीर में भी हो सकती हैं, हिमाचल और दूसरे सूबों में भी हो सकती हैं। हिमाचल में रुचि नाम की एक संस्था है जिसका आज तक आडिट नहीं हुआ, कानून से नहीं हुआ, उनके मकान बनते हैं, वे अपना प्रचार करते हैं, तिब्बत से लेकर नक्शों को सप्लाई करते होंगे, इस बारे में भी आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए।

जो संस्थाएं इस देश में इस प्रकार काम करने वाले हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं गांधी जी के नाम पर या और किसी नाम पर यहां चलें, उन पर पूरा अंकुश लगना चाहिए और इनके खिलाफ आपको स्टैप उठाने चाहियें और उनके खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिये। उन संस्थाओं को आडिट कराना चाहिये और यह देखना चाहिये कि कौन से कन्ट्री से उनके पास पैसा आया है और कहां-कहां से पैसा आया है और किस काम के लिए यूज किया गया है। जितने केसेज बने हैं, उनमें बहुत से केसेज आपने छोड़ दिये हैं लेकिन जो आपने कायम रखें हैं उन पर जल्दी से जल्दी आपको

[श्री के० डी० सुल्तानपुरी]

निर्णय लेना चाहिए। सरकार उनके खिलाफ उचित कदम उठाये। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : सभापति महोदय, हमारे साथी श्री टी० वशीर के प्रस्ताव पर जो कुदाल कमीशन पर यहां बहस चल रही है, उस पर हमारे जितने साथियों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, उससे मैं सहमत हूं। खासकर श्री केयूर भूषण जी ने जो कहा है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं।

यह विडम्बना ही है कि गांधी जी के नाम से जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उनमें ऐसा कार्य हो जो गांधी जी की मूल प्रवृत्तियों के विरुद्ध हो। मैं आज देख रहा था, इस गांधी पीस फाउन्डेशन के अध्यक्ष श्री वर्मा ने कहा है कि कुदाल आयोग की जो जांच रिपोर्ट है, इसको तुरन्त निरस्त करना चाहिए। कारण बताया है कि इससे जो व्यक्तियों की स्वतन्त्रता है, जो स्वैच्छिक संस्थाओं की साइक्लोजी है, वह प्रभावित होती है। मैं आपसे दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि स्वैच्छिक संस्थाओं के मायने स्वाधीनता नहीं होता, किसी न किसी प्रकार से सरकार उन पर संरक्षण रखे और उनका आडिट होना जरूरी है।

मैं इसके साथ ही 3, 4 मुद्दों पर मन्त्री जी से चाहूंगा कि वह अवश्य कार्यवाही करें। एक तो फंड का यदि दुरुपयोग हुआ है, और दूसरे राष्ट्रीयता के विपरीत अगर उन्होंने आचरण किये हों कि हमारी राष्ट्रीय एकता पर धक्का लगने की सम्भावना हो तो इस पर सख्ती से कार्यवाही की जरूरत है।

जो धन विभिन्न कार्यों के लिए मिला है, खासकर पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के लिए, इसका दुरुपयोग करना मैं समझता हूं कि वह बहुत बड़ा पाप है और अनैतिकता है। इन संस्थाओं के साथ जो गांधी जी का नाम जुड़ जाता है इनके बारे में बड़ी बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है। हमारे बहुत से अच्छे लोग हैं, जो सामाजिक सेवा करते हैं और करुणा की भावना से समाज की सेवा कर रहे हैं। वे लोग जिन के बारे में निश्चित प्रूफ है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिये। इसके अलावा बहुत बारीकी से भी इसकी जांच की जानी चाहिये।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि वह चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की गई जांच को ही सही न मानें। इसकी जांच करने के लिए कोई अलग से एजेंसी बनायें।

माननीय, यह चुनावी वर्ष है। इसमें आपको यह भी देखना चाहिए कि किन-किन संस्थाओं को ज्यादा धन मिला है और उस धन का किस प्रकार प्रयोग हुआ है। कुछ संस्थायें निश्चित तौर से देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है और बाहर से धन मंगा कर उनका दुरुपयोग करना चाहती है। जितनी भी धनराशि बाहर से आती है, उसके एक-एक पैसे की जांच आडिटर जनरल आफ इंडिया करें। उसके बाद आडिट की रिपोर्ट सदन में पेश हो, फिर उसे पी० ए० सी० देखे और उसके बाद सदन में उस पर डिसकस्शन होनी चाहिए। यह सब होने के बाद यदि वह संस्था खरी उतरती है तभी उसको इजाजत बाहर से धन लेने की दी जाये।

अंत में मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय, यह बहुत बड़ा विषय था लेकिन आपने मुझे इस पर बोलने का बहुत कम समय दिया।

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : सभापति महोदय, कुदाल जांच आयोग संसद के संकल्प के अनुसार स्थापित किया गया था। आयोग ने छः अन्तरिम रिपोर्ट और एक अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पहले, सरकार ने इन सदन के समक्ष प्रथम तीन अंतरिम रिपोर्टें और की गई कार्रवाही ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था। कुछ दिन पूर्व, हमने इस सदन के समक्ष चौथी, पांचवी और छठी अन्तरिम रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं। हमने सदन के समक्ष की गई कार्रवाई ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस सदन के कुछ सदस्य जिन्हें यहां उपस्थित होना चाहिए था और विभिन्न संगठनों पर न्यायमूर्ति कुदाल द्वारा लगाये गये आरोप पर अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए थे, यहां उपस्थित नहीं हैं। शायद उनमें से बहुत से सदस्य झेंप कर अपनी सीटों पर ही बैठे रहते क्योंकि एक सदस्य के बाद दूसरा सदस्य रिपोर्ट के सम्बद्ध हिस्सों को पढ़ने के लिए खड़े होते रहे। कुदाल आयोग एक न्यायालय नहीं था न तो किसी व्यक्ति पर मुकदमा चला रहा था और न ही किसी व्यक्ति के आचरण पर निर्णय दिया जा रहा था। इस आयोग को तथ्यों की जांच करने के लिए और आयोग द्वारा पाये गये तथ्यों पर सरकार को रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। यह सरकार के लिए और इस देश के लोगों के लिए यह देखने के लिए बनाया गया था कि इतने वर्षों में क्या कुछ हुआ था—किस प्रकार का अनुशासन और बहुत सी संस्थाओं की प्रतिष्ठा कम हो गई थी और कुदाल आयोग द्वारा बहुत से खतरों का उल्लेख किया गया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं और खतरों से बचने के लिए कहा गया है।

4.00 म०प०

महोदय, इस वाद-विवाद के दौरान केवल एक व्यक्ति ने आवाज उठाई थी और दुर्भाग्य से वह हमारे प्रिय सहयोगी श्री शाहबुद्दीन की थी। मैंने सोचा था कि वे मेरे उत्तर को सुनेंगे। आज सुबह जब मैंने थोड़ा सा हस्तक्षेप किया था और कहा कि उनके भाषण के कुछ कमियां थीं तो उन्होंने कहा कि उनके हस्तक्षेप में केवल एक कमी थी। इसलिए मैंने उनके भाषण को बहुत ध्यान से पढ़ा और मैंने उनके भाषण में कमियों को लिख लिया। लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या यह मेरे लिए उचित होगा कि उनकी अनुपस्थिति में उन कमियों को बताया जाये। उनकी एक शिकायत यह थी कि न्यायमूर्ति कुदाल ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुसरण नहीं किया। वह कल मुझसे कह सकते हैं कि मैंने भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुसरण नहीं किया क्योंकि मैं उसकी अनुपस्थिति में कमियां बता रहा हूं।

महोदय, श्री शाहबुद्दीन ने कहा है कि कुदाल आयोग द्वारा कभी भी प्रक्रिया संबंधी नियम नहीं बनाए गए और नसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पूर्णतया उपेक्षा की गई थी। मुझे दुःख है कि वह पूर्णतः गलत है। श्री शाहबुद्दीन ने कहा है कि 24 महीनों से संगठनों को नोटिस नहीं भेजा गया था। उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों को कभी नहीं बुलाया गया था। उनकी बात पूर्णतः गलत है। श्री शाहबुद्दीन ने कहा है तीन वर्षों तक वे उच्च न्यायालय नहीं गये। वह पूर्णतः गलत कह रहे हैं। श्री शाहबुद्दीन ने केवल यह तथ्य दिया कि स्थगन आदेश का दिया जाना एक सबूत था वह उनके सिद्धान्तों का ही प्रतिरूप था। कुदाल आयोग द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया ने किताबों में दिये गये सभी कानूनों का और नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है। वह पूर्णतया गलत हैं।

[श्री पी० चिदम्बरम]

तथ्यों को देखिये । संसद के संकल्प के अनुसार 17 फरवरी 1982 को सरकार ने कुदाल आयोग की घोषणा की थी । 8 अप्रैल 1982 को, तीन साल बाद नहीं जैसा कि श्री शाहबुद्दीन जी ने कहा था बल्कि अधिसूचना के दो महीने के अन्दर गांधी शान्ति प्रतिष्ठान और गांधी स्मारक निधि ने 82 की रिट याचिका संख्या 980 और 981 दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल की जिसको आरंभ में खारिज कर दिया गया था ।

26 जुलाई 1982 को कुदाल आयोग ने प्रक्रिया सम्बन्धी नियम बनाये । मेरे पास प्रक्रिया नियम हैं । इनको ढूंढने के लिए अथक प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह प्रथम अन्तरिम रिपोर्ट में ही प्रकाशित हुए थे । नियमों के नियम 9, उप-नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 8 के अधीन प्रक्रिया संबंधी नियम जारी किए गए हैं ये कई पृष्ठों में दिए गए हैं । प्रक्रिया संबंधी नियमों में नियमों की कुल संख्या 34 हैं । प्रक्रिया संबंधी नियमों में उस प्रक्रिया की व्याख्या की गई है जो सार्वजनिक सुनवाई, शपथपत्र, साक्ष्य, साक्षियों को बुलाना, साक्ष्य दर्ज करने का तरीका, जांच अधिकारी की रिपोर्ट के प्रमाण का तरीका, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यक्तव्य दर्ज करना, साक्ष्य में मौलिक दस्तावेज स्वीकार करना, जिरह का अधिकार, सुनवाई पर आदेश देना आदि पर लागू होगी ।

कुदाल आयोग ने 31 जुलाई, 1982 को नियम 5, उप-नियम 2 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत जनता से वक्तव्य जमा कराने के बारे में एक सार्वजनिक अधिसूचना प्रकाशित की थी । जैसा कि श्री शाहबुद्दीन ने कहा कि 24 महीने बाद ऐसा नहीं है बल्कि 17 सितम्बर, 1982 को आयोग की स्थापना के ठीक सात महीने बाद जब आयोग ने अपना प्रारम्भिक कार्य पूरा कर लिया था और प्रक्रिया को अधिसूचित कर दिया गया था, आयोग ने उन चार संगठनों को नियम 5, उप-नियम 2 के खण्ड (क) के अन्तर्गत एक नोटिस जारी किया जिनका कि संसद के संकल्प तथा आयोग की अधिसूचना में नाम दिया गया था ।

तेरह दिनों के अन्दर चारों संगठन आयोग के सम्मुख पेश हुए और एक वक्तव्य दायर किया । सभा के लिए यह जानना रुचिकर होगा कि चारों संगठनों ने अपने वक्तव्यों में क्या कहा है, मेरे विचार से ये सभी एक जैसे है । चारों संगठनों ने अपने वक्तव्यों में कहा : "प्रारम्भिक आपत्ति के लिए निर्णय हेतु आवेदन में—चारों संगठनों ने अलग-अलग यह कहा कि कल्पना की किसी सीमा तक यह नहीं कहा जा सकता कि यह लोक महत्व के एक निश्चित मामले को परिधि के अन्दर आएगा । इस बारे में किसी प्रकार का सन्देह नहीं हो सकता कि आयोग की नियुक्ति का आदेश धारा 3 के अन्तर्गत दिया जा सकता है और जो इस जांच के लिए हो कि क्या कोई व्यक्ति अथवा निकाय ऐसे एक कार्य का दोषी है जोकि सार्वजनिक रूप से गलत कार्य है । मौजूदा आयोग को एक जांचकर्ता एजेंसी के रूप में नहीं बल्कि एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करना है । मौजूदा मामले में ऐसी कोई शिकायत अथवा कोई जानकारी नहीं है जिसके लिए यह कहा जाए कि जांच हो चुकी है । ऐसा निवेदन है कि आयोग का कार्य सत्य अथवा अन्यथा विशेष आरोपों की जांच करना है । इसलिए आयोग स्वयं को एक ऐसी जांचकर्ता एजेंसी के रूप में गठित नहीं कर सकता जो इस मत का पता लगाए कि किसी व्यक्ति अथवा संबद्ध संगठन ने कुछ ऐसा किया है जो गलत अथवा अनुचित है । ऐसा विशेष रूप से स्वैच्छिक गैर-सरकारी संगठनों के मामले में है जैसे कि यह एक संगठन जिसके कार्यों की आंच आयोग द्वारा की जानी है । इसलिए यह अनुरोध

है कि इस माननीय आयोग को कहा जाए कि यह अधिसूचना सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले के बारे में नहीं है जिसके लिए जांच की जानी है और इसलिए जांच जारी नहीं रखी जा सकती, यह प्रार्थना महत्वपूर्ण है और प्रत्येक ने नोटिस मिलने के 13 दिन बाद यही अनुरोध किया था।" इस प्रकार इन चार संगठनों ने इस प्रकार का सहयोग दिया था। फिर भी श्री शाहबुद्दीन कहते रहे कि "चारों संगठनों ने सहयोग देने का वचन दिया था। चारों संगठनों ने पत्र लिखते हुए कहा था कि उनके पास नोटिस नहीं आया है। बगैर सुनवाई के हमारी निन्दा की जा रही है। हमें कुछ भी पता नहीं। लेकिन आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं ?" उनके कल के कथन में यही मुख्य बातें थीं। जैसे ही मैंने इनके इतिहास को देखा मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने किस प्रकार से सहयोग दिया है। ये सभी प्रारम्भिक आपत्तियां रद्द कर दी गई थीं। उन्होंने जनवरी, 1984 में एक रिट याचिका 1984 की रिट संख्या 480 दायर की और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। क्योंकि रिट याचिका को वापस ले लिया गया था इसीलिए उसे 1 मार्च, 1985 को रद्द कर दिया और स्थगन आदेश वापस ले लिया गया। इन चारों संगठनों द्वारा लिए गए स्थगन आदेश के कारण आयोग पूरे 14 महीने तक कुछ नहीं कर सका। उन्होंने 4 मार्च, 1985 को 1984 की रिट याचिका संख्या 480 को वापस ले लिया लेकिन उसी दिन उन्होंने 1985 की रिट याचिका संख्या 499 दायर कर दी। आयोग को उनके द्वारा सहयोग करने के बारे में यही कहना है। तीसरे अन्तरिम प्रतिवेदन में अधिक पृष्ठ पढ़ने की जरूरत नहीं है और श्री शाहबुद्दीन को इतने सारे पृष्ठ पढ़ने की जरूरत नहीं थी, यदि वे प्रस्तावना का केवल पृष्ठ एक पढ़ते कि आयोग को क्या कहना है तो बहुत अच्छा होता, आयोग ने उसमें यह कहा है :

"जैसा कि पिछले प्रतिवेदन में कहा गया है चार संगठनों अर्थात गांधी शांति प्रतिष्ठान, गांधी स्मारक निधि, सर्व सेवा संघ और ग्रामीण विकास स्वैच्छिक अभिकरण संघ द्वारा दायर 1984 की रिट याचिका संख्या 480 को वापस ले लिये जाने पर 1 मार्च, 1985 को, उसे रद्द कर दिया गया।"

"..... और 1985 की एक और रिट याचिका संख्या 499 उसी दिन संगठनों द्वारा दायर की गई। उच्च न्यायालय द्वारा यह रिट याचिका स्वीकार कर ली गई लेकिन कोई स्थगन आदेश नहीं दिए गये। कारण बताओ नोटिस के बाद जब 28 मार्च 1985 को इस रिट की सुनवाई के लिए बारी आई तो सर्व सेवा संघ के सन्दर्भ में इसे रद्द कर दिया गया और बाकी तीन संगठनों को आदेश की तारीख अर्थात 28 मार्च, 1985 के छः सप्ताह के अन्दर धारा 5(2) के साथ पठित धारा 4(ख) के अधीन जारी किए गए नोटिसों का अनुपालन करने के निदेश दिये गये। संगठनों ने छः सप्ताह की अवधि समाप्त होने पर भी आयोग से स्थगन की मांग की और अन्त में 17 मार्च 1985 को नोटिसों के अनुपालन में असमर्थता व्यक्त की। इसलिए आयोग ने 4 जुलाई, 1985 को एक व्यापक आदेश पारित किया जिसमें निदेश दिया गया था कि सारा मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के सम्मुख रखा जाए ताकि यह 22 मार्च, 1985 के अपने आदेश को रद्द करने के बारे में विचार कर सके और और आयोग आगे कार्यवाही कर सके और जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 5(2) के साथ पठित धारा 4 (ख) के अधीन अपने नोटिसों को लागू करने के लिए आगे कार्यवाही कर सके।"

15 जुलाई 1985 को जब तीसरे प्रतिवेदन को सौंपा गया तब चार संगठनों ने नोटिसों की पालना नहीं की।

[श्री पी० चिदम्बरम]

फिर हम चौथे अन्तरिम प्रतिवेदन पर आते हैं जो 16 दिसम्बर, 1985 को दिया गया था। मैं पृष्ठ 1, पैराग्राफ 1.2 से उद्धृत करता हूं :

"अधिसूचना में जिन चार मुख्य संगठनों के नाम दिए गए हैं, अर्थात गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, गांधी स्मारक निधि, अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ और ग्रामीण विकास स्वैच्छिक अभिकरण संघ, उन्होंने अब जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 5(2) के साथ पठित धारा 4 (ख) के अधीन उन्हें जारी किये गये नोटिसों का अनुपालन नहीं किया है।"

पांचवा अन्तरिक प्रतिवेदन 2 मई, 1986 को दिया गया था। मैं पृष्ठ 1 पैराग्राफ 1·2 से उद्धृत करता हूं :

"अधिसूचना में जिन चार मुख्य संगठनों के नाम दिये गए है, अर्थात् गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, गांधी स्मारक विधि, अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ और ग्रामीण विकास स्वैच्छिक अभिकरण संघ, उन्होंने अब जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 5 (2) के साथ पठित धारा 4 (ख) के अधीन उन्हें जारी किए गए नोटिसों का अनुपालन नहीं किया है।"

छठा अन्तरिम प्रतिवेदन 30 अक्तूबर, 1986 को दिया गया था। मैं पुन: पृष्ठ 1 पर पैराग्राफ 1-2 से उद्धृत करता हूं :

"अधिसूचना में जिन चार मुख्य संगठनों के नाम दिए गए हैं, अर्थात् गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, गांधी स्मारक निधि, अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ और ग्रामीण विकास स्वैच्छिक अभिकरण संघ, उन्होंने अब जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 5 (2) के साथ पठित धारा 4 (ख), के अधीन उन्हें जारी किए गए नोटिसों का अनुपालन नहीं किया है।"

मैं आशा करता हूं कि श्री शाहबुद्दीन अपनी नई पार्टी में कुदाल आयोग को इन चार संगठनों द्वारा दिए गए सहयोग से अधिक सहयोग अपने सदस्यों से प्राप्त करेंगे।

श्री कादम्बुर जनार्दनन (तिरुनेलवली) : उनकी पार्टी का नाम क्या है ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : पार्टी का क्या नाम है ?

श्री० पी० चिदम्बरम : मैं उस नई पार्टी का उल्लेख कर रहा हूं जो वह गठित करेंगे। मैं इस पार्टी का नाम नहीं जानता। मुझे पता लगा कि उनके पत्र का नाम मुस्लिम इंडियन है। मैंने उनसे एक बार कहा था कि वह इसे बदल कर 'इंडियन मुस्लिम' कर दें। यदि वह नई पार्टी गठित करते हैं तो मैं आशा करता हूं कि वह इसे मुस्लिम इंडियन नहीं बल्कि इंडियन मुस्लिम कहेंगे। यह कहना सही नहीं है····· (व्यवधान) कि आयोग ने न्याय नहीं किया है। आप आयोग से असहमत हो सकते हैं और सरकार आयोग के प्रतिवेदन के कुछ पहलुओं पर असहमत है, जिनका मैं बाद में उल्लेख करूंगा उदाहरण के लिए श्री हरूभाई मेहता को कुछ मुद्दों पर असहमति है; वह सरकार से असहमत है। यह एक अलग बात है।

किसी अन्य आयोग की रिपोर्ट को पढ़े बिना यह कह कर आयोग की कार्यवाही पर आलिस पोतना गलत है कि कोई प्रक्रिया नहीं बनाई गई थी; कोई नियम नहीं बनाए गए थे; कोई नोटिस जारी नहीं किए गए थे और हर एक ने सहयोग देने का वायदा किया था··· ·····। मैं नहीं जानता कि वह किस आयोग की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं; मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी है और जो रिपोर्ट मैंने

सभा पटल पर रखने का प्रयास किया है, उससे यह स्पष्ट है कि आयोग ने कानून के अनुसार हर नियम और हर प्रक्रिया का पालन किया।

अब हम अन्तिम रिपोर्ट के बारे में कहेंगे। पिछले 3-4 वर्षों में जो कुछ हुआ मैं सभा को पुनः उस बारे में बताना नहीं चाहता। अब मैं अन्तिम रिपोर्ट और आयोग द्वारा किए गए अति महत्वपूर्ण कार्य के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। यद्यपि सरकार ने मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, कुछ मामलों को समाप्त कर दिया है। और हमें इन रिपोर्टों के बारे में पुनः गंभीरता से विचार नहीं करना पड़ेगा। ये बातें 'प्रस्तावना' में भी कही गई हैं।

आयोग ने नियम 5 (2) (क) के तहत 850 नोटिस जारी किए। आयोग ने 1250 गवाहों के बयान दर्ज किए। आयोग ने 915 मामलों के सम्बन्ध में धारा 5 (2) के साथ पठित धारा 4 (ख) के अन्तर्गत दस्तावेज पेश करने के लिए 915 नोटिस जारी किए। आयोग को 800 फाइलें प्राप्त हुई और जब आयोग ने यह पाया कि इसे उस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा जिससे किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ सकता है अथवा इससे धारा 8 (ख) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करनी होगी, तब आयोग ने उन सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों, जिनके नाम गृह मंत्री द्वारा पढ़े गए वक्तव्य में हैं, सहित 210 व्यक्तियों को नोटिस जारी किए।

यह कहना भी उचित नहीं है कि आयोग ने हर आरोप की जांच करने की जिम्मेदारी ली। अन्तिम रिपोर्ट के अनुच्छेद 5 में उन 463 आरोपों के बारे में बताया गया है जिनकी आयोग द्वारा जांच की गई थी और प्रारम्भिक जांच के बाद जिन्हें समाप्त कर दिया गया था क्योंकि उनमें जांच के मामले सिद्ध नहीं हुए थे। आयोग ने 180 मामलों में पूरी जांच की और 167 मामलों के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की। क्या आयोग न्यायसंगत था अथवा नहीं? इस संबंध में 463 आरोपों की प्रारम्भिक जांच की गई और उन सभी को समाप्त कर दिया गया। 180 मामलों की विस्तार से जांच की गई और आयोग ने उन 13 मामलों को छोड़कर, जिन्हें लंबित मामले बताया गया है, 167 मामलों में रिपोर्ट पेश की। उन्होंने आयोग को सहयोग कैसे दिया? मैंने आपको संक्षेप में बताया है कि 4 मुख्य संगठनों ने उन्हें कैसे सहयोग दिया। अन्तिम रिपोर्ट के अध्याय 4 में न्यायालयों में लंबित मामलों के बारे में बताया गया है और बड़े दिलचस्प तरीके से बताया गया है। पृष्ठ 152 में कहा गया है :—

"आयोग के पूरे कार्यकाल के दौरान इन संगठनों ने उच्चतम न्यायालय में कुल 2 सिविल अपीलें और 2 स्थानान्तरण याचिकायें और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 59 रिट याचिकायें दायर कीं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 1982 की सी डब्ल्यू संख्या 2092 में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में एक 'लैटर्ज पेटेंट अपील' दायर की। इनमें से अब तक केवल 23 रिट याचिकायें, पैरा 4'3 में दिए विवरण के अनुसार निपटा दी गई हैं। शेष सिविल याचिकाओं, स्थानान्तरण याचिकाओं, लैटर्ज पैटेंट अपील और रिट याचिकाओं, जो इस आयोग के कार्यकाल के समाप्त होने के समय अनिर्णीत पड़ी थीं, के विवरण पैरा 4.4 में दिए गए हैं।"

श्री सलाहुद्दीन ने कहा—

"स्थगनादेश स्वीकार किये जाने से ही यह पता चलता है कि कुदाल आयोग ने जिन सिद्धांतों, जिन प्रक्रियाओं का पालन किया, वह नैसर्गिक न्याय के हर कानून, हर सिद्धान्त का उल्लंघन करने वाली है।"

[श्री पी० चिदम्बरम]

मैंने हस्तक्षेप करके कहा कि "आप हमें बताते क्यों नहीं कि उच्च न्यायालय में क्या हुआ ?" उन्होंने कहा "मेरे पास समय नहीं है।" सौभाग्य से मेरे पास समय है। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय में क्या हुआ। गांधी स्मारक निधि द्वारा 1982 में की गई रिट याचिका संख्या 980 को आरंभ में ही खारिज कर दिया गया; गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा 1982 की गई रिट याचिका संख्या 981 को आरंभ में ही खारिज कर दिया गया; ए०वी० ए०आर०डी० द्वारा 1984 में की गई रिट याचिका संख्या 480 को वापिस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया तथा ए०सी० सेन की 1984 की रिट याचिका संख्या 751 को वापिस लिए जाने के कारण खारिज किया गया।

"श्री ए०सी० सेन की 1984 की रिट याचिका संख्या 1038

वापिस लिए जाने के कारण खारिज कर दी गई। श्री ए०सी० भारतीय की 1984 की रिट याचिकासंख्या 1221 दिनांक 10-5-84 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई।

विकासशील समितियों के अध्ययन केन्द्र की 1984 की रिट याचिका संख्या 1639 दिनांक 15-11-84 के आदेश के तहत याचिका मंजूर की गई जिसके द्वारा 8 ख के अधीन नोटिस रद्द कर दिया गया लेकिन आयोग को नया नोटिस जारी करने की अनुमति दी गई।

वनवासी सेवा केन्द्र की 1984 की रिट याचिका संख्या 2212 वापिस लिए जाने के कारण खारिज कर दी गई।

नागालैंड गांधी आश्रम की 1984 की रिट याचिका संख्या 2298 वापिस लिए जाने के कारण खारिज कर दी गई।

ग्राम निर्माण मंडल की 1984 की रिट याचिका संख्या 2331 वापिस लिए जाने के कारण खारिज कर दी गई।

नेहरू सेवा संघ की 1984 की रिट याचिका संख्या 2396 वापिस लिए जाने के कारण खारिज कर दी गई।

मुज्जफरपुर विकास मंडल की 1984 की रिट याचिका संख्या 2874 वापिस लिए जाने के कारण खारिज कर दी गई।

नेहरू सेवा संघ की 1985 की रिट याचिका संख्या 467, प्रीमेच्युर होने के कारण खारिज कर दी गई।

श्रीनिवास मैमोरियल थियेटर क्राफ्ट्स ट्रस्ट की 1985 की रिट याचिका संख्या 669। मुद्दा संख्या 2 समुचित रूप से पुन: तैयार करने की अनुमति के साथ खारिज कर दिया गया। आदि आदि।"

दो रिट याचिकाओं को छोड़कर, जिनका मैंने जिक्र किया था, सभी रिट याचिकाएँ या तो आरंभ में ही खारिज कर दी गईं अथवा उन्हें वापिस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया। इससे क्या पता चलता है। क्या इससे यह पता चलता है कि उन्होंने सहयोग दिया। क्या इससे यह पता चलता है कि आयोग ने सहज न्याय के हर कानून और हर सिद्धांत का उल्लंघन किया है। इससे केवल यही पता चलता है कि लोग नहीं चाहते थे कि उनके मामलों की जांच हो।

सार्वजनिक संस्थान, तथाकथित स्वयंसेवी संगठन जिन्होंने महात्मा गांधी का नाम लिया था और कड़ी आलोचना की थी—मैं आपको बहुत विद्वान लोगों द्वारा की गई आलोचना के अंश पढ़कर सुनाऊंगा—, नहीं चाहते थे कि उनके कार्यों की जांच हो यद्यपि भारत की संसद द्वारा एक संकल्प स्वीकृत किया गया था। वे संसद की भी परवाह नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, "संसद संकल्प पारित कर सकती है, सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है, हम जानते हैं कि कार्यवाही कैसे रोकनी है, हम जानते हैं कि कार्यवाही में देरी कैसे करनी है, यद्यपि हमारा कोई मामला नहीं है फिर भी हम इसे लंबा खींचने के लिए ऐसा करेंगे।"

महोदय, एक न एक दिन तो प्रतिशोध होगा ही। वे इसे 3-4 वर्षों तक लंबित रखेंगे। लेकिन न्यायाधीश कुदाल ने उन सबकी पोल खोल दी है। यह एक नैतिक अभियोग पत्र है। उन लोगों का अभियोग पत्र जिन्होंने महात्मा गांधी के नाम को भुनाया है। वास्तव में जहां तक मेरा संबंध है, यदि हम न्यायालय में उनके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाएं, यह अभियोग पत्र उन्हें इस बात के लिए बाध्य करने के लिए पर्याप्त है कि वे सार्वजनिक जीवन से हट जाएं अथवा इन संगठनों को छोड़ दें और धन जुटाने के लिए महात्मा गांधी के नाम का प्रयोग न करें।

मैं कुछ मामलों के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने कुछ पत्र संग्रह किए हैं और मैंने सोचा था कि मैं चौथी, पांचवीं और छठी अंतरिम रिपोर्टों और अंतिम रिपोर्ट के सार के बारे में सभा को बताऊं। मैं अपनी बात इन 4 रिपोर्टों के 116 मामलों तक ही सीमित रखूंगा। इन रिपोर्टों में जिन उल्लंघनों पर विचार किया गया है, मैंने उनके बारे में स्पष्ट और विस्तृत रूप से कहा है।

पहली बात है विदेशों से मिला दान और अंशदान। चौथी अंतरिम रिपोर्ट में इस तरह के 5 मामले, पांचवीं अंतरिम रिपोर्ट में 6 मामलों और छठी अंतरित रिपोर्ट में 12 मामले तथा अंतिम रिपोर्ट में ऐसे 4 मामले हैं। "विदेशों, से प्राप्त धन और दान" श्रेणी में नियमों का अधिकतम उल्लंघन किया गया है। यह हमारी आंखें खोल देने वाली बात है। हमें इस बारे में जागरूक होना चाहिए कि उल्लंघन कहां हो रहे हैं। विदेशों से प्राप्त धन के सबसे अधिक मामले हैं। इतने ही मामले धन के दुरुपयोग के हैं। साधारण भाषा में इसका अर्थ है कि खाते की गलत पुस्तिकाएं रखना अथवा अपक्व भाषा में खाते रखना, अपने अपने झूठे खाते तैयार करना। इस श्रेणी के अन्तर्गत चौथी अंतरिम रिपोर्ट में 11 मामले हैं। पांचवी अन्तरिम रिपोर्ट में 13 मामले हैं। छठी अन्तरिम रिपोर्ट में 7 मामले और अन्तिम रिपोर्ट में में 6 मामले है। यह भी चौकाने वाले मामले हैं। महात्मा गांधी हिसाब-किताब रखने में बहुत ही सतर्क माने जाते थे। मैं नहीं जानता कि मैंने क्या पढ़ा, मेरा विश्वास है वह प्रत्येक पाई का हिसाब रखते थे। और वह प्रत्येक पाई का हिसाब देने के लिए कहते थे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर उंगली उठाई और वित्तीय दुरुपयोग अथवा गलत हिसाब-किताब रखने की श्रेणी के अन्तर्गत बड़ी संख्या में उल्लंघन किए गए हैं। महोदय, चारों रिपोर्टों में दस ऐसे मामले हैं जिन्हें खातों की जालसाजी के आकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। मेरे विचार में ये ऐसे मामले हैं जो कि गंभीर हैं और शायद जिनके बारे में सवाल किये जा सकते हैं, खातों की साफ जालसाजी करने पर क्या दाण्डिक कार्यवाही की जानी चाहिए अथवा नहीं। 12 मामले ऐसे हैं जो पुस्तकों और लेखों के प्रकाशन से संबंधित है। मैं उनके बारे में संक्षेप में कहूंगा। 10 मामले मानचित्र के प्रकाशन से संबंधित हैं। 13 मामले ऐसे हैं जो संबद्ध संगठनों के उद्देश्यों केउल्ल घंनसे संबंधित हैं। तीन मामले ऐसे हैं जिन्हें लापरवाही अथवा विश्वासघात के कार्यों की श्रेणी में रखा जा सकता है। दो मामले ऐसे हैं जिन्हें भूमि के अवैध कब्जे अथवा परिसर का दुरुपयोग करने की श्रेणी में रखा जा सकता है। दो

[श्री पी० चिदम्बरम]

मामले ऐसे हैं जोकि समिति पंजीकरण अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित हैं। लेकिन महोदय, व्यापक तौर पर यह पता चलता है कि संलग्न व्यक्ति, धन के विशेष रूप से विदेशी मुद्रा संबंधी वित्तीय अनियमितताएं तथा झूठे लेखे रखने के शिकार हुए हैं। यदि महात्मा गांधी ने हमें कुछ सिखाया है तो वह यह है कि हमें घिनौने आर्थिक लाभ की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। धन ही जीवन का सब कुछ नहीं है और धन दौलत का जमा करना कोई ऐसी महान शान नहीं है जिसे मनुष्य प्राप्त कर सकता है। लोग स्वैच्छिक संगठनों को धन इस विश्वास पर सौंपते है कि वे उसे लोगों की सेवा में बुद्धिमत्तापूर्ण और सावधानी से खर्च करेंगे। लेकिन यदि स्वैच्छिक संगठन अपने धन को इस तरह लुटाते हैं, और वे अपने धन के प्रति सावधान नहीं हैं अथवा अपने धन के साथ अनियमितताएं बरतते हैं, तो इस देश में लोगों का स्वैच्छिक संगठनों पर क्या विश्वास रहेगा। वास्तव में प्रो० सोज ने जो कुछ कहा और मैं उनसे इस बात पर सहमत नहीं हूं कि सरकार हर बात नहीं कर सकती, इसके लिए स्वैच्छिक संगठन अवश्य होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश, कुदाल आयोग ने हमारे स्वैच्छिक संगठनों के एक पक्ष का पर्दाफाश किया है, जिससे हमारे सिर शर्म के मारे झुक जाते हैं कि ऐसे भी संगठन हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के नाम का व्यापार के रूप में इस्तेमाल किया है।

महोदय, इन चारों रिपोर्टों में जिन 116 मामलों की बात कही गई है उनमें से 58 मामले ऐसे पाए गए हैं जिन पर कार्यवाही हो सकती है और मैं जानता हूं कि कार्यवाही किये जाने शब्द के बारे में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि यह एक अर्ध तकनीकी शब्द है, हो सकता है कि इससे कार्यवाही करने की सरकार की इच्छा के बारे में कुछ हद तक संशयवाद को बढ़ावा मिला हो। अब 'कार्यवाही किये' जाने' का कार्य है कि आप दण्ड लगाने के लिए कार्यवाही कर सकते हैं, यह दण्ड या तो न्यायालय के द्वारा अथवा विभागीय कार्यवाहियों द्वारा दिया जा सकता है। कोई ऐसी बात जिन पर कार्यवाही नहीं की सकी उसका अर्थ यह नहीं कि वे दोष-मुक्त हैं। कोई बात जिन पर कार्यवाही नहीं की जा सकती उसका अर्थ है यहां अभ्यारोपण, उससे अधिक यह एक नैतिक अभ्यारोपण है, लेकिन कानूनी कठिनाइयों के कारण, जिन्हें मैं बताऊंगा, इस समय उन पर न्यायालय में मुकदमा चलना अथवा किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करना संभव नहीं है। वे कठिनाइयां क्या हैं ? जिन कठिनाइयों को हमने शेष 58 मामलों में महसूस किया है उन्हें मैंने बताने का प्रयास किया है। यह एक संयोग की बात है कि 116 मामलों में से 58 ऐसे हैं जिन पर कार्यवाही की जा सकती है तथा 58 मामलों में कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : ये सभी 58 मामले इन सभी चारों संगठनों के विरुद्ध हैं ?

श्री पी० चिदम्बरम : जी हां। एक खंड जिसमें यह आरोप हो सकता है कि कुछ उल्लंघन किया गया है। लेकिन हमारे दाण्डिक कानून एक खंड पर ही निर्भर नहीं हैं। एक धारा में एक से अधिक खंड हैं विशेषकर उसमें एक खंड है जिसे 'मैन्स रिआ' के नाम से जाना जाता है। हमारे अधिकतर दाण्डिक धाराओं में किसी धारणा विशेष की आवश्यकता होती है। अभी केवल नवीनतम कानूनों में हमने कठोर दायित्व के सिद्धान्त को अपनाया है। अत: यदि एक खंड उसमें नहीं पाया जाता तो कानून की किसी धारा विशेष के अन्तर्गत मुकदमा चलाना संभव नहीं है। कुछ मामलों के लिए अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से प्रतिबन्ध है। उदाहरण के लिए जो घटनाएं 64 अथवा 70 अथवा यहां तक कि 80 में घटी उन पर मुकदमा नहीं चलाया

जा सकता क्योंकि उन पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अन्तर्गत प्रतिबन्ध है। केवल इन 58 मामलों को निपटाने के लिए धारा 468 में संशोधन करना उचित नहीं होगा। दूसरी कठिनाई इस अवस्था में साक्ष्य इकट्ठा करने की है। लोग तब तक मर जाएंगे, रिकार्ड गायब हो जाएंगे। अब यह संभव नहीं है कि अभियोग चलाने के लिए अथवा विभागीय कार्यवाही करने के लिए साक्ष्य इकट्ठा किया जाए। इसीलिए, हम इनकी बहुत ही सावधानी से जांच करते हैं। पहले हम विभाग से इनकी जांच करने के लिए कहते हैं। इसके बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इनकी जांच करने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम इन्हें सिर्फ मंत्रालय को भेज देते हैं। इसके बाद हम ऊपर महान्यायाधिकर्ता से अपनी राय देने के लिए कहते हैं। इसके बाद किसी मंत्री और गृह मंत्री का मुा—मैं गृह मंत्री की सहायता कर रहा था—इसकी ध्यानपूर्वक जांच, करता है। और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 116 मामलों में से 58 पर कार्यवाही करना न तो संभव है और न ही शायद सार्थक है। क्या इससे सरकार की वास्तविकता का पता नहीं चलता? क्या इससे केन्द्रीय जांच ब्यूरो की वास्तविकता का पता नहीं चलता? क्या इससे किसी मंत्रालय की वास्तविकता का पता नहीं चलता? हम जानते हैं कि न्यायाधीश कुदाल द्वारा अभ्यारोपण किया गया है। और हम जानते हैं कि लोगों को तो धन दिया गया वे लोग उसके प्रति सावधान अथवा ईमानदार नहीं रहे हैं। फिर भी हमारे निर्णय के अनुसार, हम कहते हैं, ठीक है, अभ्यारोपण वहां है और यह पर्याप्त है और हमें कुछ निश्चित मामलों में ही कार्यवाही नही करनी चाहिए लेकिन इन चार रिपोर्टों के अन्तर्गत आने वाले 116 मामलों में से केवल 58 पर कार्यवाही करेंगे। श्री शाहबुद्दीन बोलते हुए जोशावेश में आ गए और कहा: क्या यह मुकदमेबाजी 100 वर्ष और हजारों वर्षों तक चलेगी? अत्याचार कहा है? इसके विपरीत श्री शाहबुद्दीन ने 58 मामलों को न छोड़ने पर मेरी आलोचना की है और श्री मेहता ने 58 मामलों को छोड़ने पर मेरी आलोचना की है? मेरी क्या स्थिति है? सरकार काफी हद तक निष्पक्ष, काफी दयालु रही है, वास्तव में, यह संभव नहीं है और शायद, यह वांछनीय नहीं है, कुछ मामलों पर कार्यवाही करने के लिए, उनमें समय बीत जाने देने आदि जैसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमने बहुत ही दयालुता दिखाई है। लेकिन ऐसे मामलों में जहां हमने देखा कि कार्यवाही की जानी है हम निश्चित रूप से उन पर कार्यवाही करेंगे।

वास्तव में इन 58 मामलों में से 16 मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भेज दिया गया है, 12 मामलों को भारत सरकार के मंत्रालयों व विभागों के पास भेज दिया गया है और 30 मामलों को राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है। मैं ईमानदारीपूर्वक यह आशा करता हूं और राज्य सरकारों को अपील करने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहता हूं कि वे इन मामलों को साधारण रूप में न लें और इन 30 मामलों पर अनुवर्ती कार्यवाही दृढ़ता से करें। माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गए विचारों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा इन मामलों पर की जाने वाली अनुवर्ती कार्यवाही के नियंत्रण के लिए हम भारत सरकार में निगरानी तंत्र स्थापित करेंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इन समितियों की मान्यता समाप्त करने के बारे में क्या कहना है?

श्री पी० चिदम्बरम : मैं उस विषय पर आता हूं। मैंने कुछ मामलों का संकलन किया है जोकि अन्य मामलों की तुलना में अधिक रुचिकर हैं। मैं नहीं समझता कि मुझे इन मामलों में अब प्रत्येक मामले में जाने की आवश्यकता है क्योंकि समय 4.30 बजे से अधिक हो गया है।

श्री रामप्यारे पनिका : हमारी रुचि इन मामलों में है जिनमें उन्होंने इनका खंडन किया है।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैं केवल कुछ मामलों का उल्लेख करूंगा। उदाहरण के लिए वह मामला लीजिए जिसमें श्री जार्ज फर्नान्डीस का नाम भी शामिल है। यह चौथा अन्तरिम प्रतिवेदन है। श्री शाहबुद्दीन ने श्री जार्ज फर्नान्डीस की तरफ से विशेष दलील दी थी। श्री जार्ज फर्नान्डीस का मामला चौथे अन्तरिम प्रतिवेदन की मामला संख्या 22 है। चर्चा पृष्ठ संख्या 209 पर शुरू होती है। आरोप धारा 8 ख के अधीन नोटिस में निहित है। श्री शाहबुद्दीन यह कहें कि कोई नोटिस नहीं दिया गया था तो मैं कहना चाहता हूं कि जांच आयोग अधिनियम की धारा 8 ख के अधीन 21 फरवरी, 1984 को 'अवार्ड' के उपाध्यक्ष श्री ए०सी० सेन, श्री के०एस० राधाकृष्ण अध्यक्ष 'अवार्ड,' संसद सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीस, खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री सोमदत्त वेदालंकार और अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एल० सी० जैन को नोटिस जारी किए गए थे। आरोप यह था : श्री जार्ज फर्नान्डीस के राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए, उनके संसदीय चुनाव क्षेत्र में कारीगरों में बांटने के लिए 'अवार्ड' द्वारा खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग से कुल 24,37 लाख रुपये का अनुदान और ऋण प्राप्त करना। नोटिस जारी किया गया और आयोग ने अपनी जांच को संक्षिप्त करने के लिए आगे कार्यवाही की। अवधारण के लिए निम्नलिखित प्रश्न थे :

1. क्या नोटिस का विषय अधिनियम की धारा 3 ख के अधीन सार्वजनिक महत्व का निश्चित मामला है ?

2. क्या तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीस ने इच्छा व्यक्त की थी कि मुजफ्फरपुर जिले में कारीगरों को ऋण 6 जून, 1979 को के०वी०आई०सी० द्वारा अवार्ड के माध्यम से वितरित किए जाएं और इस उद्देश्य के लिए धन प्राप्त करने के वास्ते अवार्ड के महा सचिव श्री एल० सी० जैन ने के०वी०आई०सी० के चेयरमैन से संपर्क किया ?

3. क्या श्री एल०सी० जैन और श्री ए०सी० सेन ने के०वी०आई०सी० को आश्वासन दिया था कि अवार्ड के संविधान में संशोधन किया जाएगा क्योंकि उसमें खादी और ग्राम उद्योगों से संबंधित कार्यकलापों को हाथ में लेने का कोई प्रावधान नहीं था ?

4. क्या अवार्ड ने अपने ज्ञापन के खंड 3 में संशोधन करके अपने संविधान को छपवाया। हालांकि अवार्ड की किसी जनरल बाडी मीटिंग की कार्यसूची में विचार के लिए इस संशोधित खंड को कभी नहीं रखा गया ?

5. अवार्ड ने 30-5-79 को के०वी०आई०सी० से 24, 37, 040 रुपये का पूरा अनुदान प्राप्त कर लिया था, जबकि न तो अवार्ड के संविधान में संशोधन के लिए, कोई प्रस्ताव परिचालित किया गया था और न ही संविधान में संशोधन किया गया था ?

6. क्या अनुदान की यह शर्त थी कि कारीगरों को पूरी अदायगी 6 जून 1979 को की जाएगी ?

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आयोग द्वारा यदि, कोई हो, तो क्या सिफारिशें की जाएं ?

फिर एक अतिरिक्त विषय तैयार किया गया कि क्या ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर श्री एल० सी० जैन को नोटिस जारी किया जा सकता था। इस संबंध में अवार्ड आयोग के सम्मुख पेश हुआ और श्री पी० एम० त्रिपाठी नामक एक गवाह की परीक्षा की। अन्य चार प्रत्य-

धियों श्री के० एस० राधाकृष्ण, श्री जार्ज फर्नान्डीस, श्री सोमदत्त बेदालंकार और श्री एल० सी० जैन ने किसी गवाह की परीक्षा नहीं की। आयोग ने इस बारे में जो कहा वह मैं उद्धृत करता हूं :

"श्री पी० एम० त्रिपाठी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि ग्रामीण विकास कार्य के लिए मुजफ्फरपुर को नक्सलवादी गतिविधियों के दौरान और उस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए चुना गया था, न कि श्री जार्ज फर्नान्डीस के हितों की रक्षा के लिए। तथापि यह दिखाने के लिए रिकार्ड पर काफी मौखिक व कागजाती साक्ष्य मौजूद हैं (जिनकी ऊपर पहले ही चर्चा की जा चुकी है) कि स्वयं श्री जार्ज फर्नान्डीस ने के० बी० आई० सी० और अवार्ड के प्रतिनिधियों की बैठक अपने चैंबर में बुलाई थी और उसमें के० बी० आई० सी० के धन को मुजफ्फरपुर जिले के अपने संसदीय चुनाव क्षेत्र के ग्रामीण कारीगरों को अनुदान तथा ऋण वितरित करने हेतु अवार्ड के माध्यम से उपयोग करने के प्रस्ताव को रखा था ....."

" .. ...अपने साक्ष्य में श्री बी० एम० त्रिपाठी ने यह भी कहा कि अवार्ड ने जल्दी 1980 में 24,37,040 रुपयों के कुल अनुदान में से के० बी० आई० सी० को 19,83,516.35 रुपयों की राशि वापिस कर दी थी। के०बी०आई०सी० ने इससे इन्कार नहीं किया। तथापि एक महत्व-पूर्ण तथ्य यह है जोकि प्रदर्श डी-1 प्रदर्श डी-3, प्रदर्श डी-5 और प्रदर्श पी 1/0 से स्पष्ट पता चलता है कि मुजफ्फरपुर जिले के कारीगरों को धन 6 या 7 जून, 1979 को वितरित किया जाना था और इसलिए अनुदान के लिए यह एक अनिवार्य शर्त थी और हालांकि के०बी० आई०सी० ने 30-5-79 को दो चैकों द्वारा राशि रिलीज कर दी थी। ऐसा लगता है कि अवार्ड ने जानबूझकर चैकों को भुनाने में देरी की। इसके कारण वे ही जानते हैं और इस तरह अनुदान की अनिवार्य शर्त व इसके उद्देश्य, जिसके लिए अनुदान दिया गया था इसके देने में तेजी लाई गई थी का उल्लंघन किया गया।

आयोग मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए जिस निस्कर्ष पर पहुंचा वह यह था कि अवार्ड ने पूर्वोक्त ऋण तथा अनुदान के०बी०आई०सी० से तत्कालीन केन्द्रीय उद्योग मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीस के संसदीय चुनाव क्षेत्र मुजफ्फरपुर (बिहार) के कारीगरों में 6 जून, 1979 को वितरित करने के लिए प्राप्त किया जब श्री जार्ज फर्नान्डीस ने अपने चुनाव क्षेत्र में जाना था। इसके पीछे जो उद्देश्य था वह श्री जार्ज फर्नान्डीस के राजनीतिक हितों की रक्षा के अलावा कुछ और नहीं था। आयोग ने आगे यह भी निष्कर्ष निकाला है कि जैसा अवार्ड द्वारा आश्वासन दिया गया था और के०बी०आई०सी० द्वारा माना गया था, अवार्ड ने 6-6-79 या 7-6-79 को मुजफ्फरपुर के कारीगरों को उक्त ऋण व अनुदान वितरित न करके अनुदान शीघ्र प्राप्त करने के उद्देश्य और अनुदान की अनिवार्य शर्त का भी उल्लंघन किया।"

महोदय, यहां महत्वपूर्ण बात तत्कालीन मंत्री का दोषी होना है जिन्होंने स्वयं ही के०बी० आई०सी० के कोष का उपयोग किया जो कि उनके चार्ज में था क्योंकि यह कोष मुजफ्फरपुर में वितरित करने के उद्देश्य से अवार्ड को दिए गए और तब वह उद्योग मंत्री थे। यह दूसरी बात है कि क्योंकि जिन शर्तों पर पर ये ऋण मंजूर किए गए थे उन पर कारीगरों ने इसे लेने से इन्कार कर दिया। महोदय, इससे क्या पता लगता है। इससे सार्वजनिक धनराशि के प्रति लापरवाही का पता लगता है, लोक उद्देश्यों के लिए जिस तरह से सार्वजनिक धन राशि को बांटा जाए उसके प्रति उदासीनता का पता चलता है संविधान और नियमों तथा विनियमों के प्रति घृणा तथा इस तथ्य के प्रति पूर्ण उदासीनता का पता चलता है कि अवार्ड के पास अपने संविधान के अन्तर्गत ऐसा

[श्री पी० चिदम्बरम]

उपबन्ध नहीं था कि ऐसी धनराशि प्राप्त की जाए या ऐसे ऋणों को वितरित किया जाए, तथा इससे अत्यधिक अहंकार भी झलकता है क्योंकि एक व्यक्ति मंत्री है और उसके पास उससे सम्बद्ध कार्यालय अथवा एजेंसी के माध्यम से धनराशि देने का अधिकार है और वह उस राशि को अपने मन पसंद दिन को तथा मनपसन्द तरीके से उपयोग में ला सकता है और जिसे चाहे उसे दे सकता है। यह कुदाल का अभ्यारोपण है। यदि श्री शाहबुद्दीन यहां होते और इस मामले को ऐसे मामले के रूप में उचित बताना चाहते जिसमें धनराशि वापस कर दी गई तो मैं उन्हें ऐसे अनेक मामलों के बारे में बता सकता हूं जहां धनराशि का दुरुपयोग हुआ है।

श्री अजीज कुरेशी : ब्याज का क्या रहा ? (**व्यवधान**) केवल 20 लाख रुपये ही लौटाए गए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : श्री शाहबुद्दीन ने जो कुछ कहा है वह उस समय कहा था जब वह जनता पार्टी में थे। आज वह जनता पार्टी में नहीं हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, कुछ और मामलों पर गौर करते हैं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : श्री रवी राय के मामले का क्या रहा ? मैं समझता हूं कि यह भी एक महत्वपूर्ण मामला है।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, अब मैं छठी रिपोर्ट का मामला संख्या 14 उठता हूं। मैं परिणाम पढ़ता हूं :

> "बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए किसी विशिष्ट परियोजना के लिए किसी विदेशी दानदाता एजेंसी से प्राप्त किए गए धन के दुर्विनियोजन की दृष्टि से अवार्ड द्वारा मनगढ़न्त और झूठे लेखे जोखे बनाने और विदेशी अभिदायें (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों का उल्लंघन करने का आरोप एक तुच्छ मामला नहीं माना जा सकता।"

और फिर आगे कहते हैं :

> "जो भी ऊपर विचार-विमर्श किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकालने के सिवाय कोई चारा नहीं है कि अवार्ड ने ई०जैड०ई०, पश्चिम जर्मनी से प्राप्त किए गए एक ही अनुदान के संबंध में 30 जून, 1979, 30 जून, 1980 और 30 जून, 1981 को समाप्त होने वाली अवधियों के लिए दो भिन्न-भिन्न और असंगत लेखा-खाते तैयार करके और उक्त खातों में भिन्न-भिन्न आंकड़े दिखाकर उत्तरी भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने हेतु एक विशेष परियोजना के लिए एक विदेशी दानदाता एजेंसी अर्थात ई० जैड० ई० पश्चिम जर्मनी से प्राप्त की गई उक्त निधियों को छिपाने और उनका दुर्विनियोजन करने के इरादे से जानबूझकर और स्वैच्छा से अपने खाते और मनगढ़न्त खाते तैयार किए हैं।"

यह छठी रिपोर्ट में मामला संख्या 14 है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में एक मामला दायर किया है।

महोदय, अब हम छठी रिपोर्ट का का मामला संख्या 33 उठाते हैं। मैं केवल निष्कर्ष पढ़ता हूं।

> "उपर्युक्त विचारों व अकाट्य और निर्दोष साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि बिहार राज्य में मुशाहारी और जामुई ब्लाकों में लघु सिंचाई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के

लिए अवार्ड द्वारा ई० जैड० ई०, पश्चिम जर्मनी से प्राप्त की गई भारी रकम के संबंध में उन्होंने अपने लेखे-जोखे में बड़ी मात्रा में गड़बड़ियां की गई हैं। ई०जैड०ई० पश्चिम जर्मनी से अवार्ड द्वारा प्राप्त किए गए 1.15 करोड़ रुपए की अनुदान के विरुद्ध 84.70 लाख रुपए की राशि को झूठमूठ बढ़ाया गया खर्च के रूप में दिखाने के अतिरिक्त अवार्ड ने निधियों के दुर्विनियोजन को छिपाने के इरादे से परियोजना के संबंध में झूठे और जाली लेखे-जोखे भी तैयार किए। इसलिए, यह साबित हो जाता है कि अवार्ड ने अपने उपाध्यक्ष श्री ए०सी० सैन और अन्य मुख्य अधिकारियों के मार्फत जानबूझकर और धोखाधड़ी करने के इरादे से उपर्युक्त परियोजना के संबंध में अपने झूठे बही खाते तैयार करवाए हैं। अवार्ड ने अपने उपाध्यक्ष श्री ए०सी सेन और अन्य मुख्य अधिकारियों के मार्फत कार्य करके झूठे लेखे-जोखे तैयार करने का अपराध किया है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 477क के अधीन दंडनीय है।"

फिर,

"अवार्ड ने अपने उपाध्यक्ष के जरिए उन निधियों के संबंध में विश्वास भंग कर आपराधिक कार्य किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत दंडनीय है।"

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस संबंध में भी एक मामला दायर किया है।

महोदय, मैं अन्तिम रिपोर्ट के मामला संख्या 9 का उल्लेख करना चाहता हूं। यह के०जी० एस०एन० के संबंध में है।

"अधिनियम की धारा 8 ख के अधीन नोटिस में यह कहा गया था कि 1981-82 के दौरान के०जी०एस०एन० के पास 66,04,313.35 रुपये की कुल राशि थी जिसमें बैंक से निकाली गयी 21,45,077.92 रुपये की राशि भी शामिल है, जबकि अन्य धन राशियों का अचल परिसम्पत्तियों, टिकटें तथा डाक खर्च विविध कर्जदारों, ऋण तथा अग्रिम हानियां, स्टोर, प्रकाशन और शेष बचे स्टाक के रूप में हिसाब-किताब रखा गया है फिर भी 21,45,077·92 रुपये की राशि के उपयोग का कोई ब्यौरा नहीं है। के०जी०एस०एन० के तारीख 30-10-1986 के अपने उत्तर में आमतौर पर नोटिस के उक्त कथनों को नकारा है।

इसलिये निष्कर्ष से नहीं बचा सकता कि के०जी०एस०एन० ने धोखाधड़ी के उद्देश्य से 21,45,077.92 रुपये के दुर्विनियोजन को छुपाने के लिये अपने लेखे झूठे तैयार किये इस मामले में सी०बी०आई० ने भी एक मामला दर्ज किया है।

महोदय, इन मामलों से निपटने के लिये मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। सी०बी०आई० ने 12 मामले दर्ज किये है। 16 मामले भारत सरकार के विभागों और मंत्रालयों को भेज दिये गये हैं।

महोदय, कार्यवाही ज्ञापन के कुछ भागों को, जिनमें हमने कार्यवाही बंद करने का निर्णय किया है, पढ़ने के बाद मैंने ऐसा किया है। परन्तु मैं यह भी सोचता हूं कि यद्यपि हमने कार्यवाही बंद करने का निर्णय किया है लेकिन फिर भी यह आवश्यक है कि इनमें से कुछ संगठनों के आचरण पर प्रकाश डाला जाये और इनकी महात्मा गांधी की विचारधारा से तुलना की जाये।

महोदय, अनेक ऐसे मामले है जिनमें पुस्तकें प्रकाशित की गयी थीं। मैं उनमें से कुछ मामलों का उल्लेख करना चाहता हूं। सर्व सेवा संघ ने **"बिहार आन्दोलन-एक सिंहावलोकन"** पुस्तक

[श्री पी० चिदम्बरम]

प्रकाशित की थी। न्यायाधीश कुदाल के अनुसार यह पुस्तक जनता को सरकार का कार्य ठप्प करने, आन्दोलनकारी गतिविधियों में लिप्त होने तथा देश में विद्रोह करने के लिए भड़काती है। न्यायाधीश कुदाल के अनुसार सर्व सेवा संघ राजनैतिक साहित्य के प्रकाशन और प्रचारित करने में लिया था इससे यह अपने निर्धारित लक्ष्य से विमुख हो गया। दूसरी पुस्तक "**सिंहासन खाली करो**" है, इसमें एक विशेष व्यक्ति के राजनैतिक विचार हैं तथा जनता से आन्दोलनकारी गतिविधियों के द्वारा सरकार गिराने के लिए कहा गया है यह आरोप लगाकर, लोकतांत्रिक आधार पर कार्य करने वाली उचित रूप से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया, कि सरकार अपने प्रशासन में भ्रष्ट और बेईमान हो गयी है। सर्व सेवा संघ की दूसरी पुस्तक "**सम्पूर्ण क्रांति के आयाम**" थी। जनता द्वारा अपनायी गयी संवैधानिक प्रणाली को क्षति पहुंचाने तथा भारत में स्वीकृत लोकतन्त्र का उपहास करने का प्रयास किया गया। दूसरी पुस्तक का शीर्षक "सम्पूर्ण क्रांति की रणनीति" है—यह अत्यधिक रुचिकर है। इसमें संसदीय लोकतन्त्र का उपहास किया गया है तथा जनता से सम्पूर्ण क्रांति को प्रोत्साहित करने के लिये उपद्रव और अराजकता की परिस्थितियों को पैदा करके इसे नष्ट करने के लिये कहा गया है। प्रकाशन में संवैधानिक लोकतंत्र को जनविरोधी बताया गया है तथा जनता से केन्द्र की सत्ता के सहयोग बिना क्रांति का अगला चरण शुरू करने तथा देश में सुस्थापित व्यवस्था को समाप्त करने के लिये कहा गया है। क्योंकि संवैधानिक लोकतन्त्र इस प्रकार की क्रांति का आधार नहीं बन सकता है। दूसरी पुस्तक "**जय का वर्ण संघर्ष**" थी। इसके लिये धनराशि खर्च की गयी थी।

महात्मा गांधी ने 5 सितम्बर, 1936 को **हरिजन** में लिखा था :

"अहिंसा एक ऐसी शक्ति है जिसका सभी-बच्चे, नवयुवक, महिलायें तथा बूढ़े लोग—समान रूप से उपयोग कर सकते हैं बशर्ते उनका प्रेम के देवता में सजीव विश्वास हो इसलिये सम्पूर्ण मनुष्य जाति से प्रेम किया जाये।"

12 नवम्बर, 1938 में गांधीजी ने कहा था :

"लोकतंत्र और हिंसा साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। जो राज्य आज नाममात्र के लिये लोकतांत्रिक हैं वे स्पष्ट रूप से सर्वसत्तात्मक बनें अथवा वे सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक बनना चाहते हैं तो उन्हें निर्भीकता से अहिंसक होना चाहिए।"

4.52 म०प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

गांधी जी ने यह भी लिखा है कि प्रत्येक मामले में आंतकवाद रोका जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में असली उद्देश्य अनुचित अथवा हिंसक कार्यों को न्याय संगत कभी नहीं ठहराते हैं। महोदय, कुछ ऐसे संगठन हैं जिन्हें गांधी जी का नाम दिया गया है तथा लोकतंत्र को, जिसे नष्ट किया जाये अथवा अस्थिर बनाया जाये, कुछ और बताया गया है। अभी खतरा समाप्त नहीं हुआ है। यदि कोई सोचता है कि 1980 में, जब जनशक्ति के द्वारा इन अस्थिर ताकतों को नष्ट कर दिया गया था, यह खतरा खत्म हो गया था तो मुझे आशंका है वह गलत सोचता है। खतरा अभी बना हुआ है। अस्थिरता का खेल अभी चल रहा है। खाली बेंचों से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि इस देश में ऐसे लोग हैं जो अस्थिरता के इस खेल में शामिल हैं।

इस मामले से तथा उस मामले से कोई भी असहमत हो सकता है परन्तु न्यायाधीश कुदाल ने इस देश के लोगों की महान सेवा की है। उन्होंने विदेशी धन और उन तथाकथित स्वयंसेवी संगठनों के बीच संबंधों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है जो हमारी राजनीति और लोकतंत्र को अस्थिर करने तथा सम्पूर्ण क्रांति की घोषणा के लिए गांधी जी के नाम को व्यापारिक बनाने में नहीं हिचकिचायेंगे परन्तु यह कुछ नहीं है बल्कि यह उपद्रव और गड़बड़ करने के लिए है।

महोदय, हमने इन ताकतों से निपटने का निश्चय कर लिया है। इस देश की जनता हमेशा सचेत रहेगी। निरन्तर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है। हमारी स्वतंत्रता की रक्षा संवैधानिक लोकतंत्र द्वारा होती है। संसद हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करती है। यदि हम संसद पर कुठाराघात की अनुमति देंगे जैसा कि उन्होंने अपने अवसरवादी त्याग पत्रों के द्वारा किया है, यदि हम तथाकथित गांधीवादी संस्थाओं के गुमराह करने वाले प्रकाशनों के माध्यम से संवैधानिक लोकतंत्र पर कुठाराघात की अनुमति देंगे और यदि हम अपने चुनावों की प्रणाली पर कुठाराघात की अनुमति देंगे तो मुझे विश्वास है कि अपनी स्वतंत्रता खो बैठेंगे और हम स्वतंत्र लोग नहीं रहेंगे। न्यायाधीश कुदाल ने देश के समक्ष यह खतरा बताया है इसके लिए राष्ट्र न्यायाधीश कुदाल का आभारी है।

मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हमने जिन 116 मामलों पर विचार शुरू किया है उनमें से 58 मामले चौथी, पांचवीं और छठी अन्तरिम रिपोर्टों में निपटा दिए गए हैं। हम कानून के अन्तर्गत अपनी शक्ति और प्राधिकार के अनुसार अनुवर्ती कार्यवाही करेंगे तथा मेरा सभी राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे अनुवर्ती कार्यवाही करें।

4·55 म०प०

भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में मद संख्या 16, भांडागरण निगम (संशोधन) विधेयक पर विचार शुरू होगा। श्री सुख राम बोलें।

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाये।"

केन्द्रीय भांडागारण निगम और सोलह राज्य भांडागारण निगमें भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत कार्य कर रही हैं। ये निगमें उपयुक्त स्थानों पर भूमि अधिग्रहण करके भांडागारण बनाती हैं तथा उनका कृषि उत्पादकों, उर्वरों और कृषि तथा औद्योगिक वस्तुओं के भंडारण के लिए प्रयोग करती हैं।

भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 जम्मू और कश्मीर के अलावा समूचे भारत में लागू होता है। 1962 में जब यह अधिनियम बनाया गया तो संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि, जिससे यह अधिनियम सम्बन्धित है, जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं थी। अब इस प्रविष्टि को जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू कर दिया गया है।

[श्री सुख राम]

इसलिए सरकार यह विचार कर रही है कि भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 जम्मू और कश्मीर राज्य में भी लागू किया जाना चाहिए। इस अधिनियम को जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू करने से दो लाभ होंगे। पहला, केन्द्रीय भांडागारण निगम, जो सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, राज्य में भी कार्य कर सकता है। दूसरा लाभ यह है कि राज्य सरकार अपना राज्य भांडागारण निगम स्थापित कर सकती है इससे 50 प्रतिशत इक्विटी अंशदान की सहायता मिलेगी जो इस अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय भांडागारण निगम राज्य भांडागारण निगमों को दे रही है।

भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 को जम्मू और कश्मीर में लागू होने से राज्य में भांडागारण सुविधाओं का विकास हो सकता है इससे कृषि समुदाय को इसमें अपने उत्पादों को रखने में सहायता मिलेगी। जिसके फलस्वरूप उन्हें लाभकारी मूल्य मिलेंगे। वैज्ञानिक भंडार सुविधाओं की उपलब्धता के कारण राज्य में व्यापार और उद्योग को भी लाभ होगा।

इस विधेयक द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

श्री हरीश रावत बोलें।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बिल का इस आधार पर समर्थन करता हूं कि इसके जरिये सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का लाभ जम्मू-कश्मीर के लोगों को भी मिलेगा और साथ ही जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि इस एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि जम्मू-कश्मीर की सरकार अपने एक्सपेंसिज से अपना भी वेयरहाउसिंग कारपोरेशन बना सकती है ताकि वहां के लोगों को इसका अधिक लाभ मिल सके।

मैं इस अवसर का फायदा उठाते हुए माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आज जितनी हमारी स्टोरेज केपेसिटी है, जितनी केपेसिटी की हमको आवश्यकता है उसका 5 प्रतिशत भी हमारे देश को उपलब्ध नहीं है। जिस का नुकसान इंडस्ट्री को भी उठाना पड़ता है और सब से ज्यादा नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को उठाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, यदि ग्रामीण क्षेत्रों में वेयरहाउसिंग की फेसिलिटीज हों और वहां ज्यादा से ज्यादा स्टोरिंग केपेसिटी उपलब्ध करायी जाए तो उससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है। इसलिए हमको अपनी वेयरहाउसिंग की वर्किंग के बारे में बहुत सुधार करने की आवश्यकता है।

मैं समझता हूं कि वेयरहाउसिंग के जरिये जहां स्टोरेज फेसिलिटीज को बढ़ाया जा सकता है, वहां मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को भी टोन अप किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी आपको निर्णय करना चाहिए कि जितनी टोटल वेयरहाउसिंग केपेसिटी हमारे पास है, या उपलब्ध है, उसका कितने प्रतिशत हमको गवर्नमेंट एजेंसीज को देना चाहिए, और कितने प्रतिशत प्राईवेट इंडस्ट्रीज को देना चाहिए।

5·00 म०व०

निश्चित तौर पर जो फैसीलिटी हमारे पास उपलब्ध हैं, वह पचास प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए और वह किसानों के लिए उपयोग की जानी चाहिए। आपने एफ० सी आई० को जो वेयरहाउसिंग फैसीलिटी दे रखी है उसका लाभ वह पूरी तरह से नहीं उठा पा रहा है। खुले में अनाज स्टोर करके रख दिया है। बारिश से भी काफी नुकसान होता है और बहुत बड़ी मात्रा में चोरी भी होती है। मैं समझता हूं इससे वेयरहाउसिंग कारपोरेशन को भी नुकसान होता है। अच्छा होगा यदि भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके एक योजना तैयार करे जिसके अन्तर्गत न केवल वेयरहाउसिंग एक्टीविटीज में स्टेट और कोआपरेटिव सैक्टर को इन्वाल्व करे बल्कि प्राईवेट सैक्टर को भी इन्वाल्व करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वेयरहाउसिंग फैसीलिटी अधिक बढ़ सके। सेन्ट्रल सैक्टर में 70 लाख मीट्रिक टन के करीब और स्टेट सैक्टर में 90 लाख मीट्रिक टन के करीब उपलब्धता है जो कि मांग से काफी अधिक है। जो योजना बने उसमें वित्तीय संस्थाओं को भी इन्वाल्व किया जा सकता है। इस एरिया में काम करने वाली एजेंसीज को भी लगाया जा सकता है। अगर आप इस दिशा में काम करेंगे तो उससे न केवल इंडस्ट्रीज को बल्कि किसानों को भी फायदा होगा। किसान को आज अगर स्टोरेज कैपेसिटी नजदीक में मिल जाए तो वह अपना अनाज उसमें रख सकता है और जब भाव बढ़े तो उस समय बेहतर तरीके से अपने उत्पादन को बेच सकता है। मैं इन शब्दों के साथ वेयरहाउसिंग एक्टीविटीज को जम्मू-कश्मीर तक एक्सटेंड करने का जो प्रावधान किया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भांडागारण नियम (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। जैसा कि मेरे माननीय साथी श्री हरीश रावत ने पहले ही कहा है इससे हमारे देश के लाखों किसानों और दूसरों का, जो कृषि तथा अन्य वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, भला होगा।

महोदय, पत्तन क्षेत्र के बाहर वाले सरकारी भांडागारणों का अनुरक्षण केन्द्रीय भांडागारण निगम करती है इसके अतिरिक्त 16 राज्य भांडागारण निगम भी है। भांडागारण निगमें 1800 भांडागारण चला रही हैं जिनकी क्षमता लगभग 15 मिलियन से 16 मिलियन टन तक है। लेकिन हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित भांडागारों के अभाव में किसानों का अत्यधिक नुकसान होता है। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस मामले की जांच करें क्योंकि नवम्बर, 1988 में राज्य सभा में चर्चा के जवाब के दौरान मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि सरकार का अधिक से अधिक भांडागारणों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इसलिये इस मामले पर विचार किया जाए। दूसरे, वर्तमान भांडागारणों में अधिकांश भांडागर ऐसे हैं जिनमें वैज्ञानिक ढंग से भंडारण की सुविधा नहीं है। इसकी उच्च प्राथमिकता के आधार पर जांच की जानी चाहिए। अधिकांश निगमों में बिगड़ने वाले तथा तरल पदार्थों के भंडारण की सुविधा नहीं है। अधिकांश भांडागारणों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जब भी हम ऐसे भांडागारणों का निर्माण करें तो बिगड़ने वाले तथा तरल पदार्थों के भंडार हेतु ऐसी वैज्ञानिक सुविधायें प्रदान की जानी चाहिएं।

[श्री चिन्तामणि जेना]

जैसा कि आप जानते हैं कि वस्तु के खराब होने को ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारित होते हैं और अन्ततः किसानों को नुकसान होता है। उन्हें अपने उत्पादों का समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाता है। इस पर गौर किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय भांडागारण निगम और राज्य भांडागारण निगमों के अतिरिक्त निजी भांडागारण भी हैं। एक उपबंध यह भी बताया गया कि उन्हें सरकार से लाइसेंस लेने चाहिए। अधिकांश मामलों में निजी भांडागारणों के मालिक लाइसेंस नहीं लेते हैं बल्कि वे अपने द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार भांडागारण चलाते हैं। जो लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं ग्राहक अथवा इनका उपयोग करने वाले भी इन शर्तों के बारे में नहीं जानते। यद्यपि भांडागारण निगम ने खाद्य वस्तुओं के भंडारण के लिए कुछ नियम बना दिये हैं, लेकिन फिर भी ग्राहकों को इसके बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि वे या तो अशिक्षित हैं अथवा वे कुछेक शर्तों के संबंध में कुछ नहीं जानते हैं। इन भांडागारणों के मालिक अपनी इच्छा और मनमाने ढंग से निबंधन शर्तें निर्धारित करते हैं। इसकी गम्भीरता से जांच की जाये।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि 1978 में बैंकिंग विधि समिति ने सरकार से कुछ सिफारिशें की थीं। परन्तु इन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया। उन्होंने सिफारिश की थी कि देश में ऐसे सभी भांडागारणों के लिए एक समान कानून बनाने के लिए उचित उपाय किए जायें, इसके अतिरिक्त कुछ और सिफारिशें भी की गई थीं। मैं इसकी विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस चर्चा के जवाब के दौरान सभा को आश्वासन दें ताकि इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सके।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह किसान सहकारी संस्था का गठन करें जिससे इन भांडागारणों के निर्माण का कार्य सौंपा जाये ताकि हम ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक भांडागारणों का निर्माण कर सकें जिसका संचालन किसान सहकारी संस्थायें कर सकें।

मेरा अनुरोध है कि इन तीन या चार सुझावों पर विचार किया जाये। इन शब्दों के साथ ही मैं इस संशोधन का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा० (गुंटूर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक बात कहनी है। भांडागारण के वैज्ञानिक विधि के अभाव तथा असावधानी के कारण अत्यधिक बर्बादी तथा नुकसान होता है। मैं मंत्री महोदय तथा उनके प्रशासन से यह कहना चाहता हूं कि इस बर्बादी को कम से कम किया जाये। कुछ हानि हो सकती है परन्तु इतनी अधिक नहीं जितनी हम अनुभव कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वह इसकी तरफ विशेष रूप से ध्यान दें ताकि हमारी जनता के लिए इन सुविधाओं के विस्तार के लिए उन्हें पर्याप्त धनराशि मिल सके।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुंझुनु) : जनाब सदर-ए-मोहतरिम, मैं इस वेयरहाउसिंग कारपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल का स्वागत करता हूं। मेरा निवेदन है कि वेयरहाउसेस ज्यादा से ज्यादा देहाती क्षेत्रों में बनाए जाएं और देहातों में भी ऐसे देहातों में निर्मित किए जाएं, जहां एक्स-सर्विसमैन ज्यादा हों।

महोदय, इस कार्य में यदि आप एक्स सर्विसमैन को लगाएंगे, तो इसमें जितना भ्रष्टाचार और अन्य बातें जो सुनने में आती हैं, उनमें बहुत कमी होगी। उन बातों पर और उस भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे जितना अन्न स्टोरेज में खराब होता है, उसके ऊपर कंट्रोल करना हम सबका दायित्व है अगर इस स्टोरेज को प्रापर तरीके से किया जाए इसमें हवा इत्यादि चीजों का ध्यान रखा जाए, तो कोई कारण नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में जो अन्न खराब होता है, वह हो, इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज स्थिति यह है कि एक तरफ, इस स्टोरेज के माध्यम से हमारे देश का बहुत सा अन्न खराब हो जाता है, और दूसरी तरफ देश में स्थिति यह है कि हजारों गरीबों को पेट भर अन्न नहीं मिल पाता है।

महोदय, मेरा सुझाव है कि अच्छे स्टोरेज बनें और ज्यादातर देहातों में बनें और इनका रख-रखाव एक्स सर्विसमैन को दिया जाए। यदि ऐसा किया जाएगा, तो बहुत बड़ी सफलता आपको इसमें मिल सकती है।

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस बिल को लाकर बड़ा कल्याणकारी कदम उठाया है हम इसकी प्रशंसा इस माने में अधिक करते हैं कि इसका विस्तार क्षेत्र जम्मू-कश्मीर तक भी किया है और 1962 के इस विधेयक में जो 33वां अनुच्छेद था वह उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। अब इसके द्वारा वहां भी अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन और भण्डारण होगा और इसकी वजह से वहां वितरण में भी सुधार होगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जिन बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया है उनको न दोहराते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि भण्डारण के अभाव में, देश में काफी अनाज होते हुए भी आज नतीजा यह है कि हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे देश मे हरित क्रांति की वजह से जो अनाज पैदा हुआ और दूसरे साधन जो हमारे सामने आए हैं, उनका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। आज स्थिति यह है कि रैक्स में अनाज खुला पड़ा रहता है जिसके कारण उसमें बर्सात और धूप लगने से कुल्हे फूट आते हैं और इस प्रकार से अनाज की बरबादी हो जाती है। इसी प्रकार से ढुलाई में भी काफी बरबादी होती है जिससे उसकी काफी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए मैं भाण्डागारण निगम के इस प्रस्ताव का बहुत स्वागत करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि इसका विस्तार पठारी क्षेत्र, जंगलों और दूर-दराज के क्षेत्रों में किया जाए जिससे वहां वितरण प्रणाली मे सुधार हो सके।

श्री भानु प्रताप सिंह (पीलीभीत) : मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बिल यहां प्रस्तुत किया है— केन्द्रीय भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक इसका मैं स्वागत करता हूं। हमारे देश में जो खाद्यान्न उत्पादन होता है, वह लगभग 15-16 लाख मीटरिक टन पैदा होता है और जितनी आवश्यकता है उसका मुश्किल से 5-6 परसेंट शायद पूरा नहीं कर पाते हैं। हमारे कई राज्यों में, यहां तक कि ब्लौकों में गल्ले की जो खरीद होती है, वह भी भाण्डागार निगम तक पहुंच न पहुंच पाने के कारण और उनकी क्षमता न होने की वजह से बरबाद होता है। मेरा इसमें सुझाव है कि जो केन्द्रीय भण्डागार निगम हैं और उनको स्थापित करने वाली जो संस्थाएं हैं, यदि माननीय मंत्री जी इनका थोड़ा विस्तार और कर दें और हमारी जो सहकारी संस्थाएं हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित कर दें, उनको भी लाइसेंस दें, वे भी अपने भाण्डागार बनाएं, तो यह समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। इसके साथ-साथ कोई अनाज व्यवसायी यदि उसमें काम करना चाहते हैं तो, उनको भी लाइसेंस दें। इससे जो हम अन्न पैदा करते हैं, वह काम में आएगा और उसकी

[श्री भानु प्रताप सिंह]

बरबादी नहीं हो पाएगी। इस समय देश में जितना अन्न बरबाद होता है, यदि हम उसको बचा लें तो हम अपने गरीबों को पेट भर अन्न खिला पायेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे द्वारा एक दिए गए सुझावों पर ध्यान देंगे और इसको और विस्तार में ले जाने की कृपा करेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो बिल आया है मैं उसका समर्थन करती हूं लेकिन साथ ही साथ रंगा जी ने जो बात कही है वह मैं भी कहना चाहती हूं और वह बात बहुत ही इम्पार्टेन्ट है। जब तक आप वेयरहाउस को साइंटिफिक नहीं बनाएंगे तब तक अच्छा काम नहीं हो सकता है। जैसा कि हमने सुझाव दिया था एफ०सी०आई० का, कि उसमें भी जो चावल रहता है कोई साइंटिफिक अरेंजमेंट न होने के कारण उस चावल को चूहे खा जाते हैं। वेयर हाउस में भी जो अनाज रखा जाता है उसको साइंटिफिक तरीके से नहीं रखा जाता है। मार्डन ऐज है, हम लोग इक्कीसवीं सदी में जा रहे हैं इसलिए हमारा आउटलुक भी मार्डन होना चाहिए। पब्लिक अंडरटेकिंग में ज्यादा लॉस होता है, वेयर हाउस और एफ०सी०आई० में भी ये लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हिन्दुस्तान वैजिटेबिल कार्पोरेशन के जो चेयरमैन हैं, वह टैक्नीकल ऐक्सपर्ट नहीं हैं, उनको टैक्नीकल आइडिया नहीं है। ऐसे आदमी को लाकर काम अच्छा नहीं हो सकता है। वेयर हाउस ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा बढ़ाने चाहिएं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान ज्यादा अनाज पैदा करता है मगर उसको रखने की सुविधा उसके पास नहीं है। यदि उसे अपोर्चुनिटी मिलेगी तो वह ज्यादा अनाज रख सकेगा।

अयूब खां जी ने एक्स-सर्विसमैन के लिए जो बात कही है उसका मैं समर्थन करती हूं। आप एक्स-सर्विसमैन को, लेडिज को और अनइम्प्लायड यूथ को वेयर हाउस बनाने का मौका देंगे तो यह अच्छा होगा।

[हिन्दी]

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपनिषद में लिखा है अन्नम बई प्राणा। अन्न ही प्राण है। उसके बाद फिर एक ऋषि ने लिखा है कि कलावन गता प्राणा। कलयुग में प्राण अन्न में ही रहते हैं। हम लोग भोगी हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह भी कहिए अनात भवन्ति भूतानी।

श्री उमाकान्त मिश्र : अन्न प्राण होता है और परजन से अन्न होता है। अन्न इतनी महत्वपूर्ण वस्तु है कि अन्न का एक दाना भी नष्ट न हो, ऐसे उपाय होने चाहिए। 1966-67 के सूखे में अमरीका से जो लाल गेहूं आता था उस पर ही लोग टूट पड़ते थे। अब जवाहर लाल जी, इन्दिरा जी की कृपा से खेती का विकास हुआ है और देश में अन्न बहुत है। लेकिन भंडारगृह के अभाव में अन्न नष्ट होता है। इसलिए अधिक से अधिक भंडारगृह बनें।

हमारे मिर्जापुर में एक भारतीय खाद्य निगम के विशाल अन्न भंडार निगम बनने का प्रस्ताव मंजूर किया गया था, जमीन मांग ली गई थी, जमीन की व्यवस्था भी की गई थी मगर चार पांच साल से पता नहीं चला कि वह क्यों नहीं बना है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि मिर्जापुर में जो भारतीय खाद्य निगम के भंडारगृह की स्वीकृति है वह बनाया जाए। इसके साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि के माध्यम से हमारे देश ने विश्व में रिकार्ड स्थापित किया है। जहां हम भिखमंगों की तरह दुनिया के पूंजीवादी देशों के सामने हाथ फैलाकर अन्न के लिए याचना करते थे, आज वहां हमारे किसान ने हमें सम्पन्न ही नहीं बनाया, भारत की प्रतिष्ठा ही नहीं बनाई बल्कि भारत को गौरवशाली देश और अन्न के मामले में स्वावलम्बी बनाया है। फिर भी आज एक-एक दाने के लिए तरसता किसान, अपने अनाज को अपने सामने बर्बाद होते देखकर कैसे चैन से रहता है, यह बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है। आप गौर करें, इतना बड़ा बफर-स्टाक आज हमारे देश में है लेकिन आज खुले आसमान के तले हमारा अनाज रहता है, चाहे बीज हो या खाने का दाना हो, दोनों खुले आसमान के तले रहते हैं। जहां हर प्रखंड मुख्यालय में भंडारण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, वहां जिला मुख्यालय में भी यह आज तक संभव नहीं हो पाई है, यह हमारा दुर्भाग्य ही है। हम किसान को बिजली पानी नहीं दे पाते हैं, उसकी दूसरी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, लेकिन वह किसान बड़ी मेहनत से खून-पसीना बहाकर आपके भंडार को भरता है, लेकिन आज उसका अनाज बर्बाद हो रहा है। इसलिये मैं आग्रह करता हूं कि आप इस बारे में विचार करें, माननीय मंत्री जी भी यहां पर मौजूद हैं उन्हें निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए और हर प्रखंड में, अंचल में मुख्यालय में भंडारण की उचित व्यवस्था हो, नहीं तो कम-से-कम जिला मुख्यालय में भंडारण की व्यवस्था अविलम्ब होनी चाहिये ताकि किसानों के अन्न की रक्षा हो सके।

एफ०सी०आई० की हालत भी बहुत खराब है। इसके गोदाम जहां भी हैं, आप देखेंगे कि उनकी हालत और भी बदतर है। आप एफ०सी०आई० के गोदामों की उचित व्यवस्था कराकर मजबूत बनायें ताकि भंडारण की समुचित व्यवस्था किसानों के लिए लाभप्रद हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सुख राम : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं और इस बिल का समर्थन भी किया है। इस बिल का एक बड़ा लिमिटेड परपज है कि जम्मू-काश्मीर में इसको प्रभावी करना है और उसी के लिए यह बिल लाया गया है। इस चर्चा में माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव रखे हैं और शंकाएं प्रकट की हैं। उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की जितनी पब्लिक अंडरटेकिंग्ज हैं, उनमें अच्छे ढंग से मुनाफे में प्राफिट में जो पब्लिक सैक्टर की संस्थाएं चल रही हैं, सैंट्रल वेअर हाउसिंग कार्पोरेशन उनमें से एक है। इसका इस बात से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि 1985-86 में इसने भारत सरकार से जो बजटरी सपोर्ट ली थी, वह 1.52 करोड़ रुपये की थी जो कि इन्टैरेस्ट के साथ उसको वापिस कर दी गई है। आज देश में जितने गोदाम बन रहे हैं, सैंट्रल वेअर हाउसिंग कार्पोरेशन की तरफ से, वह अपने साधनों से ही उनको बना रहे हैं। जहां सैंट्रल वेअर हाउसिंग कार्पोरेशन इस देश में जगह-जगह गोदाम निर्माण कर रही है, उसके साथ थोड़े स्टेट वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन भी निर्माण करती है उसमें 50 फीसदी इक्विटी सैंट्रल वेअर हाउसिंग कार्पोरेशन की है जिसकी 31.02 करोड़ रुपये की जो लागत है वह इक्विटी पार्टिसिपेशन सैंट्रल वेअर हाउसिंग कार्पोरेशन की है। यह 7000 की जो कैपेसिटी 1956 में थी, आज यह चलकर सारे देश में 465 वेअर हाउसेज की है जो कि सारे देश में बने हैं और 63.55 लाख मीट्रिक टन की उनकी कैपेसिटी है। इसका 80 फीसदी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। यह कहा गया है कि किसानों के लिये इसमें ज्यादा मदद होनी चाहिये, मैं मानता हूं यह तो कृषकों के लिये भी है और व्यापारी व दूसरे लोगों के लिए भी है, वह जो भी चाहें अपना माल सैंट्रल वेअर हाउसिंग कार्पोरेशन में रख सकते हैं और

[श्री सुख राम]

उसके लिये करीबन 25 से 30 प्रतिशत इसकी कैपेसिटी है वह आज अनाज के लिए यूटिलाइज़ की जाती है और किसानों के लिये तो और भी इसमें छूट है। किसान जहां कहीं भी अपना सामान रखते हैं, अनाज रखते हैं। या अपनी उपज का हिस्सा रखते हैं वहां 10 परसेंट रिबेट हम किसानों को देते हैं, मगर सैंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के गोदाम ऐसी जगह देश में बनाने हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व की जगहें हैं। उसके बाद स्टेट वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन उनको डिवीजनल लेवल पर बनते हैं। 16 स्टेट वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन ने 85 लाख मीट्रिक टन कैपेसिटी के वेयर हाऊसीज बनाये हुए हैं जिस में करीबन 1291 सैंटर हैं और 50 फीसदी शेयर होल्डर इसमें हैं और 50 परसेंट इक्विटी पार्टिसिपेशन सैंट्रल वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन का है। इसलिये कोशिश है कि गांव के स्तर के ऊपर और ताल्लुका के स्तर के ऊपर यह जो कोआपरेटिव सेक्टर हैं इनको उन्हीं जगहों में बनायें।

जहां तक लाइसेंस की बात कही गई है, लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट देती है। इसमें सेंट्रल वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन का ताल्लुक नहीं है। एक बात अभी प्रोफैसर साहब ने की कि साईंटिफिक तरीके से सब कुछ होना चाहिए और नुकसान कम होने चाहिये। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं और हमारी कोशिश है कि जो गोदाम बनें वह साईंटिफिक तरीके से बनें जिससे नुक़सान कम हो। नुकसान पिछले तीन वर्षों का देखें तो उससे पता लगता है कि आधा परसेंट नुकसान होता है, मगर इसे और भी कम करना है। हमारी कोशिश है कि इसको ठीक ढंग से बनाया जाये।

पहाड़ों के लिए एक विशेष योजना है जिस में यू०पी० और हिमाचल के पहाड़ भी शामिल हैं। इसके साथ-साथ एफ०सी०आई० का कार्यक्रम भी है। और हम एक पांच वर्ष का पर्सपेक्टिव प्लान बना रहे हैं जिसमें यह है कि कहां-कहां सैंट्रल वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन के गोदाम बनाने हैं और स्टेट वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन के और गोदाम बनाने हैं। हमें इसका विस्तार और तेजी से करना है।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है कि इसको जम्मू-कश्मीर में लागू करना है, उससे किसानों को काफी मदद मिल सकेगी। एक्स-सर्विसमैन की जो बात कही गई है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। मैं एक वर्ष से ऊपर डिफेंस मिनिस्ट्री में रहा हूं। मैं जानता हूं कि वे अपने काम में बहुत मेहनती होते हैं और बड़ी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। हमारी सरकार ने रिजर्वेशन उनके लिये रखे हुए हैं और हमारी कोशिश यह रहती है कि उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाये।

इस तरह से जो यहां शंकायें उठायी गईं और सुझाव दिए गये हैं उन सब को मैंने नोट कर लिया है। जहां-जहां उसमें खामियां होंगी उन खामियों को जब माननीय सदस्यगण हमारे ध्यान में लायेंगे हमारी कोशिश होगी उसे दूर करें और वे अच्छे तरीके से चलें।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि 1989-90 में इसका जो डिविडेंट हमने दिया वह 380 लाख दिया है। हर वर्ष हम डिविडेंट देते रहते हैं। अच्छे ढंग से यह कारपोरेशन चली हुई है। अगर इसमें और ज्यादा सुधार की गुंजाइश होगी तो उसे अवश्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं कि आपने इसको अपना समर्थन दिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड-1

संशोधन किया गया ।

"पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1988" के स्थान पर "1989" प्रतिस्थापित किया जाए ।

(श्री सुख राम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया ।

"पृष्ठ 1, पंक्ति, 1—

"उनतालीसवें" के स्थान पर "चालीसवें" प्रतिस्थापित किया जाए ।

(श्री सुख राम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री सुख राम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : अध्यक्ष महोदय, अन्तिम चरण में इस विधेयक का समर्थन करते हुए मुझे दो ठोस सुझाव देने हैं । प्रथम तो यह कि उन क्षेत्रों में जहां परिवहन सुविधायें अत्यन्त खराब है भांडागारण निगम अधिक भांडागार स्थापित करने के अपने कार्यक्रम को मजबूत बना सकता है । उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों में परिवहन सुविधायें बिल्कुल ही नहीं है । कुछ राज्यों में तो रेल व्यवस्था है ही नहीं । पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक कठिनाईयां है, अनेक प्राकृतिक विपदायें आदि हैं । उदाहरण के लिए, हमारे क्षेत्र में मक्के की फसल बहुतायत में होती है लेकिन, संग्रह करने की सुविधाओं के अभाव के कारण कोई भी ऐजेंसी इसे खरीद नहीं रही । भंडारण की दिक्कतों के कारण कोई भी गैरसरकारी या राज्य सरकार की ऐजेंसी जैसे भारतीय खाद्य निगम, मक्के की खरीद करने में रुचि नहीं ले रही है । पहाड़ी क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है । अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन क्षेत्रों में भंडारण और भंडारण की सुविधायें उपलब्ध कराने के मुद्दे पर आप गंभीरतापूर्वक विचार करें ।

इसके अतिरिक्त अनानास जैसे मौसमी फल भी यहां उपलब्ध हैं । ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं तथा इस विशेष मौसम में इनकी बिक्री गिन कर या तौल कर नहीं बल्कि ढेर बनाकर की जाती है । लेकिन, मौसम के अन्त में ये बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं रहते । इस प्रकार की वस्तुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । मौसम में इनके भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि मौसम समाप्त हो जाने पर भी ये उपलब्ध हो सकें ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री सुख राम : अध्यक्ष जी, जहां तक मेज फल वगैरह खरीदने की बात है, जहां किसानों के लिए चाहे वे फल रखना चाहें, चाहे अनाज रखना चाहें, वे सुविधायें सबको वहां पर उपलब्ध हैं । जहां तक मेज वगैरह के प्रोक्योरमैंट की बात है, तो सपोर्ट-प्राइज भारत सरकार सिर्फ गदम और पैंडी को देती है । नाफेद या दूसरी संस्थायें हैं, इस प्रकार सपोर्ट प्राइस देती हैं । आपने जो सुझाव दिए हैं, उनका हम ध्यान रखेंगे । जहां तक मुमकिन हो सकेगा, सैन्ट्रल वेअर हाउसिंग बनाते वक्त आपके सुझावों को ध्यान में रखेंगे ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पहले मद संख्या 18 पर चर्चा की जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है तथा यह विगत सत्र से ही लम्बित पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्यगण सहमत है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 18 पर चर्चा कर सकते हैं।

5.36 म०प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

महिलाओं पर अत्याचार—(जारी)

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्त (मोतीहारी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं पर अत्याचार के संबंध में मैं बोलना चाहती हूं। जहां एक तरफ हम 21वीं सदी का सपना देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। आज भी यह कहते हुए शर्म आती है कि महिलाओं पर अत्याचार संबंधी विषय पर हमारे इस सर्वोच्च सदन में बहस करनी पड़ती है।

महिलाओं के कल्याण के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए आजादी के बाद बहुत सारे कार्यक्रम बने। दहेज विरोधी एक्ट भी बना और शारदा एक्ट बना, परन्तु फिर भी हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए हैं, प्रगति के पथ पर अग्रसर होते गए है, महिलाओं पर अत्याचार दिन-पर-दिन बढ़ता ही गया है। बिहार में पडेलिया कांड हुआ, किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुआ। महिलाओं पर बहुत तरह के अत्याचार होते हैं। उन पर हर तरह का शोषण होता है। मनुस्मृति में कहा गया है—यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तस्य देवता। उसके विपरीत पूरे देश में आचरण होता है और महिलाओं पर अत्याचार होता है और शोषण की शिकार होती हैं। उनको परेशान किया जाता है। महिलायें यदि थाने में शिकायत दर्ज कराने जाती हैं, तो दर्ज नहीं की जाती हैं। इसके विपरीत अमानुषिक व्यवहार किया जाता है। यह बात सभी जानते हैं। किस तरह से पुलिस की दुर्भावनाओं का शिकार होती हैं। जो रक्षक हैं, वह भक्षक हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत भावपूर्ण शब्दों में कहना चाहती हूं। हम जानते हैं कि कामायनी में श्री जयशंकर प्रसाद जी ने कहा—नारी तुम पूर्ण श्रद्धा हो, जीवन के अन्तःस्थल में पियुष स्रोत सी बहा करो। पंत जी ने भी कहा—नारी का तन मां का तन है, जाति देश के लिए भी निर्मित, नारी देश दीप शिखा है जो, नौ देवों के दीप संजोते। हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं और महिलाओं पर अत्याचार दिन पर दिन होते जा रहे हैं। हमारे समाज में कैसे महिलाओं पर बर्बर अत्याचार हो रहे हैं। महिलायें दहेज के कारण अन्याय की शिकार हो रही हैं। सती जैसे कांड हो रहे हैं और आज भी हम सती रूपकंवर के बारे में याद करते हैं, तो दिल भर उठता है। इसी माननीय सदन में आपके नेतृत्व में हम लोगों ने सती निवारक बिल पास किया। सरकार तो हर तरह से प्रयास कर रही है। आजादी की लड़ाई में महिलाओं का महान योगदान रहा है—सरोजनी नायडु, श्रीमती कमला नेहरू और कस्तूर्बा गांधी आदि महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण

[श्रीमती प्रभावती गुप्त]

योगदान दिया। लेकिन फिर भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। एक ही तरह का अत्याचार नहीं हो रहा है, और भी अनेक तरह के अत्याचार हो रहे हैं। हमारे श्रम विभाग ने समान वेतन का कानून लागू किया है लेकिन अब भी महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। श्रम विभाग और सरकार इस बात को क्यों नहीं देखती कि बड़ी-बड़ी पब्लिक अंडरटेकिंग्स तक में उन्हें पूरा वेतन नहीं दिया जाता। बहुत से छोटे-छोटे कार्यालयों में तो महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार होता ही है। यह नहीं होना चाहिए। उन्हें समान वेतन मिलना चाहिए। यह ठीक है कि सरकार अपनी तरफ से महिलाओं पर अत्याचार के निराकरण का प्रयत्न करती है लेकिन यह प्रश्न हमारे सामने एक समस्या बन कर खड़ा है।

मैं चाहती हूं कि केन्द्रीय सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के और भी विशेष प्रयत्न करे। यह ठीक है कि महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं। केरल जैसे प्रदेश में आज शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत 89 है। लेकिन हमारे देश में उत्तरी बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल और पूर्वोत्तर में ऐसे राज्य हैं जहां शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत 16 ही होगा। हमारे देश में ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको कि इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके कल्याण के लिए सरकार ने क्या-क्या कार्यक्रम बनाये हैं। सरकार ने उनके लिए बहुत से कानून और अधिनियम बनाये हैं। उनसे महिलाओं को अवगत कराया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए सरकार ने जो सुविधाएं जुटायी हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी जानी चाहिए।

मैं अपने प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन करती हूं कि वे महिलाओं के लिए विशेष प्रयत्नशील हैं। वे चाहते हैं कि महिलाएं जागरूक हों, वे आगे बढ़ें और अपने पैरों पर खड़ी हों। उनका यह बहुत ही सराहनीय कदम है और इससे महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं। प्रधान मंत्री जी ने अभी इस सदन से पंचायती राज के संबंध में और नगरपालिकाओं के संबंध में संविधान संशोधन विधेयक पास कराए हैं। हमें इस बात की खुशी है कि पंचायतों में और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं। इसके साथ ही इस बात की भी आवश्यकता है कि यह भी निश्चित किया जाना चाहिए कि इतने प्रतिशत महिलाएं ग्राम प्रमुख होंगी, इतने प्रतिशत महिलाएं नगर प्रमुख होंगी। इस तरह से महिलाएं अपनी योग्यता के आधार पर सत्ता में भागीदार हो सकेंगी और उनकी हीन भावनाएं खत्म होंगी।

अध्यक्ष महोदय, आप गांव के रहने वाले हैं और आप जानते हैं कि आपके सीमावर्ती प्रदेश में भी जो कि देश के अन्य प्रदेशों से आर्थिक दृष्टि से आगे है, ऐसी महिलायें होंगी जिन्होंने आज तक ट्रेन नहीं देखी होगी, नेशनल हाईवे नहीं देखा होगा। हमारे बिहार, बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में तो ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं। मैंने एक बार कहा भी था कि हमारे यहां ऐसी महिलायें हैं कि उन्होंने एक स्थान पर जन्म लिया, डोली में बैठ कर दुलहन बन कर गयीं और उसके बाद उसी स्थान पर मर गयीं। उन स्थानों के अलावा उन्हें और कहीं जाने का और देखने का मौका ही नहीं मिला। इस तरह से महिलाओं पर शोषण होता है। मुझे खुशी है कि हमारे नौजवान प्रधान मंत्री ने महिलाओं के लिए एक विशेष योजना बनायी है। जिससे मुझे उम्मीद है कि महिलायें आगे बढ़ेंगी।

एक बात मैं आपको बता दूं। आपने दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून पास किया। लेकिन दहेज और तिलक देने के लिए आज पुलिस को घूस देनी पड़ती है। पुलिस को घूस दे कर तिलक और

दहेज दिया जाता है और पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। इन सब बातों की तरफ भी सरकार का बारीकी से ध्यान जाना चाहिए। मैं जानती हूं कि हमारी सरकार इस बात के लिए प्रयत्नशील और सक्रिय है और चाहती है कि देश की महिलाओं के लिए कल्याणकारी कानून बनें। जब तक देश की महिलायें आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक देश का विकास नहीं होगा।

हमें इस बात की खुशी है कि आधुनिक कहे जाने वाले पश्चिम के देशों में महिलाओं ने संघर्ष करके मताधिकार प्राप्त किया। आजाद होते ही हमारे देश में संविधान के अंतर्गत महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हो गया। लेकिन आज भी स्थिति ऐसी है कि बहुत सी महिलायें अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करती हैं या करने नहीं पाती हैं। देहातों में महिलायें अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पातीं इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार एक मोबाइल वैन की व्यवस्था करे जो घर-घर जाकर महिलाओं के वोट ले सके। महिलायें वोट देने जाना चाहती हैं, मगर परिवार के लोग जाने नहीं देते, उनको वैसा ही करना होता है जैसा परिवार के लोग कहते हैं, इस तरह से निष्पक्ष राजनीतिक वातावरण नहीं बन पाता। इसलिए इस सुझाव पर भी सरकार विचार करे।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो भी कार्यक्रम बनाए जायें, जो भी कानून बनाए जायें, उनका सख्ती से पालन हो। जब सख्ती से पालन होगा तभी महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का अंत होगा, महिलाओं के कष्ट दूर होंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण होगा।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहती हूं कि सक्रिय और ठोस कार्यक्रम सरकार बनाए और उन पर सख्ती से पालन करे।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति में हर एक वर्ग में बहनों का स्थान निम्न से निम्न स्तर तक पहुंच गया है। आज अगर हम सबसे दबे हुए वर्ग में भी देखें तो उसमें भी आप देखेंगे कि महिलाओं का दर्जा सबसे नीचे है। सफाई का काम करने वाले वर्ग में भी आप देखें कि सिर पर मैला ढोने का काम महिलायें ही करती हैं। सड़क की सफाई का काम, नाली साफ करने का काम पुरुष करते हैं। शहरों में सड़क साफ करने का काम भी महिलायें करती हैं। हर जगह सबसे आखिर में महिलाओं को रख दिया गया है। इसी तरह से संपन्न परिवारों में भी आप देखें तो महिलाओं की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। वे स्वावलंबी नहीं हैं। वे पति पर आश्रित हैं और अगर उसका पति उसको निकाल दे तो उसकी स्थिति उस सिर पर मैला ढोने वाली बहन से भी बदतर होगी, क्योंकि वह सिर पर मैला ढोने वाली बहन स्वावलंबी है, अपने पैरों पर खड़ी है और यह संपन्न परिवार की महिला पूर्णतः परावलंबी है। इस तरह से वह उस मैला ढोने वाली बहन से भी नीचे के दर्जे पर है। हमें देखना है कि यह स्थिति क्यों है।

जैसा कि अभी माननीय सदस्या कह रही थीं, महिलाओं को हमने श्रद्धा के रूप में देखा है, उनको पूज्य माना है। जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता बसते हैं, जहां पर नारी की इज्जत होती है वहां पर देवता बसते हैं। आपने नारी को देवता तो बना दिया लेकिन उसको बराबरी का दर्जा नहीं दिया। कौन से युग में नारी को बराबरी का दर्जा दिया गया। जब से पुरुष वर्ग के हाथ में समाज की सत्ता आई है, सबसे पहले उसने नारी को गुलाम बनाया, क्योंकि उसके जरिए से उसने सुख सुविधायें प्राप्त करनी थीं। हालांकि समय था जब मैत्रेयी, गार्गी, भारती थीं, उनके हाथ में समाज की सत्ता थी, समाज की बागडोर उनके हाथ में थी, क्योंकि उसको पुरुष का शिक्षक माना गया। आज भी जब तक समाज की सत्ता नारी अपने हाथ में नहीं लेती, तब तक

[श्री केयूर भूषण]

उनका कल्याण नहीं होगा। समाज अपने आप अपनी बागडोर उनके हाथ में नहीं थमाएगा, क्योंकि उन्हीं के आधार पर उसको सुख सुविधा मिलती है। हमारे मित्र जो क्रांतिकारी कदम चाहते हैं, उनको वह रास्ता निकालना होगा जिससे समाज की बागडोर बहनों के हाथ में आए। नारी देवी की लालसा छोड़े। कानून के अंतर्गत उसको सब कुछ मिल जाएगा, रिजर्वेशन के साथ-साथ जो स्तर लाना चाहते हैं वह भी मिल जाएगा, लेकिन नारी को हर क्षेत्र में समान रूप में आगे आना होगा।

मेरा एक ही निवेदन है कि नारी को स्वावलंबी बनने के लिए आगे आना होगा। जब तक बहनें स्वावलंबी नहीं होंगी, तब तक उनका उद्धार नहीं होगा, नहीं हो सकता। उसके लिए कुछ मान्यताओं को बदलना होगा। मैं जहां तक समझता हूं कि हमने जानबूझ कर महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए बहुत सी नैतिकताओं का आवरण उनके ऊपर डाल दिया है। कोई बहन विधवा हो जाती है तो उस पर कलंक का टीका लगा दिया जाता है। अगर किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाए तो वह दूसरा वर बनने के लिए तुरन्त तैयार हो जाता है। इस मान्यता को बदलना होगा। अगर कोई विधवा बहन शादी कर लेती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत रास्ते पर चली गई। उसको जो अधिकार है, उसका उसने प्रयोग किया है। हिन्दू, इस्लाम या कोई भी ग्रंथ हो उसने उसको दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया है। ऐसी मान्यताओं को बदलने के लिए बहनों को स्वयं ग्रंथ की रचना करनी होगी। पुरुषों ने अपनी सुख-सुविधा के लिए ग्रंथ रचा। बहनें कमजोर हैं इसलिए मुक्ति नहीं पा सकती हैं। जीवन में जब वह हमें मुक्ति देती हैं तो वह खुद क्यों नहीं मुक्ति पा सकती। स्वयं बहनों को परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्न करना होगा। धर्म का कितना गलत प्रभाव हमारे समाज पर पड़ा हुआ है, उससे संबंधित एक कहानी हमारे क्षेत्र की है। हमारे क्षेत्र के पास के एक भाई मिलिट्री में सर्विस करने के लिए गए थे। उनकी पत्नी गांव में ही थी। जब वे गांव में आए तो उनके इष्ट मित्रों ने कह दिया कि तुम्हारी पत्नी गलत रास्ते पर जा रही है। वह बेचारी दो-तीन साल तक तपस्या करती रही लेकिन उसको किसी ने भड़का दिया। सती प्रथा का असर उनके दिमाग में था। उसने कहा कि अगर तुम सती हो तो दीपक के ऊपर हाथ रख दो। अगर हाथ न जले तो हम समझेंगे कि तुम सती हो। सीता ने अपने जीवन में कितनी बार अग्नि परीक्षा दी। उसने अपनी ईमानदारी को सोने की तरह बताया है। कभी-कभी तो मन में यह उठता है कि हम आदर्श राम को आदर्श कहें या नहीं। इस बारे में आप मुझे माफ करेंगे। उस राम ने एक निरपराध महिला को वनवास का जीवन भुगतने के लिए मजबूर किया। हो सकता है यह मात्र कथा हो और बहनों को गुलाम बनाने के लिए इस तरह रचा गया हो। लेकिन उस रचना का असर आज तक होता है। एक अनपढ़ आदमी भी यह कहता है कि यह पत्नी संशकित है, उसको परीक्षा देनी होगी। इन सारी मान्यताओं को बदलना होगा। इसके लिए बहनों को आगे आना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज उनको बराबर का दर्जा प्राप्त है लेकिन जायदाद में बराबरी का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता। हरियाणा जैसा प्रांत उल्टी दिशा में जाने के लिए तैयार हो रहा है। क्यों इसे कोई बहन या भाई बर्दाश्त करेगा, बिल्कुल नहीं। हम एक ही मां-बाप के पुत्र-पुत्री हैं इसलिए समान रूप में आगे बढ़ना चाहिए। अगर मां-बाप की चीज में बराबरी का हक देते हैं तो दहेज का सवाल फिर नहीं होगा। श्रमिक वर्ग में बहनों के भेदभाव आप नहीं देख सकते, यह केवल मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों में देखने को मिलता है। आज जो अलौकिक व्यवहार के नाम स्थिति को लाए हैं उस स्थिति को तोड़ें। मगर स्वयं को आगे बढ़ना होगा। हम यही

कहना चाहते हैं कि अब तक की जो सामाजिक क्रांति हुई है वह महापुरुषों ने की है, शंकराचार्य ने की है, भगवान बुद्ध ने की है, महावीर ने की है, गांधी ने की है, लेकिन अब सामाजिक परिवर्तन के लिए नारी जाति को आगे आना होगा। अगला जो शंकराचार्य होगा, वह आदि शंकराचार्य नहीं जगतगुरु शंकराचार्य, जिसका कि आपने वर्णन किया है वह जो शंकराचार्य होगा, आधुनिक ग्रंथ जो तैयार होंगे उसको तैयार करने वाला कोई बहन ही होगी, मैं विश्वास के साथ कहता हूं। देश की दिशा को पूर्ण रूप से आत्म-निर्भर बनाने के लिए, मानव जाति को ऊपर उठाने के लिए जो आगे की दिशा आने वाली है वह बहन ही होगी। बहनों के बनाये हुए कानून और वातावरण के अन्दर जो स्वाभिमान पूरे देश का जगेगा, फिर वह दिन कभी नहीं आयेंगे जब बहनें संकट में हों, बहनों को जलाया जाये या उन्हें घर से निकाला जाये, यह स्थिति कभी नहीं आयेगी। वह युग भी जल्दी आ रहा है। उस ओर हमारी बहनें आगे बढ़ेंगी।

5.26 म०प०

दर्शक दीर्घा से कुछ व्यक्तियों द्वारा सभा के अवमान के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, जैसा कि सभा यह बात जानती है कि अपने आप को राजकुमार वशिष्ठ पुत्र श्री तुला राम वशिष्ठ और जावेद अली खां पुत्र श्री नासिर अली खां बताने वाले दो दर्शकों ने आज लगभग 12.55 बजे दर्शक दीर्घा से नारे लगाये। सुरक्षा निदेशक ने उन्हें तुरन्त हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की। उक्त दर्शकों ने अपने बयान दे दिये हैं और उन्होंने अपने कृत्य के लिए खेद व्यक्त किया है। उन्होंने इसके लिये क्षमा याचना भी की है।

मैं इस मामले को, उचित कार्यवाही करने के लिए, सभा के ध्यान में लाता हूं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"यह सभा संकल्प करती है कि अपने आप को राज कुमार वशिष्ठ, पुत्र श्री तुला राम वशिष्ठ और जावेद अली खां, पुत्र श्री नासिर अली खां बताने वाले व्यक्तियों, जिन्होंने आज लगभग 12.55 बजे दर्शक दीर्घा से नारे लगाये और जिन्हें सुरक्षा निदेशक ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, ने गम्भीर अपराध किया है और वे सभा के अवमान के दोषी हैं।

सभा यह भी संकल्प करती है कि उनके द्वारा व्यक्त किये गये खेद को ध्यान में रखते हुए, उन्हें आज सभा की बैठक उठने पर कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा संकल्प करती है कि अपने आप को राजकुमार वशिष्ठ, पुत्र श्री तुला राम वशिष्ठ और जावेद अली खां, पुत्र श्री नासिर अली खां बताने वाले व्यक्तियों, जिन्होंने आज लगभग 12.55 बजे दर्शक दीर्घा से नारे लगाये और जिन्हें सुरक्षा निदेशक ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, ने गम्भीर अपराध किया है और वे सभा के अवमान के दोषी हैं।

[अध्यक्ष महोदय]

सभा यह भी संकल्प करती है कि उनके द्वारा व्यक्त किये गये खेद को ध्यान में रखते हुए उन्हें आज सभा की बैठक उठने पर कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अभी छः बजने में सिर्फ दो मिनट शेष हैं और हमारा बाईस दिन का सत्र बहुत अच्छा रहा है। आपने बहुत सारा कार्य किया है और कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं। उन्हें "अति महत्वपूर्ण" कहा जा सकता है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : ऐतिहासिक।

अध्यक्ष महोदय : ऐतिहासिक। जी हां, क्योंकि यदि लोकतन्त्र की जड़ें बहुत मजबूती से स्थापित की जाती हैं, तो इससे राष्ट्र और जनता को मदद मिलेगी। हमारा एक स्वतंत्र प्रजातांत्रिक देश है और हमें इस महत्व को महसूस करना है और यदि यह प्रजातांत्रिक प्रणाली सुरक्षित है और यदि हम भी इस प्रणाली में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो हम सभी को यथाशक्ति इसकी रक्षा करनी चाहिये। यह कार्य बिना किसी दलगत भेदभाव के सभी के द्वारा ही किया जाना है क्योंकि राष्ट्र सभी का है और राष्ट्र के कल्याण में ही सभी का कल्याण निहित है। यही कुछ मैं कहना चाहता हूं।

अतः माननीय सदस्यगण, मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूं······।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : इससे पहले कि आप धन्यवाद करें, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कर दीजिये आप भी महाराज। कवि को कौन रोक सकता है।

श्री बालकवि बैरागी : मैं तो आपकी आज्ञा लेकर कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कहते हैं कि :

"जहां न पहुंचा रवि, वहां पहुंचा कवि।"

श्री बालकवि बैरागी : इसके आगे की पंक्ति मैं पूरी कर देता हूं :—

जहां न पहुंचा रवि, वहां पहुंचा कवि।

जहां न पहुंचा कवि, वहां पहुंचा आप जैसा अनुभवी॥

इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आप के तेवर देख कर ही समझ गया था कि आप कुछ कहने जा रहे हैं, तभी मैंने उससे पहले कुछ निवेदन करने का फैसला किया।

इतिहास की गरिमा बढ़ी, जनतंत्र को गौरव मिला,

खेत को खलिहान को, फिर से मिला है हौसला।

जनतंत्र को गौरव मिला यानी हम लोग यहां 20-22 या 25 दिन से बैठे हैं :

खेत को खलिहान को फिर से मिला है हौसला।

यह हौसला बढ़ता रहे, फसलें सदा हंसती रहें,

खुशहाल हर चौपाल हो, सानन्द हर बस्ती रहे।

राजीव की बागवां पर, सारे सुमन खिल जायेंगे,

बरसात के बिछुड़े शरद में फिर यहां मिल जायेंगे ॥

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, वास्तव में श्री भगत को यहां होना चाहिए था। (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : क्या आठवीं लोक सभा का यह अन्तिम सत्र है ? यदि उन्हें इसके बारे में जानकारी है तो वह हमें यह बताएं। (व्यवधान)

श्रीमती शीला दीक्षित : महोदय, श्री भगत को यहां उपस्थित होना चाहिए परन्तु वह राज्य सभा में थोड़े व्यस्त हैं। उनकी तरफ से और संसदीय कार्य मंत्रालय में हम सभी की ओर से, मैं हर उस सदस्य को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इस अत्यंत ऐतिहासिक सत्र में चर्चाओं के दौरान अपना अत्यंत बहुमूल्य योगदान दिया। जैसाकि बालकवि जी ने और स्वयं आपने कहा है कि यह वास्तव में एक ऐतिहासिक सत्र रहा है और इस सत्र में हमने प्रजातंत्र को मजबूत किया है। यह एक असाधारण सत्र भी रहा है और इसे मैं थोड़ा सा खराब सत्र भी कहती हूं क्योंकि विपक्ष...... (व्यवधान)

प्रो० एन० जी. रंगा (गुंटूर) : विपक्ष के कुछ सदस्य।

श्रीमती शीला दीक्षित : विपक्ष के कुछ सदस्यों को छोड़कर विपक्ष के लगभग सभी जिम्मेदार सदस्यों ने नये चुनाव होने से कुछ ही दिन पूर्व इस सभा को छोड़ने और त्यागपत्र देने का निर्णय किया। मैं नहीं समझती कि उनके इस कार्य से प्रजातंत्र मजबूत हुआ है अथवा प्रजातांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हुई है क्योंकि मैं समझती हूं कि वे ऐसे सर्वोच्च मंच से, जहां से वे अपने मत व्यक्त कर सकते थे, भाग गए। हम अभी इसके पीछे छिपे कारणों को नहीं समझ पाये हैं जिससे उन्हें इस त्यागपूर्ण कार्य करने की प्रेरणा मिली। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : मैं आपको इन्टरप्ट नहीं करना चाहता, चूंकि आपने "सैक्रिफाइस" शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए अर्ज करना चाहता हूं......

"तौहीन शमा की करे और फिर जल कर मरे,

ऐसे परवानों का कोई मकबरा बनता नहीं।"

[अनुवाद]

श्रीमती शीला दीक्षित : इसीलिए महोदय, मैंने इसे "त्यागमय कार्य" कहा। तथापि हम सरकार के लोग और कांग्रेस पार्टी को इस सत्र से अत्यंत गर्व है क्योंकि उस बड़े कार्य में हम

[श्रीमती शीला दीक्षित]

सभी ने अपना थोड़ा बहुत योगदान दिया जिसे प्रधानमंत्री ने सबसे निचले स्तर पर लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए शुरू किया था ।

मैं लोक सभा सचिवालय के सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इस सभा को चलाने में हमारा मार्ग-दर्शन भी किया और हमारी सहायता भी की। प्रो० सोज ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या हम पुन: मिलेंगे । मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूं कि महोदय संभवत: हम फिर मिलेंगे ।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो काश्मीर से आये हैं, तथा जो कुछ अन्य क्षेत्रों से आये हैं, तथा जो कुछ अल्पसंख्यक समुदायों के हैं और कुछ अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक के सदस्य हैं और अन्य निर्दलीय सदस्य जो कांग्रेस से संबंधित नहीं हैं, जिन्होंने इस पूरे सत्र के दौरान हमारे साथ काम किया और हमें अपना सहयोग दिया और विशेषरूप से उस सप्ताह के दौरान अपना सहयोग दिया जब विपक्ष के अन्य सदस्यों ने इस सभा से इस्तीफा देना उचित समझा और इस प्रकार जनप्रतिनिधियों के रूप में अपने आप को कमजोर साबित किया ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तो जनाब, बैरागी जी, मिल कर के चलने में ही ठीक है । प्रजातंत्र की रक्षा करना, उसको पनपाना, हमारा सब का, यह घर तेरा भी है, यह घर मेरा भी है । किसी शायर ने कहा है :—

ये रिश्ता है दीवारों दर तेरा भी है मेरा भी है,

मत गिरा इस घर को ये घर तेरा भी है मेरा भी है,

क्यों लड़ें हम आपस में इक-इक संगे मील पर,

इसमें नुकसान-ए-सफर तेरा भी है मेरा भी है ।

श्रीमती शीला दीक्षित : सर, अन्तिम शब्द तो आप ही के होने चाहिए थे, परन्तु मैं···

अध्यक्ष महोदय : अभी कौन सा बन्द हो गया ?

श्रीमती शीला दीक्षित : सर, मैं सब की तरफ से यह जरूर कहना चाहती थी कि आपने हमें जो मार्गदर्शन दिया और खास तौर पर जो पिता-तुल्य वात्सल्य हमारे प्रति आपका रहा, जब हम आपके पास आते हैं, तो जो आप हमें सलाह-मशविरा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं । आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूं ।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद तो मुझे सब को देना पड़ेगा । हमारे स्टाफ ने जितना काम किया है, लोक सभा सैक्रेट्रिएट के हर कर्मचारी ने, डिप्टी स्पीकर साहब ने सैक्रेट्री जनरल साहब ने, मार्शल ने और जो हमारे नीचे बैठते हैं उन्होंने और जितने भी वाच एण्ड वार्ड में हैं, एवरी व्हेयर दे हैव स्टुड···

प्रो० सैफुद्दीन सोज : स्पीकर साहेब, साउण्ड सैक्शन ने भी···

پروفیسر سیف الدین سوز : اسپیکر صاحب۔ ساؤنڈ سیکشن نے بھی

अध्यक्ष महोदय : हां, साउण्ड सैक्शन के बिना तो आवाज ही बन्द हो जाती है, वह तो जरूरी है। ये सारी बातें हैं।

बात इतनी है, सिर्फ गुस्सा नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र में बातचीत से सारा निपटाना चाहिए। वाद विवाद से होना चाहिए। । वाद-विवाद से और जो धींगामस्ती होती है, वह ठीक नहीं है। इसका निराकरण करना चाहिए जिससे कि हम इसको और कामयाब कर सकें। जो भावावेश में आकर हम कर जाते हैं उससे हमें तकलीफ होती है। कभी-कभी मैं दूसरे हाउसेस के बारे में भी पढ़ता हूं, यहां भी मुझे उसकी चिन्ता रहती है। हो सकता है कभी गलती हो जाए। गलती तो इंसान से हो ही जाती है, इंसान कर ही जाता है, लेकिन उसका निराकरण करना, उसको दूर करना, हमारा काम है। आपस में लड़ने से नहीं, आपस में गुस्सा करने से काम नहीं चलता है। ठण्डा रहने से, क्योंकि ठण्डा हमेशा गरम को काटता है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि यही मैसेज लेकर जाइए। गांवों में भी यही बताइए। पंचायत में भी यही बताइए कि पंचायत में बैठ कर पार्टी-बाजी नहीं होनी चाहिए। पंच परमेश्वर के हिसाब से न्याय करें और जो सेवा करनी है, उसे करें। कहीं विवाद में पड़कर के जो कुछ सारा हम ने किया है और जिस निशाने से, जिस लक्ष्य से किया है, उसको को न भूल जाएं। उसको देखकर करना है। लेकिन आप ही सारे के सारे मैम्बर साहिबान उनके नेता हैं, उनको मार्गदर्शन करा सकते हैं, तो यह बात जगह-जगह जाकर के पनपाइए जिससे जो कुछ हम कर रहे हैं और करना चाहते हैं देश के लिए वह ठीक और सुचारु ढंग से आगे बढ़े।

आप सब महानुभाव का बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो कुछ भी काम किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं उन सभी सभापति, जिन्होंने यहां सभापति के रूप में कार्य का निर्वहन किया और पीठासीन हुए, का भी धन्यवाद करता हूं। मैं सभा के वयोवृद्ध सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं।

[6.10 म०प०]

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

श्री दुर्गा प्रिंटिंग प्रैस, 1867 चीराखाना, नई सड़क, दिल्ली-110006